

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005  
सूचना हस्तपुरितका  
भाग—2

मैनुअल संख्या – 5 (2A)



शासनादेश 1982 से 2022 तक  
जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

चौदहवां संस्करण जून, 2022

## विषय वस्तु

क्र०सं०	विषय	शासनासदेश संख्या	पृष्ठ
1	पर्वतीय क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन बनाने सम्बन्धी	जी-7 / 28-3-7 / 75 / 81 दिनांक 31 मार्च, 1982	1-7
2	विश्व बैंक की सहायता के जनपद पौड़ी गढ़वाल के नयार जलागम एवं श्रीनगर उपजलागम के कार्यान्वयन हेतु स्टाफ की स्वीकृति	संख्या 8318 / 28-3-7(67) / 83 दिनांक 15-12-1983	7-8
3	पर्वतीय क्षेत्र की वाटरशेड मैनेजमेन्ट योजना अन्तर्गत टिहरी गढ़वाल जनपद में जलागम योजना हेतु जलागम इकाई की स्थापना	संख्या 7170(1) / 20-3-7(57) / 83 दिनांक 12-9-83	9-11
4	वित्तीय वर्ष 1984-85 में टिहरी जनपद की साउथ भागीरथी योजना में पदों की स्वीकृति	संख्या 105(1) / 28-3 (192) / 83 दिनांक 5-1	12-15
5	जलागम योजना के अन्तर्गत जनपद इकाई पौड़ी के लिये स्टाफ का सृजन	संख्या-184(1) / 28-3-5(56)84 दिनांक 31-5-1983	16-19
6	जलागम योजना के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता से जनपद पौड़ी के अन्तर्गत कार्यालय हेतु स्टाफ की स्वीकृति	संख्या 2183 (1) / 28-3-7(112) / दिनांक 6-5-1983	20-22
7	विश्व बैंक द्वारा पोषित पनार राण्डीगाड़ एवं नयार उपजलागम के स्टाफ की स्वीकृति	संख्या 184 / 28-3-5(56) / 84 दिनांक 31-1-1985	23-25
8	नयार उपजलागम क्षेत्रकी योजना के कार्यान्वयन हेतु स्टाफ की स्वीकृति	संख्या-3 / 28-3-7(67) / 83 दिनांक 22-2-1984	26-29
9	पर्वतीय विकास विभाग से सम्बद्ध करते हुये जलागम प्रबन्धउ मूल्यांकन सेल हेतु पदों की स्वीकृति	कार्यालय ज्ञाप संख्या 444 / 28-3-84 दिनांक 1-8-1984	30-31
10	श्रीनगर उप जलागम क्षेत्रकी योजना के कार्यान्वयन हेतु स्टाफ की स्वीकृति	संख्या 2909 / 28-3-7(169) / 83 दिनांक 22-11-1984	32-37
11	जनपद पौड़ी गढ़वाल के मछलाड जलागम क्षेत्र में अतिरिक्त स्टाफ की स्वीकृति	संख्या 51 / 28-3-77(193) / 83 दिनांक 5-12-1984	37-39
12	विश्व बैंक पोषित राण्डीगाड़, रुद्रप्रयाग, नयारदौया तथा पनार उपजलागम हेतु स्टाफी स्वीकृति	संख्या 4068 / 28-3-5(56) / 84 यदिनांक 22-7-1095	40-55
13	जलागम प्रबन्ध संगठन में नियुक्ति की प्रक्रिया	संख्या 401 / 28-3-5(83) / 92 दिनांक 12 दिसम्बर 1986	56-57
14	हिमालयन वाटरशेड अन्तर्गत चल रही जलागम योजना में प्रशिक्षण	जी0आई-12 / 28-3-5(62) दिनांक 27-7-1986	58-59

	एवं भ्रमण कार्यक्रम लागू किये जाने हेतु स्टाफ का सृजन		
15	जलागम परियोजना के अन्तर्गत वाहन चालकों एवं द्रक क्लीनरों के अस्थाई पदों का सृजन	संख्या 2477 / 28-3-7(175) / 83 दिनांक 14-8-1986	60
16	पश्चिमी नयार उपजलागम हेतु स्टाफकी स्वीकृति	संख्या 289 / 28-3-5(1) / 86 दिनांक 28-4-1986	61-66
17	वाहन चालकों एवं द्रक क्लीनरों के पदों का सृजन	संख्या 407 / 28-3-7 / 83 दिनांक 29-4-1986	67-69
18	पश्चिमी नयार उपजलागम हेतु स्टाफकी स्वीकृति	संख्या 2825 / 28-3-581) / 86 दिनांक 28-3-1987	70-73
19	विश्व बैंक पोषित परियोजनार्गत संशोधित पशुपालन कार्यक्रम हेतु इन्कीमेन्टल स्टाफ की स्वीकृति	संख्या 886 / 28-3-7 (102) / 83 दिनांक 4 मार्च 1987	74-76
20	हिमालयन जलगम प्रबन्ध परियोजना के अन्तर्गत इन्कीमेन्टल स्टाफ को जलागम प्रबन्ध शासन के प्रशासनिक नियंत्रण में रखना	पत्रांक 1578 / 28-3-5(20) / 88 दिनांक 111 मई, 1988	77-81
21	भीमताल परियोजना की स्वीकृति	संख्या 199 / 28-3(24) / 90 दिनांक 22 मार्च, 1991	82-85
22	ईईसी पोषित भीमताल परियोजना हेतु स्टाफ की स्वीकृति	संख्या 2131 / 28-3-5(24) / 90 दिनांक 18 दिसम्बर, 1991	86-103
23	सामग्री क्रय नियमों के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्षों की प्राप्त स्वंतंत्र क्रय के अधिकार की वित्तीय सीमा में वृद्धि	संख्या 2573 / एसपी / 10-7-76 / 86 दिनांक 8 जनवरी, 1992	104-105
24	विश्व बैंक एवं ईईसी पोषित जलागम प्रबन्ध योजनान्तर्गत सृजित अस्थायी पदों का वर्ष 1992-93 में निरन्तरता की स्वीकृति	संख्या 3462 / 28-3-5 (16) / 86 दिनांक 23 जनवरी 1996	106-129
25	ईईसी द्वारा वित्त पोषित दक्षिणी भागीरथी फेज-2 जलागम परियोजना हेतु पदों का सृजन	संख्या 3425 / 28-3-5(46) / 86 दिनांक 26 फरवरी, 1993	130-134
26	सरकारी कार्यालयों एवं सहायता प्राप्त निकायों द्वारा लेखन सामग्री एवं अन्य वस्तुओं की स्थानीय खरीदारी	संख्या सी-15 / उप0 / ग-2 / ले0सा0 दिनांक 36 मई 1993	135-137
27	ईईसी वित्त पोषित दक्षिणी भागीरथी फेज-11 जलागम प्रबन्ध परियोजना में सृजित पदों की समाप्ति	सं0 2940 / 28-3-5(46) / 76 दिनांक 11 जनवरी 1994	138-141
28	दक्षिणी भागीरथी फेज-2 जलागम प्रबन्ध परियोजना के अन्तिम चरण के अन्तर्गत पदों की समाप्ति	संख्या 2418 / 28-3-5(83) / 92 दिनांक 12 दिसम्बर 1995	142-145
29	वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन	संख्या ए-2-970 / दस-96-26 (7) / 95	146-153

प्रेषक,

गोपाल दास मेहरोत्रा  
संयक्त सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन

‘ सेवा में

मुख्य वन संरक्षक नियोजन  
उत्तर प्रदेश लखनऊ

पर्वतीय विकास अनुभाग –3

लखनऊ दिनांक 31 मार्च 1982

महोदय,

मुझे यह कहना का निर्देश हुआ है कि शासन ने यह निर्णय लिया है कि पर्वतीय क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन बनाये के लिये एवं विभिन्न विभागों के अन्तर्गत किये जा रहे भूमि तथा जल संरक्षण और दुसरे विभाग सम्बन्धि तमाम कार्य /योजनाओं को समेकित रूप से एक ही प्रशासकीय अथारिटी के अन्तर्गत मल्टीडिसिप्लिनिरी फोर्स के माध्यम से कार्यान्वित करने के उद्देश्य से उक्त कार्यों को अब नदियों के जलागम क्षेत्र के आधार पर किया जाय। इस पद्देश्य की पूर्ति हेतु पूरे पर्वतीय क्षेत्र को सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के आधार पर बॉट कर शनैःशनैः योजनायें कार्यान्वित की जायेगी तथा अगले 20 वर्षों की अवधि में सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र इन योजनाओं के अन्तर्गत आ पायेगा। सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के चयन में प्राथमिकता उन क्षेत्रों की दी जायेगी जहां भूक्षरण अधिक हो रहा है।

इस योजना के अन्तर्गत पर्यावरण के परिरक्षण के तथा भूक्षरण को रोकने से संबंधित कार्यों वृक्षारोपण, चारागाह विकास, सामाजिक वानिकी, फलोध्यानों का लगाना, लकड़ी डिपोट की स्थापना, अग्नि से बनों की सुरक्षा एवं चरान का नियंत्रण, अच्छे नस्ल की पशुओं में वृद्धि उन्नत भूमि के लिए उन्नतशील बीजों एवं उर्वरकों के वितरण तथा लघु सिंचाई योजनायें तथा लघुअभियांत्रिक से सम्बन्धित कार्यों के सफल एवं सूचारू रूप से समेकित निम्नवत संगठन प्रस्तावित हैं:-

(क) राज्य स्तर पर एक निदेशालय की स्थापना संलग्नक-1 के मद संख्या के मद-1के अनुसार।

जिला स्तर पर जलागम प्रबन्धक इकाई संलग्नक-1 के मदसंख्या—/ के अनुसार।

(ख) मद संख्या-2 में दिये गये स्टाफ के अतिरिक्त कान्टन्जेन्सी के व्यय भार वहन करते हुये वेतन के आधार पर 3-4 फिल्ड अटेन्डैन्ट भी नियुक्त किये जा सकेंगे।

(ग) प्रत्येक 4-5 तक चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के लिए जिनका कुल क्षेत्र फल सामान्यता 25000 हैक्टेयर के लगभग होगा एक परियोजना प्रबन्धक इकाई का संगठन संलग्नक-1 के मद संख्या 3 के अनुसार। किसी भी क्षेत्र में पहले से उपलब्ध स्टाफ की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

(घ) सूक्ष्म जलागम क्षेत्र स्तर पर सर्वेक्षण एवं प्लानिंग संरचना इकाई के स्टाफ का संगठन प्रत्येक जनपद में अधिकतम दो इकाईयां संलग्न-1 में मदसंख्या-4 के अनुसार।

वर्तमान में वन विभाग के अन्तर्गत देहरादून में कार्यरत भूमि सर्वेक्षण निदेशालय को राज्य स्तरीय निदेशालय से सम्बन्ध किया जायेगा। राज्य स्तरीय निदेशालय का मुख्यालय भी देहरादून में होगा। प्रश्नगत योजना के सफल संचालन व तकनीकी दृष्टि से सुचारू कार्यवाही और क्षेत्र में आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष में उपलब्ध करे जाने हेतु निदेशक, फलोध्यान / पर्वतीय क्षेत्र/अतिरिक्त निदेशक, कृषि, एवं भूमि सर्वेक्षण / पर्वतीय क्षेत्र / एवं अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन/ पर्वतीय क्षेत्र/ की सेवाएं भी निदेशालय में उपलब्ध रहेंगी। फलोध्यान , पशुपालन, कृषि, भूमि संरक्षण आदि सेक्टर के संबंध में उपलब्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों का परियोजना प्रबन्धक इकाई में समायोजन वर्तमान कार्यभार को देखते हुए भविष्य में स्वीकृत की जाने वाली हवाई में यथा संभव किया जायेगा।

इस संबंध में मुझे यह भी कहना है कि वर्तमान में साउथ भारीस्थी जलसग्रहण योजना / जनपद टेहरी गढ़वाल / यूरोनियम आर्थिक समुदाय के सहयोग से वर्षों की अवधि में 4 करोड़ 65 लाख रुपये की लागत के कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में शासनादेश अलग से जारी होंगे। इस योजना के अन्तर्गत अधिक भूक्षरण से प्रभावित निम्न सूक्ष्म जलागम क्षेत्र कमशः घेरगांव, चन्द्रभागा और चम्बा क्षेत्रों की योजना कार्यान्वित की जायेगी। संलग्न-1 के मदसख्या-1 में उल्लिखित निदेशालय की स्थापना हेतु राज्यपाल महोदय पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 87 अस्थायी पद उनके समुख दिये गये वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 28-2-83 तक के लिये यदि उन्हे **षहस** ही में बिना पूर्व नोटिस के समाप्त न कर दिया जाए, सुजन करने की स्वीकृति प्रधान करते हैं।

साउथ ऑफ भागीरथी जलसंग्रहण योजना जनपद टेहरी गढवाल के अन्तर्गत फिलहाल जनपद स्तर की जलागम प्रबन्धक इकाई की स्वीकृति नहीं दी जा रही है। इस जनपद में जब कार्य में बृद्धि होगी तब जनपद सेक्टर पद जलागम प्रबन्धक इकाई की स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। साउथ ऑफ भागीरथी जलसंग्रहण योजना के अन्तर्गत परियोजना प्रबन्धन के एक इकाई के गठन की स्वीकृति संलग्नक-1 मदसंख्या-3 में दिये गये विवरण के अनुसार राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं। इस परियोजना प्रबन्धक इकाई में कुल 22 अस्थायी पद उनके समुख अंकित वेतनमान में नियुक्ति की तिथि से 28-2-83 तक के लिए उन्हें बीच में बिना पूर्व नोटिस के समाप्त न कर दिया जाय के सृजन की स्वीकृति भी राज्यपाल महोदय करते हैं। सूक्ष्म जलागम क्षेत्र स्तर पर सर्वेक्षण एवं प्लानिंग संरचना का कार्य साउथ भागीरथी योजना के अन्तर्गत तो किया ही जाना है इसके अतिरिक्त दुसरे सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के लिए भी योजना का प्रारूप तैयार करना है। अतः राज्यपाल महोदय सर्वेक्षण एवं प्लानिंग संरचना के लिए चार इकाईयों की स्वीकृति संलग्नक-1 मदसंख्या-5 के अनुसार प्रदान करते हैं। इस चारों इकाईयों में कुल 44 तक के लिये यदि बीच में ही बिना पूर्व नोटिस के समाप्त न कर दी जाय, के सृजन की स्वीकृति भी श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं।

5- डाइवर की नियक्ति गाड़ियों के क्र्य के पश्चात उनकी संख्या के अनुरूप की जायेगी।

6- चालू वित्तीय वर्ष में राज्यपाल महोदय प्रश्नगत योजना के कार्यान्वित हेतु अनाधिक 2,00,000 दो लाख रु० मात्र की स्वीकृति प्रदान करते हैं जिसे निम्नयदों पर नीचे दिये गये विवरण के अनुसार व्यय किया जायेगा:-

1.	वेतन	रूपये
2.	मंहगाई भत्ता	1000
3.	यांत्रिक	1000

4.	अन्य भत्ते	1000
5.	कार्यालय व्यय	10000
6.	टेलीफोन व्यय	1000
7.	किराया उप शुल्क और स्वामित्व	1000
8.	प्रकाशन	1000
9.	विज्ञापन, विक्रीऔर विज्ञापन व्यय	1000
10.	सहायक अनुदान/अशंदान/राज्य सहायता	1000
11.	छात्रवृत्ति और छात्रवेतन	1000
12.	निर्माण कार्य वृहद/लघु	1000
13.	मशनी तथा चाज्जा /उपकरण और संयंत्र	1000
14.	मोटर गाड़ी —गाड़ीयों का क्रय —गाड़ीयों का अनुरक्षण व पेट्रोल की खरीद	1000 175000 कुछ नहीं
15.	अनुरक्षण	1000
<b>योग :-</b>		<b>200000</b>

उक्त व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं अधिकारों के अन्तर्गत किया जा तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी। योजना की मासिक प्रगति/विवरण तथा भौतिक प्रगति शासन को बराबर निर्धारित समय पर भेजी जायेगी। मोटर गाडियो हेतु प्राविधानिक 1 लाख 75 हजार रुपये धनराशि से ग जी0 मय ट्रेलर का क्रय रु0 90,000/- तथा एक एम्बेसेडर कार का क्रय रुपया 85,000/- किया जायेगा।

7— उपरोक्त प्रस्तर 4 में स्वीकृत तथा संलग्नक—1 में मदसंख्या 1,3, और 5 में वार्णित पदों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों तथा अधिकारियों को समय—समय पर जारी होने वाले शासनादेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

8— उक्त संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 81—82 के आयव्यय में 'लेखाशीर्षक 299— विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र आयोजनागत—पर्वतीय क्षेत्र—व—अन्य व्यय /2 वन —साउथ भागीरथी —सूक्ष्म जलागम क्षेत्र प्रबन्ध निदेशालय की स्थापना के नामे डाला जायेगा। यह आदेश वित्त विभाग के आशयकीय संख्या :ई—8—924—दल दिनांक 31 मार्च 1982 में प्राप्त सहमति से जारी कि जा रहे हैं।

### भवदीय

गोपाल दास मेहरोत्रा  
संयुक्त सचिव

संख्या जी७ /२८-३-७/७५

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से

गोपाल दास मेहरोत्रा  
संयुक्त सचिव

संख्या जी ७ /२८-३-७/७५

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १— आयुक्त कृषि, उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- २— वित्त सचिव /कृषि सचिव/ नयोजन सचिव/सिंचाई सचिव।
- ३— मुख्य अरध्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- ४— अतिरिक्त मुख्य अरध्यपाल गढ़वाल मण्डल देहरादून।
- ५— मण्डलायुक्त, कुमार्यौं /गढ़वाल मण्डल।
- ६— पर्वतीय क्षेत्र के समस्त जिलाधिकारी।
- ७— समस्त विभागाध्यक्ष, पर्वतीय क्षेत्र।
- ८— कृषि निदेशक/ पशुपालन निदेशक /उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा निदेशक, पशुपालन, रानीखेत एवं मुख्य अभियन्ता, सिंचाई उ०प्र० लखनऊ।
- ९— समस्त अरध्यपाल, वन विभाग, उत्तर प्रदेश।
- १०— प्रोजेक्ट निदेशक, भूमि सर्वेक्षण, उ०प्र० देहरादून।
- ११— नियोजन अनुभाग-३।
- १२— वित्त व्यय –नियत्रण अनुभाग-८।
- १३— वन अनुभाग-३/४।
- १४— पर्वतीय विकास अनुभाग-४।
- १५— निदेशक, पंचायत राज एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- १६— निजी सचिव, सचिव पर्वतीय विकास/ राज्य मंत्री पर्वतीय विकास विभाग उपाध्यक्ष द्वितीय पर्वतीय विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से

गोपाल दास मेहरोत्रा  
संयुक्त सचिव

I yxud  
 jkT; Lrj ij funs kky; e LVkQ dk I xBu  
 en I a[; k

d0 l0 i nuke	i nk dh l a[; k	orueku
1& eq[; i f'; kstuk funs kd vfr0 eq[; vj.; i ky ds Lrj ds vf/kdkjh	1	250&125@2&2500
2& mi funs kd tks fo"k; fo k's'k okfudh] i 'kij kyu] Qyks'kuu] df"k df"k rFkk vfhkfu; a=.k fo' k's'kK gkoxA 2 l o[k.k , oafu; kstu rFkk vfkl kkl=h	8	1250&50&1300&60&1660n0j k0&60& 1900&75&2050
3&l gk; d funs kd l o[k.k , oaflykfus rFkk l k[ dh; dks feykdj	9	850&40&10\$50&n0j k0&50&1300 &60&1442n0j k0&60&1720
4& ofj "B ys[kk vf/kdkjh	1	1250&50&1300&60&1660&n0j k0&60&190 0 &75&2050
5& T; \$B l k[; dh@ vfkl kkl=h gk; d	4	625&30&035&n0j k0&30&925 &35&1065n0j k0&35&1240
6& T; \$B {ks= vuq yku drkz	4	rnb
7& vk'kfyfi d	1	570&25&770o0j k0&30&900&n0j k030&900 &j 0j k0& 30&1100
8& vk'kfyfi d	9	470&25&575&o0j k0&15&650&17&701&n0 j k0&17 & 701&n0j k0&17&735
9& ekufp=dkj	2	rnb
10& l o[k j	2	rnb
11& vU;	4	rnb
12& dk; kly; v/kh{k d xM&1	1	625&30&035n0j k0&30&925&35&1065& n0j k0&35&1240&n0j k0&40&1360
13& dk; kly; v/kh{k d xM&2	2	570&25&770n0j k0&30&900n0j k030&1100
14& ofj "B fyfi d	4	430&12&490&&15&520&n0j k0&15&640& n0j k0&15& 605
15& dfu"B fyfi d	8	354&10&424&o0j k0&10&454&12&514&n0 j k0&12&550
16&ofj "B l gk; d	2	516&15&590&18&626&o0j k0&16&600&20 &700&n0j k0&205060
17& ys[kdkj	2	570&25&770&n0j k0&30&900&n0j k0&30& 1100
18& Vdd	4	354&10&424n0j k0&10&454&12&514&n0j k0&12& 550
19& xkMh pkyd	2	330&7&365&0&301&o0j k0&0&405&9&45 0&n0j ks 9 &495
20& vnlyh	9	305&5&330o0j k0&6&360&o0j k0&6&390
21& Mkdjuj	1	rnb
22& ekyh	1	rnb
23& pkdhnkj	1	rnb
24& pi jkl h	3	rnb
; kx&	85	

पत्रांक 17 पर अकिंत लेखाकार के पद के लिये यदि सीधी भर्ती की नियुक्ति की जायेगी तो अर्हता ३०८०८० या काम जिनके पास काम में एकाउटेसी विषय रहा है। रक्खी जाय अन्यथा पदोन्नति की दशा में सहायक लेखाकार ४७०—७३५ के पद पर १० पर्ष का अनुभव रहा है।

गोपाल दास मेहरोत्रा  
संयुक्त सचिव

### संलग्नक मद संख्या –३

#### ३ से ५ तक चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्र के लिये परियोजना प्रबन्धक इकाई

१— परियोजना प्रबन्धक	१	१२५०—५०—१३००—६०—१६६०—८०—६०—१९००—७५—२०५० यदि परियोजना प्रबन्धक भारतीय वन सेवा का अधिकारी नियुक्त होता है तो अपने संवर्ग के वेतनमान में वेतन आहरित करेगा।
२— सांख्यकी सहायक	१	५७०—२५—७७०—८०—३०—९८०—८०—३०—११००
३— एकाउन्टेट	१	४३०—१२—४९०—१५—५२०—८०—१५—६४०—८०—१५—६८५
४— वरिष्ठ लिपिक	२	तदैव
५— कनिष्ठ लिपिक—कम टक्क	३	३५४—१०—४२४—८०—१०—४५५—१२—५५०
६— चपरासी	१	३५०—५—३३०—८०—६—३६०—८०—६—३९०
७— चौकीदार	१	तदैव
८— सहायक अरण्यपाल	१	८५०—४०—१०५०—८०—५०—१३००—६०—१४२०—८०—६०—१७००
९— सहायक अभियन्ता लघु सिचाई तथा अन्य अभियंत्रण कार्य	१	तदैव
१०— फारेस्ट रेन्जर	१	५७०—२५—७७०—८०—३०—९८—८०—३०—११००
११— डिप्टी रेन्जर	१	४३०—१२—४९०—१५—५२०—८०—१५—६४०—८०—१५—६८५
१२—फारेस्ट गार्ड	३	३३०—७—३६५—८—३८१—८०—८—४०५—९—४५०—८०—९—४९५
१३— ग्रुप१ के कृषि, फलोद्यान, तथा भूमि संरक्षण संबंधी अधिकारी	३	५७०—२५—७७०—८०—३०९८०—८०—३०—११००

14—असिस्टेन्ट सर्जन	1	770—40—1050—द०रो—50—1300—60—1420—द०रो—60—1600
15— डाइवर	1	330—7—365—8381—द०रो—8—405—9—450द०रो—9—495
योग—	22	

गोपाल दास मेहरोत्रा

संयुक्त सचिव

संख्या 8318 / 28—3—7—(67) / 83

प्रेषक,

कु0 सरला साहनी  
संयुक्त सचिव,  
पर्वतीय विकास विभाग,

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक,  
वाटर शेड मैनेजमेंट 245, बसन्त बिहार, लखनऊ दिसम्बर 15— 1983  
उत्तर प्रदेश देहरादून।

विषयः— पर्वतीय क्षेत्र की वाटर शेड मैनेजमेंट की योजना के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता के जनपद पौड़ी गढ़वाल के नयार जलागम ..... की जा रही जलासंग्रहण प्रबन्ध योजना में शामिल श्रीनगर उप जलागम क्षेत्र की योजना के कार्यान्वयन हेतु स्टाफ की स्वीकृति ।

महोदय,

उपयुक्त विषयक आपके पत्र सं0 5—कैम्प, दि07—10—1983 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग से पर्वतीय क्षेत्र में नयार पौढ़ी गढ़वाल / पनार अल्मोड़ा क्षेत्र के सूक्ष्म जलाग्रहण क्षेत्रों में जिसमें से 74 सूक्ष्म जलाग्रहण क्षेत्र नयार .....में तथा 9 सूक्ष्म जलाग्रहण क्षेत्र / पनार उप जलागम के अन्दर आते हैं। ..... योजना 44 करोड़ की लागत से 7 वर्ष की अवधि के कार्यकाल .....  
..... जाने का निर्णय लिया गया है। योजना के अन्तर्गत उक्त सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में इस दिशा में तय की गयी प्राथमिकता के अनुसार योजनायें कियान्वित की जायेगी। चालू वित्तीय वर्ष में मछियाड़ उप जलागम की ..... जिसमें अन्तर्गत 4 सूक्ष्म जलाग्रहण क्षेत्र शामिल हैं तथा जिसे प्रथम ..... रखा गया है की स्वीकृति शासनादेश सं0 8232 / 28—3—7 / 75 / 81 टी0 ..... दिनांक 5—10—1983 द्वारा दी गयी है। श्रीनगर उप जलागम क्षेत्र जिसके अन्तर्गत / सूक्ष्म जलासंग्रहण क्षेत्र शामिल है में 36,600 है0 .... में वित्तीय वर्ष 1984—85 में वर्ष मे प्रारम्भ से ही कार्य किया जायेगा। ..... इस दृष्टि से कि कार्य अगले वर्ष समय से प्रारम्भ किया जा सके, राज्यपाल महोदय उक्त उप जलागम हेतु एक परियोजना प्रबन्ध इकाई की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

जिसके लिए शासनादेश सं0 जी-7/28-3-7/75/89..... में स्वीकृत मानक मद सं0 3 के अनुसार ..... दिया गया है। कुल 22 अस्थाई पदों की नियुक्ति की तक के लिए यदि उन्हें बीच में ही समाप्त न कर दिया ..... . की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— उक्त पदों के पद धारकों को शासन द्वारा ..... निर्धारित सामान्य नियमों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत मंहगाई भत्ता .... अन्य भत्ते देय होंगे।

3— उक्त संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 1983—84 के बजट मे लेखा शिरक “299— विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र आयोजनागत पर्वतीय क्षेत्र — अन्य व्यय 1 वन— पर्वतीय क्षेत्र टिहरी गढ़वाल के साउथ आफ भागीरथी जलागम क्षेत्र की योजना तथा जलागम प्रबन्ध निदेशालय माइको वाटर शेड की योजना” के अन्तर्गत संबंधित प्राथमिक इकाईयों में डाला जायेगा।

4— ये आदेश वित्त विभाग से अशासकीय पत्र सं0 ..... दिनांक 13—12—1983 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

सरला साहनी  
संयुक्त सचिव

Iks'kd

dø I jyk I kguh  
I a Ør I fpo]  
i ojh; fodkl foHkkx]

I sok ei]

ej[; i fj; kstuk funs' kd]  
okVj 'kM eute mRrj i ns' k ngj kniuA

i ojh; fodkl vuHkkx&3 y[kukÅ % fnukd % fl RkEcj 12&1983

fo"k; % i ojh; {ks= dh okVj 'kM eute JV dh ; kstuk ds vJrx]r fVgjh x<øky tuin I kmFk vkQ Hkkxhj Fkh tykxe {ks= ; kstuk ds dk; klo; u gry tuin Lrj ij tykxe i zU/k bdkbl dh LFkki ukA

egkn; ]

mi ; ØRk fo"k; d vki ds i = I Ø ih&7615@36@, p&51&l hoi ho fnukd 21&5&1983 rFkk 'kkl ukn's k I Ø 2103&28&3&1983] fnukd 18&4&1983 ml h I a[; k ds RkFkk----- 'kkl ukn's k fnukd 28&4&1983] ds I nHkz ei eps ; g dgus dk funs' k gvk gA fd jkT; iky egkn; pky foRrh; o"kl 1983&84 ei fVgjh tuin ei I kmFk vkQ Hkkxhj Fkh ; kstuk ds dk; klo; u gry tuin Lrj ij ,d tykxe i zU/k bdkbl ftl dk ej[; ky; efudhj rh ei jgsxk dh Lohdfr inku djrs gftl ds fy; s mDr 'kkl ukn's k fnukd 31&3&83 ei ml ds I yxud ds en I Ø&2 vi M Ldsy ds vuq kj pky foRrh; o"kl 1983&1984 ei fuEufyf[kr vLFkbl inks ds muds I keus vfdr orueku ei dk; z Hkj xg.k djus dh frfFk I s 29&2&1984 rd ; fn fcuk fd l h i wZ ukfVI ds chp ei gh I ekir u dj fn; k tk; ds I tu dh Hkj Lohdfr inku dh tkrh gA

I Ø in dk uke	i nks dh I a[; k	oreku	vfk; fDr
2	3	4	5
ou I j{kd Yi kst DV funs' kd%		1540&60&1900&n0j k0 &2200	; fn i k'; kfdr dkye&2 ei of.kr i n ei Hkj rh; ou I sok vf/kdkj h fu; Ør fd; k tkrk gA rks og vi us I wZ dk orueku i k; xhA
i Hkkxh; fo' k'kK	5	1250&50&1300&60&1 660&nk0j k060	
okfudh i 'kj kyu@Qyks  ku@df"k-		1900&75&2050	

@ vfHk; æ. k			
3& ys[kk vf/kdkjh	1	850&40&1050&n0j k0& 50&1300&60&1420&n 0j k0&60&1720	
4& vkl' kf yfi d	1	470&15&575&n0j k0	
5&i kf of/kdh l gk; d&okfudh@i 'kj kyu @Qyks  ku@df"k@vfHkf u ; æ. k vFkok xj &1 ds l {ke Lrj ds vf/kdkjh	4	570&25&770&n0j k0&3 0&980 n0j k0&30&1100	
6& vi j vfHk; Urk	1	515&15&590&18&626 &nk0j k0&10&60020&7 80& nk0j k0&20&735	
7& MkVeu	1	470&15&575&nk0j k0& 15&650&17&701&nk0j k0&17&735	
8& vUos"k. k de l xBu	1	rnb	
9& ofj "B l gk; d	1	rnb	
10&ofj "B@fyfi d@ys[kk fyfi d	2	430&12&490&15&520 &nk0j k015&640 nk0j k015&695	ys[kk fyfi d ds i n U; ure 5 o"kl dh ys[kk i frl dj us i j i nklufr }kj k dfu"B ys[kk fyfi dka l s Hkj s tk; x ftudh vkgzr k bAj dkel z ¼, dkmlvsl hñ l fgr gksxhA
11&Vd. k	4	354&10&424&n0j k0&1 0&454&12&514&nk0j ks 0&12&550	
12&dfu"B fyfi d	1	rnb	
13&Mkboj	1	330&7&365&0&381&n k0j k0&8&405&9&450& nk0j k0&9&495	
14& pi jkl h	1	305&5&330&nk0j k0&6 &360&n0j k0&6&390	
; kk	25		

2& mDr i nks ds i n/kkj dka dk 'kkl u }kj k l e; i j fu/kkfjr l kekU; fo"k; k , oa 'kkl ukns kka ds vUrxlr egxkbz HkRRkk , oa vU; Hkrn Hkh ns gksxA

3& mDr l xU/k ei gksus okyk 0; pkyw foRrh; o"kl 1983&84 ds vk; &0; ; d ei ys[kk 'kh"kl 299&fo' k"k , oa fi NMg gq s {ks= vk; kstu kxr&i olh; {ks= vU; 0; ; ½ ou&13 l kmFk vklQ Hkkxhj Fkh tykxe {ks= ; kstu l fe tykxe {ks= i xU/k funs kky; dh LFkki uk ds ukei Mkyk tk; xkA

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सत्र संख्या ई—०—२०७२/दस—दिनांक ७—९—१९८३ में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(सरला साहनी)  
संयुक्त सचिव

संख्या 7170 (1)/20—३—७(५७)/८३

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मुख्य सचिव उ०प्र० शासन।
2. आयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, उ०प्र० लखनऊ।
3. सचिव, वन विभाग उ०प्र० को उनके साथ सचिव पर्वतीय विकास विभाग की वार्ता के अनुक्रम में।
4. सचिव वित्त/ कृषि सचिव/नियोजन सचिव/सिंचाई सचिव/उ०प्र०शासन।
5. महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद।
6. मुख्य अरण्यपाल, उ०प्र०, लखनऊ (३ अतिरिक्त प्रतियो सहित)।
7. अपर मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल मण्डल देहरादून।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, पर्वतीय क्षेत्र।
9. कृषि निदेशक/पशुपालन निदेशक/फलोद्यान निदेशक/मुख्य अभियन्ता लघु सिचाई, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10. वन संरक्षक गढ़वाल देहरादून।
11. प्रोजेक्ट निदेशक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय देहरादून।
12. नियोजन (३) अनुभाग वित्त वेतन आयोग (अनुभाग)।
13. वन अनुभाग (३) (४) (१/१२)।
14. पर्वतीय विकास अनुभाग (४) (५) टै०सेल।
15. निदेशक सूचना एवं न सम्पर्क विभाग उ०प्र० लखनऊ।
16. निजी सचिव, मंत्री पर्वतीय विकास विभाग।
17. निजी सचिव, सचिव, पर्वतीय विकास विभाग।
18. निजी सचिव, उपाध्याक्ष (द्वितीय) पर्वतीय विकास परिषद लखनऊ।

आज्ञा से

(सरला साहनी)  
संयुक्त सचिव

**प्रेषक**

आर0सी0 श्रीवास्तव  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक  
जलागम प्रबन्ध परियोजना,  
उत्तर प्रदेश, देहरादून।

पर्व0 विकास अनुभाग—3

लखनऊ : दिनांक 5 दिसम्बर, 1984

विषय:- उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या -36/5-15(2), दिनांक 11-7-1984 तथा शासनादेश सं0 8870/28/3-7(92)/83 दिनांक महोदय 21-4-84 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल /चालू वित्तीय वर्ष 1984-85 में टिहरी जनपद की साउथ आफ भागीरथी योजना के कार्यान्वयन पदों के उनके सामने अंकित वर्तेनमान में कार्य भार ग्रहण करने की तिथि से 28-2-1985 तक, सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- उक्त पदों के पद धारकों को शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अंतर्गत मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3- उक्त संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 1984-85 के आय व्यय में लेखा शीर्षक “299-विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्रों आयोजनागत-पर्वतीय क्षेत्र -ठ- अन्य व्यय (1) वन-28 साउथ आफ भागीरथी जलागम क्षेत्र योजना तथा सूक्ष्म जलागम प्रबन्ध निदेशालय की स्थापना” के नामे डाला जायेगा।

4- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-8-2667/X- 84 दिनांक 22-11-84 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

**भवदीय**

(आर0सी0 श्रीवास्तव)  
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. आयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विभास, उ0प्र0 लखनऊ।
2. सचिव, वन विभाग उ0प्र0।
3. सचिव वित्त / कृषि सचिव/नियोजन सचिव/सिंचाई सचिव/उ0प्र0शासन।
4. महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
5. मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
6. अपर मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल मण्डल देहरादून।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, पर्वतीय क्षेत्र।
8. कृषि निदेशक/पशुपालन निदेशक/फलोद्यान निदेशक/मुख्य अभियन्ता लघु सिचाई, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. वन संरक्षक गढ़वाल देहरादून।
10. प्रोजेक्ट निदेशक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय देहरादून।
11. नियोजन (3) अनुभाग वित्त वेतन आयोजन (अनुभाग)।
12. वन अनुभाग (3) (4) (1 / 12)।
13. पर्वतीय विकास अनुभाग (4) (5) टैक्नीकल सैल।
14. निजी सचिव, मंत्री पर्वतीय विकास विभाग।
15. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
16. निजी सचिव, सचिव, पर्वतीय विकास विभाग।
17. निजी सचिव, उपाध्याक्ष (द्वितीय) पर्वतीय विकास परिषद लखनऊ।
18. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
19. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
20. वित्त (वेतन आयोग) अनु0-1 व-2 (3-3 प्रतियाँ)।
21. मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन।
22. सचिव, वन विभाग उ0प्र0 को उनके साथ सचिव पर्वतीय विकास विभाग की वार्ता के अनुक्रम में।
23. मुख्य अरण्यपाल, उ0प्र0, लखनऊ (3 अतिरिक्त प्रतियो सहित)।

आज्ञा से

(आर0सी0 श्रीवास्तव)  
संयुक्त सचिव

संलग्नक

क्र०सं०	कम्पोनेन्ट का नाम पद	वेतनक्रम	अतिरिक्त स्टाफा जो स्वीकृति होने है।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
दक्षिणी भागीरथी परियोजना				
1—	उप जलागम प्रशासन			
1	उप प्रबन्धक	850—40—1050—द०रो०—50—1300— 60—1420—द०रो०—60—1720	1	
2—	पिओन / चौकीदार	305—5—330द०रो०—6—360—द०रो०— 6—390	1	
3—	झाइवर	330—7—365—8—381द०रो०—8—405—9— 450द०रो०—9—495	1	
(2)	वानिकी			
1—	वनराजिक	570—25—770—द०रो०—30—980—द०रो०— 30—1100	4	
2—	उप वनराजिक	430—12—490—15—520—द०रो०—15—640— द०रो०—12—550	4	
3—	फोरेस्टर	354—10—424—द०रो०—10—454—12—514— द०रो०—12—495	5	
4—	फोरेस्ट गार्ड	330—7—365—8—381द०रो०—8—405—9— 450द०रो०—9—495	29	
5—	प्लान्टेशन जमादार	तदैव	8	
6—	नयाब तहसीलदार	515—15—590—10—626—द०रो०— 18—680—20—780—द०रो०—20—860	1	
7—	सर्वेयर	470—15—575—द०रो०—15—650—17— 701—द०रो०—15—735	2	
8—	माली	305—5—330द०रो०—6—360—द०रो०— 6—390	4	
9—	वरिष्ठ सहायक	470—15—575—द०रो०—15— 650—17—701—द०रो०—17—735	1	
10—	आशुलिपिक	तदैव	1	
11—	वरिष्ठ लिपिक	430—12—490—15—520— द०रो०15—640—द०रो०15—685	1	
12—	किनिष्ठ लिपिक / टंकक	354—10—424—द०रो०—10—454—12— 514—द०रो०—12—550	2	
13—	डापटमैन / मानचित्रकार	470—15—575—द०रो०—15— 650—17—701—द०रो०—17—735	1	
14—	कनिष्ठ लिपिक (भण्डार)	354—10—424—द०रो०—10—454—12— 514—द०रो०—12—550	1	

15—	कनिष्ठ लिपिक (वृक्षारोपण)	तदैव	5	
16—	झाइवर	330—7—365—8—381द0रो0—8—405—9— 450द0रो0—9—495	5	
17—	चौकीदार	305—5—330द0रो0—6—360—द0रो0— 6—390	1	
18—	चपरासी	तदैव		
(3)	<b>उद्यान</b>			
1—	सहायक विकास अधिकारी	470—15—575—द0रो0—15— 650—17—701—द0रो0—17—735	1	
2—	माली .	305—5—330द0रो0—6—360—द0रो0— 6—390	4	
(4)	<b>पशुपालन</b>			
1—	लाइव स्टोक डेवलपमेंट आफिसर	770—40—1050—द0रो0—50—1300— 60—1420—द0रो0—60—1600	1	
2—	स्टाकमैन (पशु औषधिक) प्रशिक्षित	400—10—450—12—474—द0रो0— 12—570—द0रो0—15—615	1	
3—	/ बुल अटेंडेन्ट	305—5—330द0रो0—6—360—द0रो0— 6—390	4	
(5)	<b>लघु सिंचाई</b>			
1—	अवर अभियन्ता	515—15—590—10—626—द0रो0— 18—680—20—780—द0रो0—20—860	1	
2—	डाफ्टमैन / द्वेसर	330—7—365—8—381द0रो0—8—405—9— 450द0रो0—9—495	1	

(आर0सी0 श्रीवास्तव)  
संयुक्त सचिव

## प्रेषक

सरला साहनी  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक  
उ0प्र0 जलागम प्रबन्ध निदेशालय,  
151— वसन्त विहार, देहरादून।

पर्वतीय विकास अनुभाग —3                            लखनऊ : दिनांक 31 मई, 1985  
विषयः— विश्व बैंक सहायित जलागम प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत जनपद स्तरीय इकाई पौड़ी के लिये स्टाफ का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 1586/11 दिनांक 28 जनवरी, 1985 से संदर्भ में विश्व बैंक सहायित जलागम प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत जनपद स्तरीय इकाई पौड़ी जनपद के लिए राज्यपाल महोदय संलग्न में अंकित 25 पदों को नियुक्ति की तिथि से 28 फरवरी, 1986 तक के लिए सृजन की स्वीकृति प्रदान करते हैं बशर्ते कि उन्हें इससे पहले हो बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय। प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पदों के संबंध में आप संबंधित विभाग के विभागाध्यक्षों एवं सचिवों से सम्पर्क स्थापित कर कार्मिक प्राप्त करेंगे।

2— उपर्युक्त पदों के पद धारकों को शासन द्वारा समय—समय पर निर्धारित नियमों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमत्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

उक्त संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 1984—85 के आय व्यय में लेखा शीषक 3—“299—विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्रों आयोजनागत—पर्वतीय क्षेत्र —ठ— अन्य व्यय (1) वन—28 केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनायें—ठ— समन्वित माइक्रो वाटरशेड की परियोजना का कार्यान्वयन” के अन्तर्गत सम्बन्धित प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3— वित्तीय वर्ष 1985—86 में होने वाला व्यय लेखानुदान एवं सम्बन्धित विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत सीमा में रखा जायेगा तथा अनुवर्ती अवधि को लेखानुदान के अन्तर्गत नहीं है, के लिए व्यय तभी किया जायेगा जबकि वित्तीय वर्ष 1985—86 में मूल आय—व्ययक तथा सम्बन्धित विनियोग अधिनियम द्वारा धन उपलब्ध हो जाय।

5— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0 ई-8-1619/दस-85 दिनांक 17-5-19 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(सरला साहनी)  
संयुक्त सचिव

संख्या —184(1)/28-3-5(56) 84

कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

प्रतिलिनि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार (द्वितीय) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. सचिव, वन, कृषि, ग्राम्य विकास तथा सिंचाई
3. विशेष सचिव, क्षेत्रीय विकास तथा पशुधन।
4. निजी सचिव, पर्वतीय विकास मंत्री / राज्य मंत्री।
5. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-8।
6. वित्त (वेतन आयोग) अनु0-1/2 (6-6 प्रतियां)।
7. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी / कुमायू मण्डल नैनीताल
8. समस्त जिलाधिकारी प0 क्षेत्र।

आज्ञा से

(सरला साहनी)  
संयुक्त सचिव

जनपद स्तरीय इकाई पौडी के लिए स्टाफ का सूजन

क्रम संख्या	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनक्रम	अन्युक्ति
1	2	3	4	5
1—	जलागम प्रबन्ध / सयुक्त निदेशक कृषि अथवा उसके उसके समकक्ष वेतनमान	एक	1540—60—1900—द0रो0—75—2200	यदि भा० वन सेवा का अधिकारी हो तो अपने समवर्ग का वेतनमान
2—	विभागीय विशेषज्ञ वानिकी / पशुपालन / फलोद्यान / कृषि / अभियंत्रण	पॉच	1250—50—1300—60—1600—द0रो0 60—1900—75—2050	
3—	लेखाधिकारी	एक	450—40—1050—द0रो0—50—1300— 60—1420—द0रो0—60—1720	
4—	आशुलिपिक	एक	470—15—575—द0रो0—15—650— 17—701—द0रो0—17—735	
5—	प्राविधिक सहायक / वानिकी / पशुपालन / फलोद्यान / कृषि / अभियंत्रण अथवा ग्रुप—1के समकक्ष स्तर के अधिकारी	चार	570—25—770—द0रो0—30—980—द0 रो030—1100	
6—	अवर अभियन्ता	एक	515—15—590—18—626—द0रो0—18 —680—20—780—द0रो0—20—860	
7—	ड्राफ्टमैन प्रशिक्षित	एक	305—5—330द0रो0—6—360—द0रो0— 6—390	
8—	अन्वेषक कम संगठक	एक	तदैव	
9—	वरिष्ठ सहायक	एक	तदैव	
10—	वरिष्ठ लिपिक / लेखाधिकारी	दो	430—12—490—15—520—द0रो015— 640—द0रो015—685	लेखा लिपिक के पद न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले (निनिष्ठ लेखा लिपिकों से पदोन्नति से भरा जाय।
11—	टंकक	चार	354—10—424—द0रो0—10—454—12 —514—द0रो0—12—550	
12—	कनिष्ठ लिपिक	एक	तदैव	
13—	ड्राइवर	एक	330—7—365—8—381द0रो0—8—405 —9—450द0रो0—9—495	
14—	चपरासी	एक	305—5—330द0रो0—6—360—द0रो0—	

		6—390	
		पच्ची स	

(सरला साहनी)  
विशेष सचिव

## प्रेषक

सरला साहनी  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

मुख्य परियोजना निदेशक  
उ0प्र0 जलागम प्रबन्ध निदेशालय,  
151— वसन्त विहार, देहरादून।

पर्वतीय विकास अनुभाग —3

लखनऊ : मई, 6, 1985

विषयः— पर्वतीय क्षेत्र को जलागम प्रबन्ध परियोजना के अन्तर्गत विश्व बैंक को सहायता से जनपद पौड़ी गढ़वाल के नयार पनार जलागम क्षेत्र में की जा रही जलागम प्रबन्ध योजना के अनुसंधान इकाई के कार्योन्यवन हेतु स्टाफ की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 1814/11-4 दिनांक 26-5-1984 के संदर्भ में में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग से पर्वतीय क्षेत्र नयार (पौड़ी गढ़वाल) / पनार (अल्मोड़ा) क्षेत्र में जलाग्रहण प्रबन्ध योजना कार्यान्वित की जा रही है। योजना के अन्तर्गत कृषि भूमि पर भूमि संरक्षण अनुसंधान कार्य को पूर्ण करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि विश्व बैंक द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार अनुसंधान कार्य को पूर्ण किया जाय। इस दृष्टि से अनुसंधान कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जा सके, राज्यपाल महोदय अनुसंधान इकाई को स्थापना को स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— इस अनुसंधान इकाई के लिए संलग्नक विवरण पत्र में दिये गये विवरण के अनुसार 24 अस्थाई पदों के नियुक्ति को तिथि से 28-2-1986 तक के लिए यदि उन्हें बोच में हो समाप्त न कर दिय जाय, सृजन की स्वीकृति भी राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं। यह स्टाफ सम्बन्धित जिस स्थल पर शोध कार्य हो रहा है। यहाँ पर तैनात रहेगा।

3— उक्त पदों के पद धारकों की शासन द्वारा समय—समय पर निर्धारित सामान्य नियमों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

4— उपरोक्त स्वीकृति इस प्रति के साथ दी जा रही है कि चालू वित्तीय वर्ष के लेखानुदान की अवधि में जो भी व्यय किया जाये वह लेखानुदान के द्वारा उपलब्ध धनराशि के अन्दर हो रहे और लेखानुदान की अवधि के पद व्यय तभी किया जाय जब मुख्य बजट 1985—86 तथा सम्बन्धित विनियोग अधिनियम के द्वारा आवश्यक धनराशि उपलब्ध हो जाये ।

5— उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 1985—86 के बजट में लेखा शीर्षक” 299— विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्र—आयोजनागत पर्वतीय क्षेत्र—ठ—अन्य व्यय (1) वन — 28— केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—ड0— विश्व बैंक द्वारा समन्वित माइक्रोवाटर शेड को परियोजना” के अन्तर्गत सम्बन्धित प्राथमिक इकरईयों में डाला जायेगा ।

### भवदीय

(सरला साहनी)  
विशेष सचिव

संख्या—2183(1) / 28—3—7(112) 83

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्यविकास, उ0प्र0 लखनऊ ।
2. सचिव वन विभाग उ0 प्र0 ।
3. सचिव, वित्त/कृषि सचिव/नियोजन सचिव/सिंचार्ड सचिव/उ0प्र0 शासन ।
4. महालेखाकार (द्वितीय) उ0प्र0 इलाहाबाद ।
5. मुख्य वन संरक्षक पर्वतीय उ0प्र0 लखनऊ ।
6. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल मण्डल देहरादून ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, पर्वतीय क्षेत्र ।
8. कृषि निदेशक/पशुपालन निदेशक/फलोद्यान निदेशक/मुख्य अभियन्ता लघु सिचार्ड, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

**संलग्नक**

जलागम प्रबन्ध परियोजना अनुसंधान इकाई पौडी

क्रम सं0	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1—	सहायक निदेशक (हाइड्रोलौजी)	1	850—40—1050—द0रो0—50— 1300—60—1420—द0रो0—60 1720
2—	रेंज आफिसर (हाइड्रोलौजी)	1	570—25—770—द0रो0—30—980—द0रो0 30—1100
3—	टैक्निकल असिस्टेंट	5	354—10—424—द0रो0—10—454—12— 514—द0रो0—12—550
4—	प्रशिक्षित पर्यवेक्षक	11	330—7—365—8—381द0रो0—8—405—9— 450द0रो0—9—495

**वानिकी अनुसंधान**

1—	फारेस्ट रेंजर	1	570—25—770—द0रो0—30—980—द0रो0 30—1100
2—	फारेस्टर		354—10—424—द0रो0—10—454—12— 514—द0रो0—12—550
3—	वर रक्षक	2	330—7—365—8—381द0रो0—8—405—9— 450द0रो0—9—495
4—	चौकीदार	1	305—5—330द0रो0—6—360—द0रो0— 6—390
		योग—24	

(सरला साहनी)  
विशेष सचिव

## प्रेषक

सरला साहनी  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

मुख्य परियोजना निदेशक  
उ0प्र0 जलागम प्रबन्ध निदेशालय,  
151— वसन्त विहार, देहरादून।

पर्वतीय विकास अनुभाग —3

लखनऊ : दिनांक, 31—1—1985

**विषयः— विश्व बैंक द्वारा पोषित पनार राण्डीगाड, ..... एवं नयार द्वारा उप जलागम के लिए स्टाफ को स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 550/5-15(2) बी दिनांक 14 सितम्बर, 1984 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विश्व बैंक द्वारा पोषित सूक्ष्म जलागम के पनार उप जलागम तथा नयार जलागम कुल 19 सूक्ष्म जलागम क्षेत्र आते हैं, राज्यपाल महोदय संलग्नक में अंकित 88 पदों के नियुक्ति को तिथि से 28 फरवरी, 1985 तक के लिये सृजन को स्वीकृति प्रदान करते हैं। वशर्ते कि उन्हें इससे पहले ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय। इनमें प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पदों के सम्बन्ध में आप सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्षों एवं सचिवों से सम्पर्क स्थापित कर कार्मिक प्राप्त करेंगे।

- 2— उपर्युक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय—समय पर निर्धारित नियमों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
- 3— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 1984—85 के बजट में लेखाशीर्षक “—”299—विशेष एवं पिछड़े हुये क्षेत्रों आयोजनागत—पर्वतीय क्षेत्र —ठ— अन्य व्यय (1) वन—28 केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनायें—ड— समन्वित माइको वाटरशेड की परियोजना का कार्यान्वयन’ के अन्तर्गत सम्बन्धित प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
- 4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0 ई—8—411/दस—85 दिनांक 29—1—85 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

**भवदीय**

(सरला साहनी)  
संयुक्त सचिव

सं0 18(1) / 28-3-5(56 / 84..... दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित सचिव / विशेष सचिव के इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सृजित पदों में से वह पद जिन्हें प्रति नियुक्ति द्वारा भरा जाना है तथा जिसके नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल हैं, के सम्बन्ध में प्रतिनियुक्ति आदेश कृपया तुरन्त जारी करने का कष्ट करें।

1. सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष सचिव, क्षेत्रीय विकास, उ0प्र0शासन।
4. विशेष सचिव, पशुधन विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार

आज्ञा से

(सरला साहनी)  
संयुक्त सचिव

सं0 18(1) / 28-3-5(56 / 84 तद् दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जिन पदों के नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल नहीं हैं, पर प्रतिनियुक्ति के आदेश कृपया तुरन्त जारी कराने का कष्ट करें।

1. मुख्य वन संरक्षक, (पर्वतीय) उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक, कृषि विभाग, कृषि निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, जवाहर भवन लखनऊ।
4. निदेशक, उद्यान एवं फलोद्यान, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. अपर निदेशक, भूमि संरक्षण कृषि निदेशायल, उ0प्र0, लखनऊ।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार

आज्ञा से

(सरला साहनी)  
संयुक्त सचिव

सं0 18(1) / 28-3-5(56 / 84 तद् दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. आयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
2. महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. निजी सचिव, कृ0वि0मन्त्री / राज्य।
4. निजी सचिव, उपाध्यक्ष, द्वितीय वि0 परिषद उ0प्र0।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—..
6. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—..... (6—6 प्रतियां)।
7. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी / कुमायू मण्डल, नैनीताल।
8. समस्त जिलाधिकारी प0 क्षेत्र।
9. परियोजना निदेशक जलागम प्रबन्ध निदेशालय, मुनिकीरेती।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार

आज्ञा से

(सरला साहनी)  
संयुक्त सचिव

शासनदेश सं0— 184 / 28—3—5(56) / 84 दिनांक 31—1—1985 का संलग्नक  
चार उप जलागम इकाई पनार, राण्डीगाड, झटप्रयाग एवं ..... के लिये पदों का सूजन

क्रम संख्या	पद नाम	वेतनमान	पदों की संख्या		अभ्युक्ति
1	2	3	4		5
1—	परियोजना प्रबन्धक	1250—50—1300—60—1600— द0रो060—1900—75—2050	4	वन विभाग	प्रत्येक के लिये एक
2—	सहायक अरण्पाल	850—40—1050—द0रो0—50— 1300—60—1420—द0रो0—60 1720	4	वन विभाग	प्रत्येक के लिये एक
3—	सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई तथा अन्य अभियंत्रणक कार्य)	तदैव	4	लघु सिंचाई	
4—	पशुधन विकास अधिकारी	770—40—1850—द0रो0—50— 1300—60—1420—द0रो0—60— 1600	4	पशुपालन	प्रत्येक के लिये एक
5—	फारेस्ट रेन्जर	570—25—770—द0रो0—30—980—द0रो030—1100	4	वन विभाग	प्रत्येक के लिये एक
6—	कृषि फलोधान के ग्रुप—1 तथा भूमि संरक्षण सहायक	570—25—770—द0रो0—30—980—द0रो030—1100	12	वन तथा कृषि	प्रत्येक के लिये तीन
7—	सांखिकी सहायक	570—25—770—द0रो0—30—980—द0रो030—1100	4	वन विभाग	प्रत्येक के लिये एक
8—	लेखा लिपिक	430—12—490—15—520—द0रो015—640—द0रो015—685	4	वन विभाग	प्रत्येक के लिये एक
9—	वरिष्ठ लिपिक	तदैव	8	प्रतिनियुक्ति से भरा जायेगा	प्रत्येक के लिये दो
10—	कनिष्ठ लिपिक / टंकक	354—10—424—द0रो0—10—454—12—514—द0रो0—12—5 50	12		प्रत्येक के लिये तीन
11—	चपरासी	305—5—330द0रो0—6—360—द0रो0—6—390	4		प्रत्येक के लिये एक
12—	चौकीदार	305—5—330द0रो0—6—360—द0रो0—6—390	4		प्रत्येक के लिये एक
13—	झाइवर	330—7—365—8—381द0रो0—8—405—9—450द0रो0—9—4 95	4		प्रत्येक के लिये एक
14—	डिप्टी रेन्जर	430—12—490—15—520—द0रो015—640—द0रो015—685	4	वन विभाग	प्रत्येक के लिये एक
15—	फारेस्ट गार्ड	330—7—365—8—381द0रो0—8—405—9— 450द0रो0—9—495	12	वन विभाग	प्रत्येक के लिये तीन

प्रेषक

सरला साहनी  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक  
उ०प्र० जलागम प्रबन्ध निदेशालय,  
245— वसन्त विहार,  
उत्तर प्रदेश देहरादून।

पर्वतीय विकास अनुभाग —३

लखनऊ : दिनांक, 22 फरवरी, 1984

विषय :— पर्वतीय क्षेत्र की वाटर शेड मैनेजमेंट की योजना के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता से जनपद पौड़ी गढ़वाल के नयार जलागम क्षेत्र में की जा रही जलसंग्रहण प्रबन्ध योजना में शामिल श्री नगर, उप जलागम क्षेत्र की योजना के कार्यान्वयन हेतु स्टाफ की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या ८३१८/२८-३-७(६७) / ८३ दिनांक दिसम्बर, १५-१९८३ के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है। कि उक्त शासनादेश के संलग्नक में अंकित पदों तथा वेतनमानों में कुछ त्रुटी हो गई थी। अतएव उक्त पत्र के साथ भेजे गये “ संलग्नक विवरण पत्र” को इस पत्र के साथ लगाये गये “विवरण पत्र” से बदल लिया जायें।

२— उपरोक्त आदेश वित्त विभाग से अशासकीय पत्र संख्या ई-८/३४१—७-८४ दिनांक १८-२-८४ द्वारा प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(सरला साहनी)  
संयुक्त सचिव

सं0— 3/28-3-7(67) / 83

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सचिव ग्राम्य विकास ।
2. आयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ ।
3. सचिव, वन विभाग उ0प्र0 ।
4. सचिव वित्त / कृषि सचिव/नियोजन सचिव/सिंचाई सचिव/उ0प्र0शासन ।
5. महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद ।
6. मुख्य अरण्यपाल, उ0प्र0, लखनऊ (3 अतिरिक्त प्रतियो सहित) ।
7. अपर मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल मण्डल देहरादून ।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, पर्वतीय क्षेत्र ।
9. कृषि निदेशक/पशुपालन निदेशक/फलोद्यान निदेशक/मुख्य अभियन्ता लघु सिचाई, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
10. मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ ।
11. प्रोजेक्ट निदेशक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय देहरादून ।
12. नियोजन (3) अनुभाग वित्त वेतन आयोजन (अनुभाग) ।
13. वन अनुभाग (3) (4) (1/12) ।
14. पर्वतीय विकास अनुभाग (4) (9) टैक्नीकल सैल ।
15. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ0प्र0 लखनऊ ।
16. निजी सचिव, मंत्री पर्वतीय विकास विभाग ।
- 17.
18. निजी सचिव, उपाध्याक्ष (द्वितीय) पर्वतीय विकास परिषद लखनऊ ।
19. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग 8/वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग 2 6 प्रतियां ।
20. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल ।
21. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल ।
22. लेखा विभागों के क्षेत्रीय/जिला/ब्लाक स्तर के अधिकारी ।

आज्ञा से

(सरला साहनी)  
संयुक्त सचिव

संलग्नक विवरण—पत्र  
3 से 5 चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्र के लिए परियोजना प्रबन्धन इकाई

क्रम सं०	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	
1—	परियोजना प्रबन्धक	1	1250—50—1300—60—1600— द०रो०60—1900—75—2050	यदि परियोजना प्रबन्धन भारतीय वन सेवा का अधिकारी नियुक्त होता है तो अपने संवर्ग के वेतनमान में वेतन मान में वेतन आहरित करेगा।
2—	सांख्यकी सहायक	1	570—25—770—द०रो०—30—980—द०रो०—30—1100	
3—	लेखा लिपिक	1	430—12—490—15—520—द०रो०15— 640—द०रो०15—685	
4—	वरिष्ठ लिपिक	2	तदैव	
5—	कनिष्ठ लिपिक टक्कं	3	570—25—770—द०रो०—30—980—द०रो०—30—1100	
6—	चपरासी		305—5—330द०रो०—6—360—द०रो०— 6—390	
7—	चौकीदार	1	305—5—330द०रो०—6—360—द०रो०— 6—390	
8—	सहायक अरण्पाल	1	850—40—1050—द०रो०—50—1300— 60—1420—द०रो०—60—1720	
9—	सहायक अभियन्ता	1	तदैव	
10—	लघु सिंचाई तथा अन्य अभियन्त्रणा कार्य हेतु			
10—	फारेस्टर रेन्जर	1	570—25—770—द०रो०—30—980— द०रो०30—1100	
11—	डिप्टी रेंजर	1	430—12—490—15—520—द०रो०15— 640—द०रो०15—685	
12—	फारेस्ट गार्ड	3	330—7—365—8—381द०रो०—8—405— 9—450द०रो०—9—495	
13—	ग्रुप—1 के कृषि / फलोद्यान तथा भूमि संरक्षण संबंधी अधिकारी	3	570—25—770—द०रो०—30—980— द०रो०30—1100	
14—	पशुधन विकास अधिकारी	1	770—40—1850—द०रो०—50—1300— 60—1420—द०रो०—60—1600	
15—	झाइवर	1	330—7—365—8—381द०रो०—8—405— 9—450द०रो०—9—495	

(सरला साहनी)

संयुक्त

सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार  
पर्वतीय विकास अनुभाग—३  
संख्या 444 / २८—३—८४  
लखनऊ : दिनांक १ अगस्त, १९८४

### कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश हिमालय की पहाड़ियों में बनीकरण, समेकित जल संग्रह प्रबन्ध भूमि विकास की उचित व्यवस्था तथा बेग धारा नियंत्रण से सम्बन्धित प्रोजेक्टों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के आर्थिक सहयोग प्राप्त करने के लिये तथा राज्य स्तर पर जलागम परियोजनाओं की समीक्षा करने हेतु जलागम प्रबन्ध निदेशालय के अन्तर्गत इस कार्य हेतु पदों की स्वीकृति शासनादेश संख्या ८८७० / २८—३—७(९२) / ८३ दि० २१—४—१९८४ में प्रदान की गयी है।

२— उक्त शासनादेश में सुजित ८७ पदों में से निम्न पदों को सचिव, पर्वतीय विकास विभाग से सम्बद्ध करते हुये एक जलागम प्रबन्ध मूल्यांकन सैल बनाया जाता है।

क्र० सं०	पद का नाम	पदों की संख्या
१—	वन अर्थ शास्त्री	१
२—	ज्येष्ठ संख्यकीय / अर्थशास्त्र सहायक	१
३—	आशुलिपिक	१
४—	वरिष्ठ सहायक	१
५—	कनिष्ठ सहायक / टंकक	१
६—	अर्दली	१
७—	चपरासी	१

3— इस राज्य स्तरीय जलागम प्रबन्ध मूल्यांकन सैल का मुख्यालय लखनऊ होगा। इस सेल के कार्यालय की स्थापना हेतु तथा उसकी साज फर्नीचर, टाइपराइटर, स्टेशनरी तथा स्टाफ के वेतन/अन्य व्यय आदि पर होने वाला व्यय विश्व बैंक परियोजना तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के लिये शासनादेश सं0 8870 / 29-3-7(192) / 83 दिनांक 21-4-1984 में स्वीकृत धनराशि से वहन किया जायेगा।

टी०एन० धर  
सचिव  
पर्वतीय विकास  
विभाग

मुख्य परियोजना निदेशक,  
जलागम प्रबन्ध निदेशालय  
180 बसन्त विहार  
देहरादून।

संख्या 4 / 28-3-84 दिनांक 1-8-1984

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त सचिव / विशेष सचिव।
2. प्रोजेक्ट निदेशक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उ०प्र० वन विभाग।
3. पर्वतीय जिलों के समस्त जिलाधिकारी।
4. मण्डलायुक्त गढ़वाल तथा कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
5. महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद।
6. सचिवालय समस्त अनुभाग।
7. शाखा के समस्त अधिकारी।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. निजी सचिव, राज्यमंत्री पर्वतीय विकास विभाग।
10. निजी सचिव, उपाध्यक्ष (द्वितीय) पर्वतीय विकास विभाग।

आज्ञा से

(सरला साहनी)  
संयुक्त सचिव

प्रेषक

आर0सी0 श्रीवास्तव  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक  
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,  
180 बसन्त विहार देहरादून।

पर्व0 विकास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 22 नवम्बर, 1984

विषय— पर्वतीय क्षेत्र की जलागम प्रबन्ध योजना, की योजना के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता से जनपद पौड़ी गढ़वाल के नयार जलागम क्षेत्र में की जार रही जलासंग्रहण प्रबन्ध योजना में शामिल श्रीनगर, उप जलागम क्षेत्र की योजना के कार्यान्वयन हेतु स्टाफ की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1649 / 11-4(1) दि0 4-5-1984 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग से पर्वतीय क्षेत्र नयार (पौड़ी गढ़वालद्व / पनार (अल्मोड़ा) क्षेत्र में 83 सूक्ष्म जलाग्रहण क्षेत्रों में जिसमें से 74 सूक्ष्म जलाग्रहण क्षेत्र नयार जलागम में तथा 9 सूक्ष्म जलाग्रहण क्षेत्र पनार उप जलागम के अन्दर आते हैं, जलाग्रहण प्रबन्ध योजना 44 करोड़ रु0 की लागत से 7 वर्ष की अवधि में कार्यान्वयन किये जाने का निर्णय लिया गया है। योजना के अन्तर्गत उक्त सूक्ष्म जलाग्रहण क्षेत्रों में इस दिशा में तय की गई प्राथमिकता के अनुसार योजनाएँ कार्यान्वयन की जायेगी। श्रीनगर उप जलागम क्षेत्र जिसके अन्तर्गत 11, सूक्ष्म जलाग्रहण क्षेत्र शामिल हैं में 36,600 है0 में वित्तीय वर्ष 1984-85 में वर्ष के प्रारम्भ से ही कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है तथा शासनादेश संख्या 9082 / 28-3-7(93) / 83 दिनांक 21-4-1984 के द्वारा श्रीनगर उप जलागम क्षेत्र के लिये प्रबन्ध ईकाई की स्थापना हेतु स्वीकृत किया जा चुका है।

- 2— राज्यपाल महोदय इस उप जलागम क्षेत्र की योजनाओं के सफल कार्यान्वयन संलग्नक में अंकित अतिरिक्त पदों के नियुक्ति की तिथि से 28—2—1985 तक के लये, यदि उन्हें बीच में ही समाप्त न कर दिया जाय, सृजन की स्वीकृति प्रदान करते हैं।
- 3— उक्त पदों के पद धारकों को शासन द्वारा समय—समय पर निर्धारित समान्य नियमों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
- 4— उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 1984—85 में बजट में लेखा शीर्षक “299—विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र—आयोजनागत पर्वतीय क्षेत्र —ठ— अन्य व्यय (1) वन—28 केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धानित योजनायें —ड—समन्वित माइक्रो वाटर शेड की परियोजना का कार्यान्वयन” के अन्तर्गत संबंधित प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।
- 5— ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई—8—2568 / X—84 दिनांक 17—6—84 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(आर०सी० श्रीवास्तव)  
संयुक्त सचिव

क्रम सं०	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
(अ) प्रबन्ध इकाई कार्यालय हेतु			
1—	उप प्रबन्धक	1	850—40—1050—द०रो०—50— 1300—60—1420—द०रो०—60 1720
2—	चपरासी / चौकीदार	1	305—5—330द०रो०—6—360—द०रो०— 6—390
3—	वाहन चालक	1	330—7—365—8—381द०रो०—8—405—9— 450द०रो०—9—495
वानिकी कार्य हेतु			
1—	वन राजिक	4	570—25—770—द०रो०—30—980—द०रो० 30—1100
2—	उप वन राजिक	4	430—12—490—15—520—द०रो०15—640 —द०रो०15—685
3—	वन विद	5	354—10—424—द०रो०—10—454—12—514— द०रो०—12—550
3—	वर रक्षक	29	330—7—365—8—381द०रो०—8—405—9— 450द०रो०—9—495
4—	चौकीदार	1	305—5—330द०रो०—6—360—द०रो०— 6—390
5—	प्लाटेशन जमादार (रोपणी नायक)	8	तदैव
6—	नायब तहसीलदार	11	515—15—590—10—626—द०रो०— 18—680—20—780—द०रो०—20—860
7—	माली	4	305—5—330द०रो०—6—360—द०रो०— 6—390
8—	वरिष्ठ सहायक	1	305—5—330द०रो०—6—360—द०रो०— 6—390
9—	वरिष्ठ लिपिक	1	430—12—490—15—520—द०रो०15—640 —द०रो०15—685
10—	कनिष्ठ लिपिक	2	354—10—424—द०रो०—10—454—12—514— द०रो०—12—550
11—	मानचित्रकार (अर्ह)		470—15—575—द०रो०—15—650— 17—701—द०रो०—17—735

संख्या 105(1) / 28-3-(192) / 83

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. आयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
2. सचिव, वन विभाग उ0प्र0।
3. सचिव वित्त / कृषि सचिव/नियोजन सचिव/सिंचाई सचिव/उ0प्र0शासन।
4. महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद।
5. मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ।
6. अपर मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल मण्डल देहरादून।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, पर्वतीय क्षेत्र।
8. कृषि निदेशक/पशुपालन निदेशक/फलोद्यान निदेशक/मुख्य अभियन्ता लघु सिचाई, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. वन संरक्षक गढ़वाल देहरादून।
10. प्रोजेक्ट निदेशक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय देहरादून।
11. नियोजन (3) अनुभाग वित्त वेतन आयोजन (अनुभाग)।
12. वन अनुभाग (3) (4) (1)(2)।
13. पर्वतीय विकास अनुभाग (4) (5) टैक्नीकल सैल।
14. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
15. निजी सचिव, मंत्री पर्वतीय विकास विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
16. निजी सचिव, मंत्री पर्वतीय विकास विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
17. निजी सचिव, उपाध्याक्ष (द्वितीय) पर्वतीय विकास परिषद लखनऊ।
18. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—8 /वित्त वेतन आयोग अनुभाग—2 (6 प्रतियों)।
19. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
20. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
21. रेखा विभागों के क्षेत्रीय /जिला/ब्लाक स्तर के अधिकारी।

आज्ञा से

(आर0सी0  
श्रीवास्तव)  
संयुक्त सचिव

क्रम सं0	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
12—	आशुलिपिक	1	470—15—575—द0रो0—15—650— 17—701—द0रो0—17—735
13—	स्टोर कीपर	1	354—10—424—द0रो0—10—454—12— 514—द0रो0—12—550
14—	कनिष्ठ लिपिक (रेंज)	5	तदैव
15—	वाहन चालक	1	330—7—365—8—381द0रो0—8—405—9— 450द0रो0—9—495
16—	चौकीदार	1	305—5—330द0रो0—6—360—द0रो0—6—390
17—	चपरासी	1	तदैव
18—	योग	14	
(स)	कृषि विकास हेतु		
1—	प्रोत्साहन कर्ता (मोटी वेटर)	458	50 /— प्रतिमाह (यह मासिक पारिश्रमिक पर रखे जावेंगे। यह सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।
2—	सहायक विकास अधिकारी	1	470—15—575—द0रो0—15—650— 17—701—द0रो0—17—735
3—	ग्राम्य विकास अधिकारी	8	400—10—450—12—474—द0रो0—12 570—द0रो0—15—615
(द)	पशुपालन हेतु		
1—	बुल अटेण्डेन्ट (सॉड परिचर)	1	305—5—330द0रो0—6—360—द0रो0—6—390

क्रम सं0	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1—	उद्यान हेतु		
1—	सहायक विकास अधिकारी	1	470—15—575—द0रो0—15—650—17—701—द0रो0—17—735
2—	माली	4	305—5—330द0रो0—6—360—द0रो0—6—390
3—	लघु सिंचाई हेतु		
1—	अवर अभियन्ता (जूनियर इंजीनियर)	1	515—15—590—10—626—द0रो0— 18—680—20—780—द0रो0—20—860
2—	ट्रेसर	1	330—7—365—8—381द0रो0—8—405—9—450द0रो0—9—495

आज्ञा से

(आर0सी0 श्रीवास्तव)  
संयुक्त सचिव

कार्यालय मुख्य परियोजना निदेशक जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तर प्रदेश 180 बसन्त विहार देहरादून।

पत्रांक ..... / ..... दिनांक, देहरादून, दिसम्बर / 1984  
प्रतिलिपि परियोजना निदेशक, दक्षिणी भागीरथी, मुनिकीरेती (टिहरी) तथा परियोजना प्रबन्धक,  
श्रीनगर (पौड़ी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(गिरीश चन्द्र)  
मुख्य परियोजना  
निदेशक,  
जलागम प्रबन्ध  
निदेशालय,  
उ0प्र0देहरादून।

खण्डूडी14—12

संख्या 51 / 28—3—7(193) / 83

प्रेषक

आर0सी0 श्रीवास्तव  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक  
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,  
180 बसन्त विहार देहरादून।

पर्व0 विकास अनुभाग—3

लखनऊ : दिनांक 5 दिसम्बर, 1984

विषय— पर्वतीय क्षेत्र की जलागम प्रबन्ध योजना, की योजना के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता से जनपद पौड़ी गढ़वाल के मछलाड़ जलागम क्षेत्र में की जा रही जलाग्रहण प्रबन्ध योजना में अरिरिक्त स्टाफ की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 38 / 5—15(2) दि0 11—7—1984 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या 9082 / 28—3—7(193) / 83 दि0 21—4—1984 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग से पर्वतीय क्षेत्र में नयार (पौड़ी गढ़वाल) के मछलाड़ उपजलागम क्षेत्र में चल रही योजना के लिये चालू वित्तीय वर्ष में मछियाड़ उप जलागम की योजना जिसके अन्तर्गत 4 सूक्ष्म जलाग्रहण क्षेत्र शामिल हैं तथा जिसे प्रथम प्राथमिकता में रखा गया है की स्वीकृति शासनादेश सं0 8232 / 28—3—7(75) / 81 टी0सी0 दि0 5—10—1983 द्वारा दी गई है। इस दृष्टि से कि कार्य और अधिक तीव्र गति से चल सके, महोदय उक्त उप जलागम हेतु संलग्न विवरण के अनुसार अतिरिक्त अस्थाई पदों के सृजन की स्वीकृति इस शासनादेश के निर्गत होने अथवा पदधारकों के रखे जाने की तिथि से, जो भी बाद में हो, की तिथि से 28—2—1985 तक के लिये यदि उन्हें बीच में ही समाप्त न कर दिया जाय।  
सृजन की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

- 2— उक्त पदों के पद धारकों को शासन द्वारा समय—समय पर निर्धारित सामान्य नियमों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
- 3— उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 1984—85 के बजट में लेखा शीर्षक “299—विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र—आयोजनागत—पर्वतीय क्षेत्र—ठ—अन्य व्यय (1) वन—ड— समन्वित माइक्रोवाटर शेड की परियोजना को कार्यान्वयन अन्तर्गत संबंधित प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
- 4— ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं ८८—२६६९/८४ दि २२/११/८४ में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

आज्ञा से

(आर०सी० श्रीवास्तव)  
संयुक्त सचिव

०एसंख्या ५१(१) / २८—३—७(१९३) / ८३

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. आयुक्त कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, उ०प्र० लखनऊ।
2. सचिव, वन विभाग उ०प्र०।
3. सचिव वित्त/ कृषि सचिव/ नियोजन सचिव/ सिंचाई सचिव/ उ०प्र०शासन।
4. महालेखाकार उ०प्र० इलाहाबाद।
5. मुख्य वन संरक्षक, उ०प्र० लखनऊ।
6. अपर मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल मण्डल देहरादून।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, पर्वतीय क्षेत्र।
8. कृषि निदेशक/ पशुपालन निदेशक/ फलोद्यान निदेशक/ मुख्य अभियन्ता लघु सिचाई, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. वन संरक्षक गढ़वाल देहरादून।
10. प्रोजेक्ट निदेशक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय देहरादून।
11. नियोजन (३) अनुभाग वित्त वेतन आयोजन (अनुभाग)।
12. वन अनुभाग (३) (४) (१)(२)।
13. पर्वतीय विकास अनुभाग (४) (५) टैक्नीकल सैल।
14. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ०प्र० लखनऊ।
15. निजी सचिव, मंत्री पर्वतीय विकास विभाग उ०प्र० लखनऊ।
16. निजी सचिव, मंत्री पर्वतीय विकास विभाग उ०प्र० लखनऊ।
17. निजी सचिव, उपाध्याक्ष (द्वितीय) पर्वतीय विकास परिषद लखनऊ।
18. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—८ / वित्त वेतन आयोग अनुभाग—२ (६ प्रतियों)।
19. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
20. जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल।
21. रेखा विभागों के क्षेत्रीय /जिला/ ब्लाक स्तर के अधिकारी।

आज्ञा से

(आर०सी० श्रीवास्तव)  
संयुक्त सचिव

राज्यादेश सं0— 4068 / 28—3—5(56) दिनांक .....

का संलग्नक —क—एक

पनार उप जलागम का स्टाफ

(क) प्रशासनिक स्टाफ जो रेखा विभाग के संवर्ग में ..... नहीं है।

क्रम सं0	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1—	उप परियोजना प्रबन्धक	1	850—40—1050—द०रो०—50— 1300—60—1420—द०रो०—60 1720
2—	चपरासी / चौकीदार	1	305—5—330द०रो०—6—360—द०रो०—6—390
3—	ड्राइवर	1	330—7—365—8—381द०रो०—8—405—9—450द०रो०—9—495
	योग	3	

(डी०एन०  
श्रीवास्तव)  
विशेष सचिव

राज्यादेश सं0— 4068 / 28—3—5(56)84 दिनांक ..... का संलग्नक क—दो

रुद्रप्रयाग उप जलागम

(क) प्रशासनिक स्टाफ जो रेखा विभागों के संवर्ग में अभिवृद्धि नहीं है।

क्रम सं0	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1—	उप परियोजना प्रबन्धक	1	850—40—1050—द०रो—50— 1300—60—1420—द०रो—60 1720
2—	चपरासी / चौकीदार	1	305—5—330द०रो—6—360—द०रो—6—390
3—	झाइवर	1	330—7—365—8—381द०रो—8—405—9—450द०रो—9—495
	योग	3	

(डी०एन०  
श्रीवास्तव)  
विशेष सचिव

राज्यादेश सं0— 4068 / 28—3—5(56)84 दिनांक ..... का संलग्नक—क—तीन

राणडीगाड उप जलागम

(क) प्रशासनिक स्टाफ जो रेखा विभाग के संवर्ग में अभिवृद्धि नहीं है।

क्रम सं0	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1—	उप परियोजना प्रबन्धक	1	850—40—1050—द0रो—50— 1300—60—1420—द0रो—60 1720
2—	चपरासी / चौकीदार	1	305—5—330द0रो—6—360—द0रो—6—390
3—	झाइवर	1	330—7—365—8—381द0रो—8—405—9—450द0रो—9—495
	योग	3	

(डी०एन०  
श्रीवास्तव)  
विशेष सचिव

राज्यादेश सं0— 4068 / 28—3—5(56)84 दिनांक ..... का संलग्नक—क—तीन

नयार दांया उप जलागम

(क) प्रशासनिक स्टाफ जो रेखा विभाग के संवर्ग में अभिवृद्धि नहीं है।

क्रम सं0	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1—	उप परियोजना प्रबन्धक	1	850—40—1050—द0रो—50— 1300—60—1420—द0रो—60 1720
2—	चपरासी / चौकीदार	1	305—5—330द0रो—6—360—द0रो—6—390
3—	झाइवर	1	330—7—365—8—381द0रो—8—405—9—450द0रो—9—495
	योग	3	

(डी०एन०  
श्रीवास्तव)  
विशेष सचिव

शासनादेश सं0— 4068 / 28—3—5(56)84 दिनांक ..... का संलग्नक—क—  
नयार दॉया उप जलागम

(ख) स्टाफ जो राज्यादेश सं0—745 / 28—3—5(53)84 दिनांक 26—12—84 द्वारा रेखा विभाग के  
संवर्ग में अस्थाई अभिवृद्धि घोषित है।

क्रम सं0	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	रेखा विभाग
1	2	3	4	5
1—	सहायक वन संरक्षक	1	850—40—1050—द0रो0—50—1300—60—1420—द0रो0—601720	वन विभाग
2—	फारेस्ट रेन्जर (एफ0आर0)	3	570—25—770—द0रो0—30—980—द0रो0 30—1100	वन विभाग
3—	उप राजिक	3	430—12—490—15—520—द0रो015—640—द0रो015—685	वन विभाग
4—	वन विद	4	354—10—424—द0रो0—10—454—12—514—द0रो0—12—550	वन विभाग
5—	वन रक्षक	24	330—7—365—8—381द0रो0—8—405—9—450द0रो0—9—495	वन विभाग
6—	प्लान्टेशन जमादार	6	तदैव	वन विभाग
7—	नायब तहसीलदार	1	515—15—590—10—626—द0रो0—18—680—20—780—द0रो0—20—860	वन विभाग
8—	सर्वेयर	2	470—15—575—द0रो0—15—650—17—701—द0र 10—17—735	वन विभाग
9—	माली	3	305—5—330द0रो0—6—360—द0रो0—6—390	वन विभाग
10—	वरष्ठि सहायक (प्रधान लिपिक)	1	470—15—575—द0रो0—15—650—17—701—द0र 10—17—735	वन विभाग
11—	आशुलिपिक	1	तदैव	वन विभाग
12—	वरिष्ठ लिपिक	1	430—12—490—15—520—द0रो015—640—द0रो015—685	वन विभाग
13—	कनिष्ठ लिपिक / टंक क	2	354—10—424—द0रो0—10—454—12—514—द0रो0—12—550	वन विभाग
14—	ड्राफ्ट्स मैन	1	470—15—575—द0रो0—15—650—17—701—द0रो0—17—735	वन विभाग
15—	स्टोरकीपर	1	354—10—424—द0रो0—10—454—12—514—द0रो0—12—550	वन विभाग
16—	कनिष्ठ लिपिक (राजि)	3	तदैव	वन विभाग
17—	जीप चालक	1	330—7—365—8—381द0रो0—8—405—9—	वन विभाग

	(द्वाइवर)		450द0रो0—9—495	
18—	चौकीदार	1	305—5—330द0रो0—6—360—द0रो0—6—390	वन विभाग
19—	चपरासी	1	तदैव	वन विभाग
	योग—	60		

शासनादेश सं0 4068 / 28—3—5(56)84 दिनांक 22—7—85. का संलग्नक—क—दो नयार दॉया उप जलागम

(ख) स्टाफ जो राज्यादेश सं0 745 / 28—3—5(53)84 दिनांक 26—12—84 द्वारा रेखा विभाग के संवर्ग में अस्थाई अभिवृद्धि घोषित है।

क्रम सं0	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	रेखाविभाग
1	2	3	4	5

#### कृषि

1—	मोटीवेटर	92	50/- प्रतिमाह (यह मासिक पारिश्रमिक पर रखे जावेंगे। यह सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।	कृषि
2—	ग्राम्य विकास अधिकारी	2	480—10—450—12—474—द0रो0—12—570—द0रो0—15—615	कृषि
3—	सहायक विकास अधिकारी	1	470—15—575—द0रो0—15—650—17—701—द0रो0—17—735	कृषि
	योग—	92+3		

#### उद्यान

4—	सहायक विकास अधिकारी	1	470—15—575—द0रो0—15—650—17—701—द0रो0—17—735	उद्यान
5—	माली	1	305—5—330द0रो0—6—360—द0रो0—6—390	उद्यान
	योग—	2		

#### पशुधन विकास

5—	बुल अटेन्डेन्ट	1	305—5—330द0रो0—6—360—द0रो0—6—390	पशुपालन
	योग—	1		

#### लघु सिंचाई

1—	ट्रेसर	1	330—7—365—8—381द0रो0—8—405—9—450द0रो0—9—495	लघु सिंचाई
	योग—	1		
	महायोग	92+7		

(डी०एन०  
श्रीवास्तव)  
विशेष सचिव

शासनादेश सं0— 4068 / 28—3—5(56)84 दिनांक ..... का संलग्नक—ख—तीन

नयार दॉया उप जलागम

(ख) स्टाफ जो राज्यादेश सं0—745 / 28—3—5(53)84 दिनांक 26—12—84 द्वारा रेखा विभाग के संवर्ग में अस्थाई अभिवृद्धि घोषित है।

क्रम सं0	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	रेखा विभाग
1	2	3	4	5
1—	सहायक वन संरक्षक	1	850—40—1050—द0रो0—50—1300—60—1420—द0रो0—60 1720	वन विभाग
2—	फारेस्ट रेन्जर (एफ0आर0)	3	570—25—770—द0रो0—30—980—द0रो030—1100	वन विभाग
3—	उप राजिक	3	430—12—490—15—520—द0रो015—640—द0रो015—685	वन विभाग
4—	वन विद	4	354—10—424—द0रो0—10—454—12—514— द0रो0—12—550	वन विभाग
5—	वन रक्षक	24	330—7—365—8—381द0रो0—8—405—9— 450द0रो0—9—495	वन विभाग
6—	प्लान्टेशन जमादार	6	तदैव	वन विभाग
7—	नायब तहसीलदार	1	515—15—590—10—626—द0रो0— 18—680—20—780—द0रो0—20—860	वन विभाग
8—	सर्वेयर	2	470—15—575—द0रो0—15—650— 17—701—द0रो0—17—735	वन विभाग
9—	माली	3	305—5—330द0रो0—6—360—द0रो0— 6—390	वन विभाग
10—	वरिष्ठ सहायक (प्रधान लिपिक)	1	470—15—575—द0रो0—15—650— 17—701—द0रो0—17—735	वन विभाग
11—	आशुलिपिक	1	तदैव	वन विभाग
12—	वरिष्ठ लिपिक	1	430—12—490—15—520—द0रो015—640— द0रो015—685	वन विभाग
13—	कनिष्ठ लिपिक / टंकक	2	354—10—424—द0रो0—10—454—12—514— द0रो0—12—550	वन विभाग
14—	ड्राफ्ट्स मैन	1	470—15—575—द0रो0—15—650— 17—701—द0रो0—17—735	वन विभाग
15—	स्टोरकीपर	1	354—10—424—द0रो0—10—454—12—514— द0रो0—12—550	वन विभाग
16—	कनिष्ठ लिपिक (राजि)	3	तदैव	वन विभाग

17—	जीप चालक (झाइवर)	1	330—7—365—8—381द०रो—8—405—9— 450द०रो—9—495	वन विभाग
18—	चौकीदार	1	305—5—330द०रो—6—360—द०रो—6—390	वन विभाग
19—	चपरासी	1	तदैव	वन विभाग
	योग—	60		

(डी०एन०  
श्रीवास्तव)  
विशेष सचिव

शासनादेश सं0 4068 / 28-3-5(56)84 दिनांक 22-7-85. का संलग्नक—क—दो  
नयार दॉया उप जलागम

(ख) स्टाफ जो राज्यादेश सं0 745 / 28-3-5(53)84 दिनांक 26-12-84 द्वारा रेखा विभाग के  
संवर्ग में अस्थाई अभिवृद्धि घोषित है।

क्रम सं0	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान	रेखाविभाग
1	2	3	4	5
<b>कृषि</b>				
1—	मोटीवेटर	92	50/- प्रतिमाह (यह मासिक पारिश्रमिक पर रखे जावेंगे। यह सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।	कृषि
2—	ग्राम्य विकास अधिकारी	2	480-10-450-12-474-द0रो0-12-570- द0रो0-15-615	कृषि
3—	सहायक विकास अधिकारी	1	470-15-575-द0रो0-15-650- 17-701-द0रो0-17-735	कृषि
	योग—	92+3		
<b>उद्यान</b>				
4—	सहायक विकास अधिकारी	1	470-15-575-द0रो0-15-650- 17-701-द0रो0-17-735	उद्यान
5—	माली	1	305-5-330द0रो0-6-360-द0रो0- 6-390	उद्यान
	योग—	2		
<b>पशुधन विकास</b>				
5—	बुल अटेन्डेन्ट	1	305-5-330द0रो0-6-360-द0रो0- 6-390	पशुपालन
	योग—	1		
<b>लघु सिंचाई</b>				
1—	अवर अभियन्ता	1	515-15-590-10-626-द0रो0- 18-680-20-780-द0रो0-20-860	लघ सिंचाई
	ट्रेसर	1	330-7-365-8-381द0रो0-8-405-9- 450द0रो0-9-495	
	योग—	2		
	महायोग	157+11		

(डी0एन0  
श्रीवास्तव)  
विशेष सचिव

राज्यादेश संख्या— 4068 / 28— 3—5(56) 84 दिनांक का संलग्नक —ख— पॉच  
रुद्रप्रयाग उपजलागम स्टाफ

(ख) स्टाफ जो राज्यादेश संख्या 745 / 28—3—5(53) 84 दिनांक 26.12.84 द्वारा रेखा विभाग के संवर्ग में अस्थाई अभिवृद्धि घोषित है।

राज्यादेश सं 289 / 8—3—5(1)86 दिनांक मार्च 28, 1986 का संलग्नक

संलग्नक—“क”

जलागम संगठन के पद  
(मुख्य परियोजना निदेशालय के अधीन)

क्रम सं	पदनाम	वेतनक्रम	सूचित पदों की संख्या
1.	उप प्रबन्धक	850—40—1050— द०रो० 50—1300—60—1420—द०रो० —60—1720	1
2.	सांख्यकी सहायक	570—25—770— द०रो० 30—980—30—1100	1
3.	लेखालिपिक	430—12—490—15—520—द०रो०—15—640—द०रो०—15—685	1
4.	वरिष्ठ लिपिक	430—12—490—15—520—द०रो०—15—640—द०रो०—15—685	2
5.	कनिष्ठ लिपिक—क्रम— टाइपिस्ट	354—10—424—द०रो०—10—454—12—514—द०रो०—12—550	3
6.	चपरासी / चौकीदार	305—5—330—द०रो०—6—360—द०रो०—6—390	3
7.	ड्राईवर	330—7—365—8—381—द०रो०—8—405—9—450—द०रो०—495	2

(डी०एन० श्रीवास्तव)  
विशेष सचिव

राज्यादेश संख्या— 4068 / 28—3—5(56) 84 दिनांक का संलग्नक —ख— पॉच  
पनार उपजलागम स्टाफ

(ख) स्टाफ जो राज्यादेश संख्या 745 / 28—3—5(53) 84 दिनांक 26.12.84 द्वारा रेखा विभाग के सर्वंग में अस्थाई अभिवृद्धि घोषित है।

क्र०सं०	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	रेखा विभाग
1	2	3	4	5
1.	सहायक वन सरक्षक	1	850—40—1050— द०रो० —50—1300—60—1420—द०रो०—60—1720	वन विभाग
2.	फारेस्ट रेंजर	3	570—25—770— द०रो०—30—980—30—1100	—“—
3.	उप राजिक	3	430—12—490—15—520—द०रो०—15—640—द०रो०—15—द० रो०— —15—685	—“—
4.	वनविद (फॉरेस्टर)	3	354—12—490—15—520—द०रो०—10—454—12—514—द०रो०—12— —550	—“—
5.	वन रक्षक	18	330—7—365—8—381—द०रो०—8—405—9—450—द०रो०—9—495	—“—
6.	प्लान्टेशन जमादार	4	330—7—365—8—381—द०रो०—8—405—9—450—द०रो०—9—495	—“—
7.	नायब तहसीलदार	1	515—15—590—18—626—द०रो०—18—680—20—780—द०रो०२०— 860	—“—
8.	सर्वेयर	2	470—15—575—द०रो०—15—650—17—701—द०रो०—17—735	—“—
9.	माली	3	305—5—330—द०रो०—6—360—द०रो०—6—390	—“—
10.	वरिष्ठ सहायक (प्रधानलिपिक)	1	470—15—575—15—650—17—701—द०रो०—177—735	—“—
11.	आशुलिपिक	1	470—15—575—15—650—17—701—द०रो०—177—735	—“—
12.	वरिष्ठ लिपिक	1	430—12—490—15—520—द०रो०—15—640—द०रो०—15—685	—“—
13.	कनिष्ठ लिपिक / टंकक	2	354—10—424—द०रो०—10—454—12—514—द०रो०—12—550	—“—
14.	ड्राफ्टमैन	1	470—15—575—द०रो०—15—650—17—701—द०रो०—17—735	—“—
15.	स्टोरकीपर	1	354—10—424—द०रो०—10—454—12—514—द०रो०—12—550	—“—
16.	कनिष्ठ लिपिक (राजि)	5	354—10—424—द०रो०—10—454—12—514—द०रो०—12—550	—“—
17.	जीप ड्राइवर	1	330—7—365—8—381—द०रो०—8—405—9—450—द०रो०—495	—“—
18.	चौकीदार	1	305—5—330—द०रो०—6—360—द०रो०—6—390	—“—
19.	चपरासी	1	305—5—330—द०रो०—6—360—द०रो०—6—390	—“—
	योग	51		

(डी०एन० श्रीवास्तव)  
विशेष सचिव

राज्यादेश संख्या— 4068 / 28— 3—5(56) 84 दिनांक का संलग्नक —ख— छै:  
रुद्रप्रयाग उपजलागम स्टाफ

(ख) स्टाफ जो राज्यादेश संख्या 745 / 28—3—5(53) 85 दिनांक 26.12.84 द्वारा रेखा विभाग के सर्वंग में अस्थाई अभिवृद्धि घोषित है।

क्र०सं०	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	रेखा विभाग
1	2	3	4	5
<b>कृषि</b>				
1.	मोटीवेटर	76	इन्हें 50 रु० प्रतिमाह पारिश्रमिक कृषि विभाग पर रखा जायेगा तथा यह सरकारी कर्मचारी नहीं होगें।	कृषि विभाग
2.	ग्राम विकास अधिकारी	2	400—10—450—12—474—द०रो०—12—570—द०रो०—15—615	
	<b>योग</b>	<b>76+2</b>		
<b>फलोद्यान</b>				
1.	माली	1	305—5—330—द०रो०—6—360—द०रो०—6—390	फलोद्यान
	<b>योग</b>	<b>1</b>		
<b>पशुधन विकास</b>				
1.	बुल अटेन्डेन्ट	1	305—5—330—द०रो०—6—360—द०रो०—6—390	
	<b>योग</b>	<b>1</b>		
<b>लघु सिंचाई</b>				
1.	अवर अभियन्ता	1	515—15—590—18—626—द०रो०—18—680—20—780—द०रो०—20—860	लघु सिंचाई
2.	ट्रेसर	1	330—7—365—8—381—द०रो०—8—405—9—450—द०रो०—495	
	<b>योग</b>	<b>2</b>		
	<b>महायोग</b>	<b>76+6</b>		

(डी०एन० श्रीवास्तव)  
विशेष सचिव

राज्यादेश संख्या— 4068 / 28-3-5(56) 84 दिनांक का संलग्नक —ख— सात  
पनार उपजलागम स्टाफ

(ख) स्टाफ जो राज्यादेश संख्या 745 / 28-3-5(53) 84 दिनांक 26.12.84 द्वारा रेखा विभाग के सर्वंग में अस्थाई अभिवृद्धि घोषित है।

क्र०सं०	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	रेखा विभाग
1	2	3	4	5
1.	सहायक वन संरक्षक	1	850—40—1050— द०रो० —50—1300—60—1420— द०रो०— 60—1720	वन विभाग
2.	फारेस्ट रेंजर	5	570—25—770— द०रो० —30—980—30—1100	—“—
3.	उप राजिक	5	430—12—490—15—520—द०रो०—15—640—द०रो०—15—द० रो०—15—685	—“—
4.	वनविद (फॉरेस्टर)	6	354—12—490—15—520—द०रो०—10—454—12—514—द०रो०—12 —550	—“—
5.	वन रक्षक	36	330—7—365—8—381—द०रो०—8—405—9—450—द०रो०—9—495	—“—
6.	प्लान्टेशन जमादार	10	330—7—365—8—381—द०रो०—8—405—9—450—द०रो०—9—495	—“—
7.	नायब तहसीलदार	1	515—15—590—18—626—द०रो०—18—680—20—780—द०रो०२०— 860	—“—
8.	सर्वेयर	2	470—15—575—द०रो० 15—650—17—701—द०रो०—17—735	—“—
9.	माली	5	305—5—330—द०रो०—6—360—द०रो०—6—390	—“—
10.	वरिष्ठ सहायक (प्रधानलिपिक)	1	470—15—575—15—650—17—701—द०रो०—177—735	—“—
11.	आशुलिपिक	1	470—15—575—15—650—17—701—द०रो०—177—735	—“—
12.	वरिष्ठ लिपिक	1	430—12—490—15—520—द०रो०—15—640—द०रो०—15—685	—“—
13.	कनिष्ठ लिपिक / टंकक	2	354—10—424—द०रो०—10—454—12—514—द०रो०—12—550	—“—
14.	ड्राफ्टमैन	1	470—15—575—द०रो०—15—650—17—701—द०रो०—17—735	—“—
15.	स्टोरकीपर	1	354—10—424—द०रो०—10—454—12—514—द०रो०—12—550	—“—
16.	कनिष्ठ लिपिक (राजि)	5	354—10—424—द०रो०—10—454—12—514—द०रो०—12—550	—“—
17.	जीप चालक	1	330—7—365—8—381—द०रो०—8—405—9—450—द०रो०—495	—“—
18.	चौकीदार	1	305—5—330—द०रो०—6—360—द०रो०—6—390	—“—
19.	चपरासी	1	305—5—330—द०रो०—6—360—द०रो०—6—390	—“—
	योग	86		

(डी०एन० श्रीवास्तव)  
विशेष सचिव

राज्यादेश संख्या— 4068 / 28—3—5(56) 84 दिनांक 22.7.85 का संलग्नक —ख— आठ  
पनार उपजलागम स्टाफ

(ख) स्टाफ जो राज्यादेश संख्या 745 / 28—3—5(53) 85 दिनांक 26.12.84 द्वारा रेखा विभाग के संवर्ग में अस्थाई अभिवृद्धि घोषित है।

क्र०सं०	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	रेखा विभाग
1	2	3	4	5
<b>कृषि</b>				
1.	मोटीवेटर	270	इन्हें 50 रु० प्रतिमाह पारिश्रमिक कृषि विभाग पर रखा जायेगा तथा यह सरकारी कर्मचारी नहीं होगे।	कृषि विभाग
2.	ग्राम विकास अधिकारी (सहायक कृषि निरीक्षक)	2	400—10—450—12—474—द०रो०—12—570—द०रो०—15—615	
3.	सहायक विकास अधिकारी	1	470—15—575—द०रो०—15—650—17—701— द०रो० — 17—735	
	<b>योग</b>	<b>270+9</b>		
<b>फलोद्यान</b>				
2.	सहायक विकास अधिकारी	1	470—15—575—द०रो०—15—650—17—701— द०रो० — 17—735	फलोद्यान
3.	माली	4	305—5—330—द०रो०—6—360—द०रो०—6—390	
	<b>योग</b>	<b>5</b>		
<b>पशुधन विकास</b>				
2.	बुल अटेन्डेन्ट	2	305—5—330—द०रो०—6—360—द०रो०—6—390	
	<b>योग</b>	<b>2</b>		
<b>लघु सिंचाई</b>				
3.	अवर अभियन्ता	1	515—15—590—18—626—द०रो०—18—680—20—780—द०रो०—20—860	लघु सिंचाई
4.	ट्रेसर	1	330—7—365—8—381—द०रो०—8—405—9—450—द०रो०—495	
	<b>योग</b>	<b>2</b>		
	<b>महायोग</b>	<b>270+18</b>		

(डी०एन० श्रीवास्तव)  
विशेष सचिव

प्रेषकः—

डी० एन० श्रीवास्तव,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक  
उ०प्र० जलागम प्रबन्ध निदेशालय,  
151, वसन्त विहार, देहरादून।

पर्वतीय विकास अनुभाग—३

लखनऊ: दिनांक 22 जुलाई, 1985

विषय:— विश्व बैंक द्वारा पोषित राण्डीगाड़, रुद्रप्रयाग, नयार दांया तथा पनार उप जलागमों हेतु स्टाफ की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या 184 / 28—3—5(56) / 84 दिनांक 31.1.85 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विश्व बैंक के आर्थिक सहयोग से पर्वतीय क्षेत्र में सर्वयूं जलागम के पनार उप जलागम तथा नयार जलागम के राण्डीगाड़, रुद्रप्रयाग एवं नयार दांया उपजलागमों के लिए जिनके अन्तर्गत कुल 19 सूक्ष्म जलागम क्षेत्र आते हैं, राज्यपाल महोदय से सम्बद्ध संलग्नक “क—१” से “क—४” तथा संलग्नक “ख—एक” से “ख—आठ” में अंकित 595 नियत वेतन के मोटिवेटर के पद तथा 312 नियमित अस्थाई पदों के नियुक्ति की तिथि 28 फरवरी 1986 तक के लिए सृजन की स्वीकृति प्रदान करते हैं, बशर्ते इन्हें इससे पहले ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय।

2. श्री राज्यपाल सम्बद्ध संलग्नक— “ख—एक” से “ख—आठ” में उल्लिखित मोटिवेटर के पदों को छोड़ते हुए शेष समस्त स्तम्भ दो में अंकित 300 पदों के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग—२ खण्ड—२ से ४ मूल नियम—९(४) सहपठित मूल नियम—४० के अन्तर्गत आदेश देते हैं कि उन्हें उनके सम्मुख स्तम्भ—५ में इंगित रेखा विभाग के पदों के संवर्ग में अस्थाई अभिवृद्धि माना जायेगा।
3. प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पदों के सम्बन्ध में आप सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्षों एवं सचिवों से सम्पर्क स्थापित कर कार्मिक प्राप्त करेंगे।
4. उपर्युक्त पदों के पद धारकों को शासन द्वारा समय—समय पर निर्धारित नियमों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी देय होंगे।
5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 1985—86 के बजट में लेखाशीर्षक “299—विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र आयोजनागत—पर्वतीय क्षेत्र ठ—अन्य व्यय (वन—२०—केन्द्र द्वारा पूरोन्निर्धारित योजनायें डृ समन्वित माईक्रोवाटरशेड की परियोजना का कार्यान्वयन के अन्तर्गत सम्बन्धित प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।
6. उपरोक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि चालू वित्तीय वर्ष के लेखानुदान की अवधि में जो भी व्यय किया जाये वह लेखानुदान के द्वारा उपलब्ध धनराशि के अन्दर हो रहे और लेखानुदान की अवधि के बाद व्यय तभी किया जाय जब मुख्य बजट 1985—86 तथा सम्बन्धित विनियोग अधिनियम के द्वारा आवश्यक धनराशि उपलब्ध हो जाये।
7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं० ई० —८—१८८३/X- 85, दिनांक 18.6.85 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक :— यथोपरि।

भवदीय,

(डी०एन० श्रीवास्तव)  
विशेष सचिव

### संख्या— 4068 / 28-3-5(56) / 84

प्रतिलिपि संलग्नकों सहित निम्नलिखित सचिव, विशेष सचिव को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि रेखा विभागों में अस्थाई अभिवृद्धि घोषित पदों पर तैनातियां कृपया तुरन्त की जाएं और सृजित पदों में से वह पद जो प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाना है तथा जिनके नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल है, के सम्बन्ध में भी प्रतिनियुक्ति आदेश कृपया तुरन्त जारी किए जाएः—

1. सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष सचिव, क्षेत्रीय विकास, उ0प्र0 शासन।
4. विशेष सचिव, पशुधन विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।

संलग्नक :— यथोपरि ।

(डी0एन0 श्रीवास्तव)  
विशेष सचिव

### संख्या— 4068 / 28-3-5(56) / 84

प्रतिलिपि संलग्नकों सहित निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि रेखा विभागों में अस्थाई अभिवृद्धि घोषित पदों पर तैनातियां कृपया तुरन्त की जाएं और जिन पदों के नियुक्ति प्राधिकारी श्री राज्यपाल नहीं हैं, पर प्रतिनियुक्ति के आदेश कृपया तुरन्त जारी कराने का कष्ट करें।—

1. मुख्य वन संरक्षक (पर्वतीय) उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक, कृषि विभाग, कृषि निदेशालय, उ0 प्र0 लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता, लघु सिचाई, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. निदेशक, उद्यान एवं फलोप्रयोग, उ0 प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
6. अपर निदेशक, भूमि संरक्षक, कृषि निदेशालय, उ0 प्र0 लखनऊ।

संलग्नक :— यथोपरि ।

(डी0एन0 श्रीवास्तव)  
विशेष सचिव

### संख्या— 4068 / 28-3-5(56) / 84

प्रतिलिपि संलग्नकों सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 शासन।
2. महालेखाकर, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3. निजी सचिव, पर्वतीय विकास मंत्री/ राज्य मंत्री।
4. वित्त (व्यय— नियन्त्रण) अनुभाग—8 (2 प्रतियां।)
5. वित्त (वेतन आयोग (अनुभाग—1/2 (3—3 प्रतियां।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/ कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी, पर्वतीय क्षेत्र।
8. परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, मुनि—की—रेती, टिहरी गढ़वाल।

(डी0एन0 श्रीवास्तव)  
विशेष सचिव

प्रेषक,

श्री ए०के० दास,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक,  
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,  
151—बसन्त विहार, देहरादून।

पर्वतीय विकास अनुभाग—3

लखनऊ : दिनांक : जनवरी 25, 1986

विषय— जलागम प्रबन्ध संगठन में नियुक्ति को प्रक्रिया।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान कार्यालय ज्ञाप संख्या— 7654 / 28–3–7(57) / 81, दिनांक 20 सितम्बर, 1983 की ओर आकृष्ट करते हुये यह कहने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय ज्ञाप द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि जलागम प्रबन्ध निदेशालय और इसके अधीनस्थ संगठनों में विभिन्न वर्गों के राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के जो पद सृजित किये गये हैं, उन पर विभिन्न विकास विभागों के सम्बन्धित विशिष्टियों के कुशल एवं योग्य कर्मचारियों का चयन किया जायेगा। तदनुसार जलागम प्रबन्ध संगठन के समस्त पदों पर नियुक्तियों प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) के माध्यम से की जाती थी।

2— जलागम प्रबन्ध संगठन को स्थापित हुए लगभग चार वर्ष व्यतीत हो रहे हैं, और अब स्थिति बदल गई है। अतएव शासन ने यह निर्णय लिया है कि भविष्य में लिपिक वर्गीय कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती “अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 1985” के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

3— वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर तैनात, इन दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर वापस करना होगा। कार्य में अपेक्षित दक्षता एवं कुशलता का स्तर बनाये रखने की दृष्टि से यह इष्टकर होगा कि समूह (ग) के पदों पर सीधी भर्ती के कर्मचारी जैसे—जैसे अनुभव प्राप्त करते जायें।

कार्यालय उप निबन्धक सहकारी समितियाँ उ0प्र0 गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।

क्रमांक 264 / डी0सी0एफ0 प्रेस / मुद्रण—95—96

दिनांक 20.3.96

समस्त विभागाध्यक्ष / प्रबन्धक,  
राज्य एवं केन्द्रीय विभाग,  
जनपद देहरादून ।

महोदय,

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि जिला सहकारी विकास संघ लि0 देहरादून द्वारा “डी0सी0एफ0 प्रेस” के माध्यम से मुद्रण एवं लेखन सामग्री का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। जिसका उद्देश्य सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों का उचित मूल्यों पर उत्कृष्ट एवं गुणवत्तायुक्त सामग्री प्रदान करना है।

सहकारी संस्था के द्वारा प्रिंटिंग आदि कार्य करवाने पर निविदा (कोटेशन) की आवश्यकता नहीं। जो कि लेखा परीक्षा (आडिट) की दृष्टि से, अन्य से क्य करने पर आवश्यक है।

उपभोक्ताओं की सुविधा एवं बाजार भाव की नियंत्रित करने के उद्देश्य से संस्था द्वारा प्रेस का संचालन किया गया है, इससे पूर्व सहकारिता के क्षेत्र में गढ़वाल मण्डल में मुद्रण हेतु कोई सहकारी संस्था विद्यमान नहीं है। इस संस्था के माध्यम से इस कमी को पूरा किया गया है।

आशा है आपके भरपूर सहयोग से संस्था मुद्रण के क्षेत्र में नये कीर्तिमान स्थापित करने में समर्थ होगी। हम आपके भरपूर सहयोग के आकांक्षी हैं।

उप निबन्धक,  
सहकारी समितियाँ, उ0प्र0,  
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी ।

प्रेषक,

डी० एन०श्रीवास्तव,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक  
उ०प्र० जलागम प्रबन्ध निदेशालय,  
151, वसन्त विहार, देहरादून।

पर्वतीय विकास अनुभाग—3

लखनऊ: दिनांक 27 जुलाई, 1986

**विषय:**— हिमालयन वाटरशेड प्रोजेक्ट अन्तर्गत चल रही जलागम प्रबन्ध योजना में प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम लागू किए जाने हेतु स्टाफ का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या कृषि — 489 / 12—5 दिनांक 3 सितम्बर, 1985 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय जलागम प्रबन्ध योजना की (1) रान्दीगाड़ (2) नयार दांया (3) मछलाड (4) रुद्रप्रयाग (5) श्रीनगर व (6) पनार, उप लागम इकाईयों में प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम लागू किए जाने हेतु निम्न स्टाफ के सृजन की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क०सं०	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
<b>कृषि</b>			
1.	सहायक कृषि निरीक्षक (ग्रुप— ॥ ॥)	24	400—10—450—12—474—द०रो०—12—570—द०रो०—15—615
2.	सहायक विकास अधिकारी (ग्रुप— ॥ ॥)	27	470—15—575—द०रो०—15—650—17—701— द०रो०—17—735
3.	विषय विशेषज्ञ (ग्रुप—)	12	570—25—770—द०रो०—30—980—द०रो०—30—1100
4.	अति० जिला कृषि अधिकारी (ग्रुप—1)	2	570—25—770—द०रो०—30—980—द०रो०—30—1100
	<b>कुल पद</b>	<b>165</b>	

2. उक्त समस्त पद मार्च, 1986 से पूर्व भर दिए जाए एवं उन पर अनुमन्य उत्साही एवं दृढ़ तथा कर्मठ अधिकारी / कर्मचारी ही तैनात किए जाए।
3. उक्त पदों के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग—2 के मूल निय—9(4) सहपठित मूल नियम—40 के अन्तर्गत आदेश देते हैं कि उन्हें कृषि विभाग के पदों के संवर्ग में अस्थाई अभिवृद्धि के रूप में माना जाएगा।
4. उपर्युक्त पदों के पद धारकों को शासनदेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी देय होंगे।

5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 1985-86 के आय –व्ययक के लेखा शीर्षक “299— विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र— पर्वतीय क्षेत्र आयोजनागत—ठ— अन्य व्यय (1) वन—28 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं –ड समन्वित माईक्रोवाटरशेड की परियोजना का कार्यान्वयन” के नामें डाला जाएगा।
6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या—ई—8—184 / 10—86 दिनांक 27 जनवरी, 1986 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

डी० एन०श्रीवास्तव,  
विशेष सचिव,

संख्या— जी०आई० 12 / 28—3—5(62) / 85 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, उ० प्र० शासन।
2. सचिव, कृषि विभाग, उ० प्र० शासन।
3. निदेशक, कृषि निदेशालय, उ० प्र० लखनऊ।

आज्ञा से,

डी० एन०श्रीवास्तव,  
विशेष सचिव,

प्रेषक,

डी० एन०श्रीवास्तव,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक  
उ०प्र० जलागम प्रबन्ध निदेशालय,  
151, वसन्त विहार, देहरादून।

पर्वतीय विकास अनुभाग—3

लखनऊ: दिनांक 14 अगस्त, 1986

**विषय:— विश्व बैंक पोषित जलागम प्रबन्ध परियोजनान्तर्गत वाहन चालकों एवं ट्रक क्लीनरों के अस्थाई पदों का सृजन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या —407 / 28—37(175) / 83 29—4—1986 के पैरा —2 का आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त पैरा —2 निम्नवत पढ़ा जाय:—

“इसके अतिरिक्त राज्यपाल महोदय ई०ई०सी० पोषित जलागम प्रबन्ध परियोजना हेतु उपलब्ध 10(दस) वाहन चालकों के पद जो शा०सं०—जी०—7 / 28—3—7(75) / 81 दिनांक 31.3.82 तथा शा०सं०—7179 / 28—3—7(75) / 81 दिनांक 12.9.93 एवं शा०सं०—908 / 28—3—7(192) / 93 दिनांक 5—12—84 में मूल रूप से सृजित तथा शा०सं०—908 / 28—3—(27) / 85 दिनांक 22.5.1985 द्वारा वर्ष 1985—86 में चालू रखे गए थे, में से 8 (आठ) वाहन चालकों के पदों को भी विश्व बैंक पोषित परियोजना में स्थानान्तरित किए जाने एवं चालू वित्तीय प्रदान करते हैं। शेष दो पद जो ऊपर उल्लिखित शा० सं०—105 / 28—3—7(192) / 83 दिनांक 5—12—1984 द्वारा सृजित थे, पर्यूत ई०ई०सी० पोषित जलागम प्रबन्ध परियोजनान्तर्गत बने रहेंगे”।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा० पत्र संख्या —ई—8—2425 / X—86 दिनांक 13.8.1986 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं”।

भवदीय,

डी० एन०श्रीवास्तव,  
विशेष सचिव,

**संख्या— 2477 / 28—3—7(175) / 83 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकर, उ० प्र० इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, पर्वतीय विकास मंत्री जी।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—8 / दो प्रतियों में।
4. वित्त (वेतन आयोग (अनुभाग—1 / 2 (छ: प्रतियों में।
5. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल / नैनीताल गढ़वाल मण्डल / पौड़ी।
6. समस्त जिलाधिकारी, पर्वतीय क्षेत्र।
7. परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, मुनि—की—रेती, टिहरी गढ़वाल।
8. परियोजना प्रबन्धक, मछलाड / श्रीनगर / रान्दीगाड़ / नयार दांया / रुद्रप्रयाग / पनार / पश्चिमी नयार ऊप जलागम ईकाई।

आज्ञा से,

डी० एन०श्रीवास्तव,  
विशेष सचिव,

प्रेषक,

श्री अशोक कुमार,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक  
उ0प्र0 जलागम प्रबन्ध निदेशालय,  
151, वसन्त विहार, देहरादून।

पर्वतीय विकास अनुभाग—3

लखनऊ: दिनांक अप्रैल 28, 1986

विषय:— पश्चिमी नयार उप जलागम हेतु स्टाफ की स्वीकृति।

महोदय,

आपके पत्र सं0 1475 / 11-3(9) दिनांक 6.1.86 के सन्दर्भ में यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल हिमालयन जलागम प्रबन्ध योजना के पश्चिमी नयार उप जलागम में जलागम प्रबन्ध कार्य किए जाने हेतु इस शासनादेश के “सलग्नक—क” तथा “ख” में उल्लिखित अस्थाई पदों के 28.2.87 तक, यदि उससे पहिले ही बिना पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजन की स्वीकृति एतत द्वारा प्रदान करते हैं।

2. परियोजना प्रबन्धक का पद के सृजन के आदेश अलग से जारी किए जायें।
3. अग्रेतर श्री राज्यपाल संलग्नक—ख में उल्लिखित पदों को वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग—2, खण्ड—2 के मूल नियम 9(4) सहपठित मूल नियम—40 के अन्तर्गत उनके मूल विभाग के पदों के सर्वंग में अस्थाई अभिवृद्धि भी घोषित करते हैं
4. उपर्युक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय—समय पर निर्धारित नियमों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता भी देय होंगे।
5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 1986—87 में अनुदान संख्या—47 के अधीन आय व्ययक के लेखाशीर्षक “299—विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र आयोजनागत—पर्वतीय क्षेत्र ठ—अन्य व्यय (वन—24—केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनायें—ड़ समन्वित माईक्रोवाटरशेड की परियोजना का कार्यान्वयन के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।
6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0 ई0 —8—1306 / X- 86, दिनांक 26.4.86 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

अशोक कुमार  
विशेष सचिव,

संख्या— 289 / 28-3-5(1)86 दिनांकित

1. महालेखाकर, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, पर्वतीय विकास मंत्री जी।
3. वित्त (व्यय—नियन्त्रण) अनुभाग—8 (2 प्रतियां।)
4. वित्त (वेतन आयोग (अनुभाग—1/2 (6 प्रतियां।)
5. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी, पर्वतीय क्षेत्र। <sup>61</sup>

7. परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, मुनि—की—रेती, टिहरी गढ़वाल।
8. परियोजना प्रबन्धक, रान्दीगाड़ / नयार दांया / मछलाड / रुद्रप्रयाग / श्रीनगर / पनार / पश्चिमी नयार

आज्ञा से

अशोक कुमार  
विशेष सचिव,

संख्या— 289 / 28—३—५(१)८६ दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे संलग्नक “क” में उल्लिखित पदों को प्रतिनियुक्ति से भरने की एवं संलग्नक –“ख” में उल्लिखित अस्थाई अभिवृद्धि घोषित पदों को जिनके वे नियुक्ति प्राधिकारी हैं, स्वयं भरने की कार्यवाही कृपया अविलम्ब करने का कष्ट करें।

1. सचिव, उ०प्र० शासन, कृषि / फलोद्यान / भू—संरक्षण विभाग।
2. सचिव, वन विभाग, उ०प्र० शासन।
3. विशेष सचिव, क्षेत्रीय विकास, उ०प्र० शासन।

अशोक कुमार  
विशेष सचिव,

संलग्नक—“क”

जलागम संगठन के पद  
(मुख्य परियोजना निदेशालय के अधीन)

क्रम सं0	पदनाम	वेतनक्रम	सृजित पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	उप प्रबन्धक	850—40—1050— द0रो0 —50—1300—60—1420—दे0रो0 —60—1720	1
2.	सांख्यकीय सहायक	570—25—770— द0रो0 —30—980—30—1100	1
3.	लेखालिपिक	430—12—490—15—520—द0रो0—15—640—द0रो0—15—685	1
4.	वरिष्ठ लिपिक	430—12—490—15—520—द0रो0—15—640—द0रो0—15—685	2
5.	कनिष्ठ लिपिक—क्रम— टाइपिस्ट	354—10—424—द0रो0—10—454—12—514—द0रो0—12—550	3
6.	चपरासी / चौकीदार	305—5—330—द0रो0—6—360—द0रो0—6—390	3
7.	ड्राईवर	330—7—365—8—381—द0रो0—8—405—9—450—द0रो0—495	2
	कुल योग		13

(अशोक कुमार)  
विशेष सचिव

राज्यादेश सं0 289 / 8-3-5(1)86 दिनांक मार्च 28, 1986 का संलग्नक

संलग्नक—“ख”

जलागम संगठन के पद  
(रेखा विभाग के अधीन)

क्र०सं0	पदनाम	वेतनक्रम	सृजित पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	सहायक वन संरक्षक	850—40—1050— द0रो0 —50—1300—601420—दे0रो0 —60—1720	1
2.	वन राजिक	570—25—770— द0रो0 —30—980—30—1100	5
3.	उप राजिक	430—12—490—15—520—द0रो0—15—640—द0रो0—15—द0 रो0 —15—685	5
4.	वनविद	354—12—490—15—520—द0रो0—10—454—12—514—द0रो0—12 —550	5
5.	वन रक्षक	330—7—365—8—381—द0रो0—8—405—9—450—द0रो0—9—495	32
6.	प्लान्टेर जमादार (रापणी नायक)	330—7—365—8—381—द0रो0—8—405—9—450—द0रो0—9—495	8
7.	नायब तहसीलदार	515—15—590—18—626—द0रो0—18—680—20—780—द0रो020— 860	1
8.	सर्वेयर	470—15—575—द0रो0 15—650—17—701—द0रो0—17—735	2
9.	माली	305—5—330—द0रो0—6—360—द0रो0—6—390	4
10.	वरिष्ठ सहायक	470—15—575— द0रो0 15—650—17—701—द0रो0—17—735	1
11.	आशुलिपिक	470—15—575— द0रो0 15—650—17—701—द0रो0—17—735	1
12.	वरिष्ठ लिपिक	430—12—490—15—520—द0रो0—15—640—द0रो0—15—685	1
13.	कनिष्ठ लिपिक / टंकक	354—10—424—द0रो0—10—454—12—514—द0रो0—12—550	2
14.	मानचित्रकार (अर्ह)	470—15—575—द0रो0—15—650—17—701—द0रो0—17—735	1
15.	स्टोरकीपर	354—10—424—द0रो0—10—454—12—514—द0रो0—12—550	1
16.	कनिष्ठ लिपिक (रेज)	354—10—424—द0रो0—10—454—12—514—द0रो0—12—550	5
17.	वाहन चालक	330—7—365—8—381—द0रो0—8—405—9—450—द0रो0—495	1
18.	चौकीदार	305—5—330—द0रो0—6—360—द0रो0—6—390	1
19.	चपरासी	305—5—330—द0रो0—6—360—द0रो0—6—390	1
	योग		78

क्र०सं०	पदनाम	वेतनक्रम	सूजित पदों की संख्या
<b>कृषि</b>			
1.	विषक विषेशज्ञ (ग्रुप-1)	570—25—770—द०रो०—30—980—द०रो०—30—1110	2
2.	सहायक विकास अधिकारी (ग्रुप- ॥)	470—15—575—द०रो०—15—650—17— <b>701</b> — द०रो० — 17—735	1
3.	सहायक विकास अधिकारी (ग्रुप- ॥।)	400—10—450—12—474—द०रो०—12—570—द०रो०—15—615	4
	योग		7
<b>उद्यान एवं फल उपयोग</b>			
1.	एस०एम०एस (ग्रुप'- ।)	570—25—770—द०रो०—30—980—द०रो०—30—1110	1
2.	सहायक विकास सुपरवाइजर	354—10—424—द०रो०—10—454—12—514—द०रो०—12—550	1
3.	माली	305—5—330—द०रो०—6—360—द०रो०—6—390	6
	योग		8
<b>पशुपालन</b>			
1.	लाइव स्टोक डेवलपमेन्ट आफिसर (वेटरिनरी एसिस्टेण्ट सर्जन)	770—40—1050— द०रो०५०—13000—60—1420— द०रो०—60—1600	
2.	बुल अटेन्डेन्ट (साड़ परिचर)	305—5—330—द०रो०—6—360—द०रो०—6—390	
<b>लघुसिंचार्झ</b>			
1.	अवर अभियन्ता	515—15—590—18—626—द०रो०—18—680—20—780—द०रो०—20—860	1
2.	ट्रेसर	330—7—365—8—381—द०रो०—8—405—9—450—द०रो०—495	1
3.	योग		2
4.	कुल योग		111

(अशोक कुमार)  
विशेष सचिव

## संख्या 289 / ८-३-५(१) ८६

1. ....
2. ....
3. ....
4. विशेष सचिव, उ० प्र० शासन, क्षेत्रीय विकास विभाग
5. कृषि अनुभाग -3/4
6. वन अनुभाग-3
7. पशुपालन अनुभाग-2
8. क्षेत्रीय विकास अनुभाग-2

## संख्या 289 / ८-३-५(१) ८६

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे संलग्नक “ख” में उल्लिखित अस्थाई अभिवृद्धि घोषित पद, जिनके वह नियुक्ति प्राधिकारी हैं, को भरने की कार्यवाही कृपया अविलम्ब करने का कष्ट करें।

1. प्रमुख वन संरक्षक, उ०प्र० लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक (पर्व०, उ०प्र० लखनऊ।
3. निदेशक, कृषि, कृषि निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
4. अपर कृषि निदेशालय, कृषि एवं भूमि संरक्षक, (पर्वतीय क्षेत्र) पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल।
5. निदेशक, उद्यान एवं फलोप्रयोग, उ०प्र० लखनऊ।
6. अतिरिक्त निदेशक, उद्यान एवं फलोप्रयोग, रानीखेत।
7. निदेशक, पशुपालन निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता, (लघुसिंचाई), जवाहर भवन, उ०प्र० लखनऊ।

आज्ञा से

(अशोक कुमार)  
विशेष सचिव

प्रेषक,

श्री अशोक कुमार,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक  
उ0प्र0 जलागम प्रबन्ध निदेशालय,  
151, वसन्त विहार, देहरादून।

पर्वतीय विकास अनुभाग—3

लखनऊ: दिनांक अप्रैल 29, 1986

**विषयः— विश्व बैंक पोषित जलागम प्रबन्ध परियोजनान्तर्गत वाहन चालकों एवं ट्रक क्लीनरों के अस्थाई पदों का सुजन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—1633/5-15-2 (बी) दिनांक 22 जनवरी, 1986 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय विश्व बैंक पोषित जलागम प्रबन्ध परियोजना हेतु निम्न पदों के सुजन को उनके रखे जाने की तिथि से 28.3.87 तक, यदि व बिना पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाय की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1.	वाहन चालक	4	330—7—365—8—381—द0रो0—8—405—9—450—द0रो0—495
2.	ट्रक क्लीनर	6	305—5—330—द0रो0—6—360—द0रो0—6—390

2. इसके अतिरिक्त राज्यपाल महोदय ई0ई0सी0 पोषित जलागम प्रबन्ध परियोजना हेतु उपलब्ध 10(दस) वाहन चालकों के पदों में से 8 (आई) वाहन चालकों के पदों को, जो शासनादेश संख्या जी—7/28-3-7(75)81 दिनांक 31.3.1982 में मूल रूप से सृजित तथा शासनादेश संख्या 908/28-3-5(27)/85 दिनांक 22.5.85 द्वारा वर्ष 1985-86 में चालू रख गये थे, भी विश्व बैंक परियोजना में स्थानान्तरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।
3. उपर्युक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता भी देय होंगे।
4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 1986-87 के आय व्ययक के लेखाशीर्षक "299—विशेष एवं पिछड़े हुए क्षेत्र आयोजनागत — पर्वतीय क्षेत्र ठ—अन्य व्यय (वन—24—केन्द्र द्वारा पूरोनिर्धानित योजनायें—ड़ समन्वित माइक्रोवाटरशेड की परियोजना का कार्यान्वयन के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।
5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0 ई0—8—1118/X- 86, दिनांक 28.4.1986 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

अशोक कुमार  
विशेष सचिव,

1. महालेखाकर, उ० प्र० इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, पर्वतीय विकास मंत्री जी।
3. वित्त (व्यय—नियन्त्रण) अनुभाग—8 (2 प्रतियां।)
4. वित्त (वैतन आयोग (अनुभाग—1/2 (छः—छः प्रतियां।
5. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी, पर्वतीय क्षेत्र।
7. परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, पौड़ी / मुनि—की—रेती, टिहरी गढ़वाल।
8. परियोजना प्रबन्धक, मछलाड / श्रीनगर / रान्दीगाड़ / नयार दांया / रुद्रप्रयाग / पनार / पश्चिमी नयार।

आज्ञा से

अशोक कुमार  
विशेष सचिव,

संख्या— 407 / 28—3—7(175)83 तद्‌दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे संलग्नक 'क' में उल्लिखित पदों को प्रतिनियुक्ति से भरने की एवं संलग्नक —'ख' में उल्लिखित अस्थाई अभिवृद्धि घोषित पदों को जिनके वे नियुक्ति प्राधिकारी हैं, स्वयं भरने की कार्यवाही कृपया अविलम्ब करने का कष्ट करें।

1. विशेष सचिव, क्षेत्रीय विकास, उ0प्र0 शासन।
2. कृषि अनुभाग 3/4
3. वन अनुभाग—3
4. पशुपालन अनुभाग—2
5. क्षेत्रीय विकास अनुभाग—2

आज्ञा से,

अशोक कुमार  
विशेष सचिव,

प्रेषकः—

डी० एन० श्रीवास्तव,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

मुख्य परियोजना निदेशक  
उ०प्र० जलागम प्रबन्ध निदेशालय,  
151, वसन्त विहार, देहरादून।

पर्वतीय विकास अनुभाग—3

लखनऊ: दिनांक 28 मार्च, 1987

विषय:— पश्चिमी नयार उप जलागम हेतु स्टाफ की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या 289 / 28—3—5(1) / 84 दिनांक 28 अप्रैल 1986 एवं समसंख्यक शासनादेश दिनांक 26 मई, 1986 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल हिमालयन जलागम प्रबन्ध योजना के पश्चिमी नयार, उप जलागम में जलागम प्रबन्ध कार्य किए जाने हेतु इस शासनादेश के संलग्नक 'क' तथा 'ख' में उल्लिखित अस्थाई पदों के इस शासनादेश के निर्गत होने अथवा उसके बाद के तिथि से 28....88 तक यदि उससे पहले ही बिना किसी पूर्व सूचना के उनहें समाप्त न कर दिया जाय, सजून की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. अग्रेतर श्री राज्यपाल संलग्नक "ख" में उल्लिखित पदों को वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग—2, खण्ड—2 के मूल नियम 9(4) सहपठित मूल नियम —40 के अन्तर्गत उनके मूल विभाग के पदों के वर्ग में अस्थाई अभिवृद्धि भी घोषित करते हैं
3. उपर्युक्त पदों के पद धारकों को शासन द्वारा समय—समय पर निर्धारित नियमों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी देय होंगे।
4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 1987—88 में अनुदान संख्या —47 के अधीन आय— व्यय के लेखाशीर्षक 2551 —पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत 60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र —155 वानिकी और वन्य जीवन—18 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें —1805 समन्वित माइक्रोवाटरशेड की परियोजना का कार्यान्वयन के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
5. उपरोक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि इस प्रकार के व्यय हेतु व्यवस्था संबंधित विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत करा दी जायें।
6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं० ई० —8—1001 / X- 87, दिनांक 20.3.87 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक :— यथोपरि।

भवदीय,

(डी०एन० श्रीवास्तव)  
विशेष सचिव

संख्या— 2825 / 28—3—5(1) / 86

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकर, उ० प्र० इलाहाबाद ।
2. निजी सचिव, पर्वतीय विकास मंत्री जी ।
3. वित्त ( व्यय— नियन्त्रण) अनुभाग—८ (२ प्रतियां ।)
4. वित्त (वेतन आयोग (अनुभाग—१ / २ (छः—छः प्रतियां ।
5. आयुक्त, कुमायू मण्डल, नैनीताल गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।
6. समस्त जिलाधिकारी, पर्वतीय क्षेत्र ।
7. परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल / मुनि—की—रेती, टिहरी गढ़वाल ।
8. परियोजना प्रबन्धक, रान्दीगाड़ / नयार दांया / मछलाड / रुद्रप्रयाग / श्रीनगर / पनार / पश्चिमी नयार ।
9. सचिव, उ०प्र० शासन, वन विभाग ।

आज्ञा से

डी०एन० श्रीवास्तव  
विशेष सचिव

राज्यादेश सं0 2825/20-3-5 (1)/86 दिनांक का संलग्नक

संलग्नक—“क”

जलागम संगठन के पद  
(रेखा विभाग के अधीन)

क्र०सं0	पदनाम	वेतनक्रम	सूचित पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	सहायक अरण्यपाल	850—40—1050— द0रो0 —50—1300—601420—दे0रो0 —60—1720	1
2.	सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई तथा अन्य अभियन्तण कार्य)	850—40—1050— द0रो0 —50—1300—601420—दे0रो0 —60—1720	1
3.	पशुधन विकास अधिकारी	770—40—1050— द0रो050—13000—60—1420— द0रो0—60— 1600	1
4.	प्रावधिक सहायक (ग्रुप -1)	570—25—770—द0रो0—30—980—द0रो0—30—1110	3
	1. कृषि		
	2. फलोद्यान		
	3. भूमि संरक्षण		
5.	डिप्टी रेंजर	430—12—490—15—520—द0रो0—15—640—द0रो0—15—द0 रो0 —15—685	1
6.	फॉरेस्ट गार्ड	330—7—365—8—381—द0रो0—8—405—9—450—द0रो0—9—495	3
7.	फॉरेस्ट रेंजर	570—25—770—द0रो0—30—980—द0रो0—30—1110	1
	योग		11

राज्यादेश सं0 2825 / 20-3-5 (1) / 86 दिनांक का संलग्नक

संलग्नक—“ख”

जलागम संगठन के पद  
(रिखा विभाग के अधीन)

क्र०सं0	पदनाम	वेतनक्रम	सृजित पदों की संख्या
1	2	3	4
<b>वन विभाग</b>			
1.	वन विद (फॉरेस्टर)	354—12—490—15—520—द0रो0—10—454—12—514—द0रो0—12—550	1
2.	वन संरक्षक	330—7—365—8—381—द0रो0—8—405—9—450—द0रो0—9—495	4
3.	प्लानटेशन जमादार	345—7—380—9—398—द0रो0—9—470—द0रो0—10—510	2
4.	माली	305—5—330—द0रो0—6—360—द0रो0—6—390	1
	योग		8

प्रेषकः—

डी० एन० श्रीवास्तव,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक  
उ०प्र० जलागम प्रबन्ध निदेशालय,  
151, वसन्त विहार, देहरादून।

पर्वतीय विकास अनुभाग—3

लखनऊ: दिनांक 4 अगस्त मार्च, 1987

**विषयः—** विश्व बैंक पोषित जलागम प्रबन्ध परियोजनान्तर्गत संशोधित पशुपालन कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाने हेतु नए पदों के इन्क्रीमेन्टल स्टाफ की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय आपके पत्र संख्या 210/12—4 दिनांक 2 अगस्त 1986 एवं 678, 12—4 दिनांक 30 अगस्त, 1986 के सन्दर्भ में मैं मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय विश्व बैंक पोषित जलागम प्रबन्ध परियोजनान्तर्गत पशुपालन कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाने हेतु प्रत्येक उपजलागम इकाईयों के अन्तर्गत संलग्नक ‘क’ में उल्लिखित कुल 27 पदों को नियुक्ति की तिथि से 29 फरवरी, 1980 तक के लिए सृजन की स्वीकृति प्रदान करते हैं। बशर्ते कि इन्हें इससे पहले ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय।

2. अग्रेतर श्री राज्यपाल संलग्नक ‘ख’ में उल्लिखित पदों को वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग—2, खण्ड—2 के मूल नियम 9(4) सहपठित मूल नियम —40 के अन्तर्गत उनके मूल विभाग के पदों के वर्ग में अस्थाई अभिवृद्धि भी घोषित करते हैं
3. उपर्युक्त पदों के पद धारकों को शासन द्वारा समय—समय पर निर्धारित नियमों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी देय होंगे।
4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 1987—88 में अनुदान संख्या—47 के अधीन आय— व्यय के लेखाशीर्षक 2551 —पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत 60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र —155 वानिकी और वन्य जीवन—18 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—1805 समन्वित माइक्रोवाटरशेड की परियोजना का कार्यान्वयन के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
5. उपर्युक्त स्वीकृति इस शब्द के अधीन है कि व्यय वर्ष 1987—88 के लेखा अनुदान एवं सम्बन्धित विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत निधि के अधीन रखा जाये और अतिरिक्त व्यय तथी किया जाये जबकि इसके लिए वर्ष 1987—88 के मूल आय— व्ययक एवं सम्बन्धित विनियोग अधिनियम द्वारा व्यय किये जाने हेतु अनुमति प्राप्त हो जाये।
6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं० ई० —8—2013/दस— 1987 दिनांक 18 जुलाई, 1987 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक :— यथोपरि।

भवदीय,

(डी०एन० श्रीवास्तव)  
विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकर, उ० प्र० इलाहाबाद ।
2. परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल / मुनि—की—रेती, टिहरी गढ़वाल ।
3. परियोजना प्रबन्धक, उप जलागम प्रबन्ध इकाई, मछलाड / श्रीनगर / रान्दीगाड / नयार दांया / रुद्रप्रयाग / पनार व पश्चिमी नयार ।
4. विशेष सचिव पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश शासन ।
5. अपर निदेशक (नियोजन) पशुपालन निदेशालय, लखनऊ ।
6. निजी सचिव, पर्वतीय विकास मंत्री जी ।
7. वित्त लेखा अनुभाग—2
8. वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—2
9. वित्त (व्यय—नियन्त्रण) अनुभाग—2
10. वित्त (वेतन आयोग (अनुभाग—1 / 2 (3—3 प्रतियां ।
11. पर्वतीय विकास अनुभाग—9 / 10 / दै० सैल
12. मूल्यांकन सैल ।
13. निजी सचिव, राज्य मंत्री प्रवतीय विकास विभाग, उ० प्र० शासन ।

आज्ञा से

डी०एन० श्रीवास्तव  
विशेष सचिव

शासकीय संख्या-886 / 28-3-7(102) / 83 दिनांक अगस्त 1987 का संलग्नक

पदनाम	वेतनमान (रु०)	पदों की संख्या (उपजलागम)						
		मछलाड	श्रीनगर	रान्दीगाड	रुद्रप्रयाग	पश्चिमी नयार	पनार	नयार दांया
पशुधन विकास अधिकारी	850-40-1050- द०रो० -50-1300-601420- द०रो० -60-1720 अनुभाग के शासनादे”। संख्या 3065/बारह -प० 1-49-2(79)81 दिनांक 14.8. 85 के अनुसार		1				1	2
पशुधन विकास अधिकारी	850-40-1050- द०रो० -50-1300-601420- द०रो० -60-1720 अनुभाग के शासनादे”। संख्या 3065/बारह -प० 1-49-2(79)81 दिनांक 14.8. 85 के अनुसार					1		1
एकाउन्टेन्ट	570-25-770-द०रो०-30-980-द०रो०-30-1110		1				1	2
मैकेनिक	400-10-450-12-474-द०रो०-12 -570 द०रो०15-615		1				1	2
आपरेटर	430-12-490-15-520-द०रो०-15 -640-द०रो०-15-द०रो०-15-685				1		1	2
पृष्ठन विकास सहायक	400-10-450-12-474-द०रो०-12 -570 द०रो०15-615					1		1
स्टोर कीपर	354-10-424-द०रो०-10-454-12 -514-द०रो०-12-550		1				1	2
कीपर कम चौकीदार	305-5-330-द०रो०-6-360-द०रो०-6-390		1				1	2
परिचायक	305-5-330-द०रो०-6-360-द०रो०-6-390	1	1	1		1	1	5
चौकीदार	305-5-330-द०रो०-6-360-द०रो०-6-390					1		1
क्षेत्र सहायक	305-5-330-द०रो०-6-360-द०रो०-6-390	1	1	1	1	1	1	7
	योग-							27

आर0 के0 दर  
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन  
पर्वतीय विकास अनुभाग-3  
लखनऊ: दिनांक 11 मई, 1988

विषय:- हिमालयन जलागम प्रबन्ध परियोजना के अन्तर्गत इन्कमीमेन्टल स्टाफ को जलागम प्रबन्ध शासन के प्रशासनिक नियन्त्रण में रखना।

प्रिय महोदय,

विश्व बैंक की सहायक से वर्ष 1983 से कार्यान्वित हिमालयन जलागम प्रबन्ध परियोजना की विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन अब तक सम्बन्धित छ: रेखा विभागों के माध्यम से किया जा रहा था। दिनांक 8 जनवरी 1988 को हिमालय जलागम स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुपाल में एम0टी0आर0 द्वारा उपरोक्त परियोजना के कार्यान्वयन हेतु वर्तमान प्रशासनिक ढाँचे में परिवर्तन करके यूनिफाइड कमाण्ड पद्धति लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2. अतः इस निर्णय के परिपालन में इस समय जलागम प्रबन्ध परियोजना के विभिन्न कार्यक्रमों के सम्पादन में कार्यरत रेखा विभागों के समर्जत इन्कमीमेन्टल स्टाफ (Incremental Staff) को, जिनका विवरण संलग्न तालिका-1 में उपलब्ध है, जो जहाँ पर जिस प्रकार हो उसी आधार पर जलागम प्रबन्ध प्रशासन के प्रशासनिक नियन्त्रण में तत्कालिक प्रभाव से रखा जाता है तथा भविष्य में ये कार्मिक परियोजना प्रशासन से निर्देशन में कार्य करेंगे।
3. उपरोक्त निर्णय को प्रभावी करने हेतु आवश्यक आदेश अपने स्तर से तुरन्त निर्गत करने का कष्ट करे।

संलग्नक :— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर0 के0 दर)  
प्रमुख सचिव

1. श्री कमल पण्डे, सचिव, उ0प0 शासन, वन विभाग।
2. श्री रवि मोहन सेठी, सचिव, उ0प0 शासन, कृषि विभाग।
3. श्री रवि मोहन सेठी, सचिव, उ0प0 शासन, फलोद्यान विभाग।
4. श्री बजेन्द्र, सचिव, उ0प0 शासन, पशुपालन विभाग।
5. श्री रवि मोहन सेठी, सचिव, उ0प0 शासन, फलोद्यान विभाग।
6. श्री आई0पी0 ऐरन, सचिव, उ0प0 शासन, क्षेत्रीय विकास विभाग।
7. श्री हरिकान्त, मुख्य वन संरक्षक (पर्वतीय), उ0 प्र0 लखनऊ।
8. श्री ऋषि राय शर्मा निदेशक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
9. श्री जग बहादुर सिंह, निदेशक फलोद्यान निदेशालय, उ0 प्र0 लखनऊ।
10. डा0 राम जनम सिंह निदेशक पशुपालन निदेशालय, उ0 प्र0 लखनऊ।
11. श्री एस0सी0 अरोड़ा मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई जवाहर भवन, उ0 प्र0 लखनऊ।

शा0प0स0 / 578 / 28-3-5(20) / 88 तददिनांक

प्रिय महोदय,

उपर्युक्त की प्रति मुझे आपको सूचनार्थ एवं इस अनुरोध से प्रेषित करने की अपेक्षा की गयी है। कि आप कृपया अपने स्तर की कार्यवाही तदनुसार किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,  
(आर0सी0 श्रीवास्तव)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकर, उ0 प्र0 इलाहाबाद ।
2. समस्त प्रमुख सचिव, एवं सचिव, उ0प्र0 शासन ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, पर्वतीय क्षेत्र ।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमांऊ मण्डल नैनीताल ।
5. समस्त जिलाधिकारी ( पर्वतीय क्षेत्र)
6. मुख्य परियोजना निदेशक उ0प्र0 जलागम प्रबन्ध निदेशालय, 151, वसन्त विहार , देहरादून ।
7. परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, पौड़ी / देहरादून / अल्मोड़ा ।
8. निजी सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी, उ0 प्र0
9. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री पर्वतीय विकास विभाग मंत्री जी ।
10. मुख्य सचिव के विशेष सहायक उ0 प्र0 शासन ।
11. उपाध्यक्षक (द्वितीय) पर्वतीय विकास परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ ।
12. समस्त उप परियोजना निदेशक द्वारा परियोजना निदेशक पौड़ी तथा देहरादून ।

.....साहनी

**संलग्नक**  
**3 से 5 तक चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्र के लिए परियोजना .....**

1.	परियोजना प्रबन्धक	1	1250—50—1300—60—1600—द०रो०—60—1900—75—2050 यदि परियोजना प्रबन्धक भारतीय वन सेवा का अधिकारी पदमुक्त होता है तो अगले सर्वंग के वेतनमान में वेतन आहरित करेगा।
2.	सांख्यकीय सहायक	1	570—25—770 द०रो०—30—980—द०रो० 30—1100
3.	लेखा लिपिक	1	430—12—490—15—520—द०रो०—15—640—द०रो०—15—635
4.	वरिष्ठ लिपिक	2	430—12—490—15—520—द०रो०—15—640—द०रो०—15—635
5.	कनिष्ठ लिपिक / टंकक	3	354—10—424—द०रो०—10—454—12—514—12—550
6.	चपरासी	1	305—5—330—द०रो०—6—360—द०रो०—6—390
7.	चौकीदार / पीऑन	1	305—5—330—द०रो०—6—360—द०रो०—6—390
8.	सहायक अरण्यपाल	1	850—40—1050—द०रो०—50—1500—60—1420 द०रो०—60—1720
9.	सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई तथा अन्य अभियंत्रणा कार्य हेतु	1	850—40—1050—द०रो०—50—1500—60—1420 द०रो०—60—1720
10.	फॉरेस्ट रेञ्जर	1	570—25—770 द०रो०—30—890—द०रो० 30—1100
11.	डिप्टी रेंजर	1	430—12—490—15—520—द०रो०—15—640—द०रो०—15—685
12.	फॉरेस्ट गार्ड	3	330—7—365—द०रो०—8—381—द०रो०—8—405—9—450
13.	ग्रुप —1 के कृषि फलोद्यान तथा भूमि संरक्षण संम्बन्धी अधिकारी	3	570—25—770 द०रो०—30—980—द०रो०— 30—1100
14.	वेटनरी असिस्टेन्ट सर्जन / पशुधन विकास अधिकारी	1	770—40—1050—द०रो०—50—..... 60—1420—द०रो०—60—1600
15.	झाइवर	1	330—7—365—द०रो०—8—381—द०रो०—8—405—9—450
		22	

आज्ञा से

सरला साहनी  
संयुक्त सचिव

संख्या—2310/20—3—7(167)/83

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास, उ०प्र०
3. सचिव, वन विभाग, उ०प्र०
4. सचिव, वित्त / कृषि सचिव, /नियोजन सचिव, सिंचाई / उ०प्र० शासन।
5. महालेखाकर, उ० प्र० इलाहाबाद।

6. मुख्य अरण्यपाल, उ0प्र., लखनऊ (3 अतिरिक्त प्रतियों सहित) अपर मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल मण्डल देहरादून।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, पर्वतीय क्षेत्र।
8. कृषि निदेशक / पशुपालन निदेशक / फलोद्यान निदेशक / मुख्य अभियन्ता लघु सिचाई, उ0 प्र0 लखनऊ।
9. परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल / मुनि-की-रेती, टिहरी गढ़वाल।
10. वन संरक्षक गढ़वाल देहरादून।
11. प्रोजेक्ट निदेशक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
12. नियोजन (3) अनुभाग वित्त वेतन आयोग (अनुभाग)
13. वन अनुभाग (3) / (4) / (1) / (2)
14. पर्वतीय विकास अनुभाग— 9 / 10 / दै0 सैल
15. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0 प्र0 लखनऊ।
16. निजी सचिव, पर्वतीय विकास मंत्री जी।
17. निजी सचिव, उपध्यक्षक (द्वितीय ) पर्वतीय विकास परिषद लखनऊ।
18. राज्य मंत्री प्रवतीय विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
19. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग—8 / वित्त (वेतन आयोग (अनुभाग— (6 प्रतियों में।
20. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।

आज्ञा से

सरला साहनी  
संयुक्त सचिव

## रेखा विभागों में अस्थाई अभिवृद्धि घोषित पदों के सम्बन्ध में

क्र० सं०	पद का नाम	वेतनमान	विश्व बैंक	ई०ई०सी	योग
<b>वानिकी</b>					
1.	सहायक वन संरक्षक	850—1720	7	4	31
2.	वन राजिक	570—1100	27	1	7
3.	नायब तहसीलदार	515—860	7	4	31
4.	उप राजिक	430—685	27	5	38
5.	वनविद (फॉरेस्टर)	354—550	33	29	225
6.	वन रक्षक	330—495	196	2	60
7.	रोपिणी नायक	330—495	52	4	31
8.	माली	305—390	27	1	8
9.	वरिष्ठ सहायक (प्रधानलिपिक)	470—735	7	1	8
10.	आशुलिपिक	470—735	7	1	8
11.	मानचित्रकार	470—735	7	2	14
12.	सर्वेयर	470—735	12	1	8
13.	वरिष्ठ लिपिक	430—685	7	7	50
14.	कनिष्ठ लिपिक / टंकक	354—550	43	1	8
15.	स्टोरकीपर	354—550	7	7	8
16.	वाहन चालक	330—495	7	1	8
17.	चपरासी	305—390	7	1	8
18.	चौकीदार/ पीओ०न	305—390	7	1	8
	योग		<b>487</b>	<b>73</b>	<b>559</b>
<b>लघु सिंचाई</b>					
1.	अधिशासी अभियन्ता	1250—2050	1	—	1
2.	सहायक अभियन्ता	850—1750	4	—	4
3.	अवर अभियन्ता	515—860	8	2	10
4.	ट्रेसर / मानचित्रकार	330—495	7	1	8
	योग		<b>20</b>	<b>2</b>	<b>23</b>
<b>पशुपालन</b>					
1	पशुधन विकास अधिकारी	770—1600	1	1	2
2	स्टाफ मैन	400—515	—	2	2
3	बुल अटेन्डेन्ट	305—390	10	4	14
	योग		<b>11</b>	<b>7</b>	<b>18</b>
<b>फलोद्यान</b>					
1.	विषय विशेषज्ञ (ग्रुप—1)	570—1100	1	—	
2.	सहायक विकास अधिकारी	470—735	4	1	3
3.	सुपरवाइजर	400—515	2	—	
4.	माली	305—309	24	4	28
	योग		<b>27</b>	<b>5</b>	<b>36</b>
<b>कृषि तथा भूमि संरक्षक</b>					
1.	विषय विशेषज्ञ	570—1100	14	—	14
2.	अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी	570—1100	2	—	2
3.	सहायक विकास अधिकारी	470—735	33	—	33
4.	सहायक कृषि निरीक्षक	400—615	132	—	132
5.	ग्राम विकास अधिकारी	400—615	22	—	22
योग			<b>205</b>	—	<b>205</b>
बृहत योग			<b>754</b>	<b>87</b>	<b>841</b>

## प्रेषकः—

कृष्ण प्रसाद सक्सेना,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

मुख्य परियोजना निदेशक  
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून।

## पर्वतीय विकास अनुभाग—3

ਲਖਨਾਉ: ਦਿਨਾਂਕ 22 ਮਾਰਚ, 1991

**विषयः— जलागम प्रबन्ध परियोजनान्तर्गत ई०ई०सी० वित्त पोषित भीमताल परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।**

महोदय

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या 2324/11-11 दिनांक 4.12.90 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कुमायू मण्डल के जनपद नैनीताल में भीमताल क्षेत्र के पर्यावरणी स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वनों के विकास, भू-क्षारण को रोकने एवं स्थानीय जनता को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, भूमि एवं जल संसाधनों को उचित उपयोग हेतु भीमताल में जलागम प्रबन्ध परियोजना चलाये जाने के लिए भारत सरकार के माध्यम से “यूरोपियन आर्थिक समुदाय (ई0ई0सी0) से प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 3-5-90 को वित्तीय अनुबन्ध किया गया जिसकी योजनावधि 1990-97 (सात वर्ष) तक होगी तथा योजना पर कुल रु0 11.31 करोड़ का व्यय अनुमानित है। परियोजना को वर्ष 1990-91 से क्रियान्वित किए जाने हेतु राज्यपाल महोदय वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित पदों को नियुक्ति की तिथि से दिनांक 29.2.92 तक के लिए सृजन की स्वीकृति प्रदान करते हैं बशर्ते कि उन्हें इससे पहले ही बिना किसी पूर्व सुचना के समाप्त न कर दिया जाय।

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	2	3	5
1.	कार्यालय अधीक्षक श्रेणी – ॥	1400–2600	1 (एक)
2.	लेखाकार	1200–2040	1 (एक)
3.	वरिष्ठ लिपिक	1200–2040	3 (तीन)
4.	स्टेनो / आशुलिपिक	1200–2040	2 (दो)
5.	कनिष्ठ लिपिक / टंकक	950–1500	3 (तीन)
	योग		10 (दस)

- उक्त पदों के धारकों को शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी देय होंगे। भीमताल परियोजना के कार्यों का नियंत्रण परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध परियोजना, अल्मोड़ा के अधीन होगा तथा परियोजनानात्मक सृजित पद रेखा विभागों में अस्थायी अभिवृद्धि माने जायेंगे और इन पदों का प्रशासनिक नियंत्रण परियोजना निदेशक प्रशासन के अन्तर्गत होगा।
  - इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहना है कि राज्यपाल महोदय ने भीमताल परियोजना के प्रारम्भिक कार्य किए जाने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 1990-91 में रु0 2, 75,000 (रु0

दो लाख पचहत्तर हजार) मात्र जिसकी फॉट संलग्नक में दी गयी है, के अन्तर्गत व्यय किए जाने पर भी सहमति प्रदान कर दी हैं मद संख्या –21 मोटर गाड़ी के मद में व्यवस्थित धनराशि से परियोजना के लिए एक ट्रक क्य किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 1990–91 के अनुपूरक अनुदान संख्या –47 के अधीन आय— व्यय के लेखाशीषक 2551 —पहाड़ी क्षेत्र—आयोजनागत 60—अन्य पहाड़ी क्षेत्र —145 वानिकी और वन्य जीवन—01 केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित /केन्द्रीय आयोजनागत योजनायें—0110 — भीमताल जलागम प्रबन्ध परियोजना का कार्यान्वयन” के नामे डाला जायेगा।
5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0 ई0 –8 / 862 / दस—91 दिनांक 22.3.91 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक :— यथोपरि।

भवदीय,

(कृष्ण प्रसाद सक्सेना)  
अनु सचिव,

संख्या— 199 / 28—3—5(24) / 90 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकर (लेखा परीक्षा)— 1 बी0ए0एस0एस0 / तीन टी0ए0डी0 कोआर्डिनेशन, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. आयुक्त, कुमायू मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी नैनीताल।
4. संयुक्त सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्वतीय प्रभाग, श्रीनगर गढ़वाल।
5. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, नैनीताल।
6. कोषाधिकारी, देहरादून / अल्मोड़ा / नैनीताल।
7. परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध परियोजना, अल्मोड़ा।
8. वित्त (व्यय—नियन्त्रण) अनुभाग—8
9. वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1
10. पर्वतीय विकास अनुभाग—9 / 10 / टेकलीकल सेल / कम्प्यूटर सेल।
11. मूल्यांकन सेल, पर्वतीय विकास विभाग।

आज्ञा से

(कृष्ण प्रसाद सक्सेना)  
अनु सचिव,

शासनादेश संख्या 199 / 28-3-5 (24) / 90 दिनांक 22 मार्च 1991 का संलग्नक (जलागम प्रबन्ध परियोजना)

0110— भीमताल जलागम प्रबन्ध परियोजना

(हजार रु० मे०)

01— वेतन	6
03— महंगाई भत्ता	5
04—यात्रा भत्ता	1
05—अन्य भत्ता	3
06—कार्यालय व्यय	6
07—टेलीफोन व्यय	—
11 — किराया / उपशुल्क एवं कर	—
12—प्रकाशन	—
13— विज्ञापन बिक्री एवं विस्थापन व्यय	—
<b>14—लघु निर्माण कार्य</b>	—
21—मोटर गाड़ियों का क्रय	2,50
22—मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्राल की खरीद	5
33—अन्य व्यय	—
14— सहायक अनुदान / अंशदान / राज्य सहायता	—
योग	2, 75

(कृष्ण प्रसाद सक्सेना)  
अनु सचिव,

स्वीकृत शासनादेश के लिए संशोधित कम्प्यूटर प्रोफार्मा

(रु0 लाख में)

क्रम संख्या	199/28-3-5(58)/89— दिनांक मार्च 22, 1991	
सैक्टर सब सैक्टर का नाम :—	जलागम प्रबन्ध परियोजना	योजना कोड 101240200102
योजना का नाम :—	भीमताल परियोजना	
जिला / राज्य सैक्टर :—	राज्य स्तर	
वाह्य पोषित / केन्द्र पोषित (प्रतिशत)	वाह्य पोषित	
बजट के प्रकार :—	प्रथम अनुपूरक मांग	
लेखाशीर्षक :—	0110— भीमताल परियोजना	बजट घनराशि — 2,75,000
जिला :—	नैनीताल	किस्त संख्या —एक
स्वीकृत धनराशि	2,75,000	
कुल धनराशि	2,75,000	

प्रेषकः—

मदन मोहन सिंह,  
विशेष कार्याधिकारी सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक  
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून।

पर्वतीय विकास अनुभाग—3

लखनऊ: दिनांक 18 दिसम्बर, 1991

विषयः— ई0ई0सी0 पोषित भीमताल परियोजना हेतु स्टाफ की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या 4973/5-28-2 दिनांक 5-4-1991 के सन्दर्भित में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कुमाऊँ मण्डल के जनपद नैनीताल में भारत सरकार के माध्यम से “यूरोपियन आर्थिक समुदाय” (ई0ई0सी0) द्वारा वित्त पोषित भीमताल योजना के क्रियान्वयन हेतु परियोजना रिपोर्ट माह नवम्बर 1990 के अनुसार कुल (6) पदों के आवश्यकता है। जिनके पदनाम एवं वेतनमान विभागीय संवगों में संलग्नक-1 के स्तम्भ-1 से 3 तथा 6 पर अंकित है।

2. उपरोक्त योजना को वर्ष 1990-91 में आरम्भ किये जाने हेतु संलग्नक के स्तम्भ-8 में प्रदर्शित 10 पदों को स्वीकृति शासनादेश संख्या —199/28-3-5(24)/90, दिनांक 22.3.1991 द्वारा प्रदान की जा चुकी है।
3. मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि ई0ई0सी पोषित भीमताल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यपाल महोदय 112 पदों को जिनके पदनाम, वेतनमान तथा संख्या विभागीय संवगों सहित संलग्नक-2 में पृथक से संकलित कर दी गई है, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 29.2.1992 तक बशर्ते कि उसे पहले ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जायें, सृजन की स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं।
  1. उक्त विभिन्न श्रेणी के 112 पदों में 55 पद जिनका विवरण संलग्नक-1 के स्तम्भ 2,5 तथा 7 में अंकित है, विश्व बैंक योजना में लगे कर्मचारियों से भरे जायेंगे।
  2. सहायक कृषि निरीक्षक वर्ग -3 के 12 पद के साथ अन्य सभी पद सम्बन्धित विभागों से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को लेकर भरे जायेंगे।
  3. उपरोक्त उप प्रस्तर -1 के अनुसार विश्व बैंक की योजना में 55 पदों को शासनादेश संख्या 1807(1)/28-3-5(24)/90 दिनांक 18.12.91 द्वारा समाप्त कर दिया जाता है।
  4. चूंकि उप प्रस्तर-1 के अनुसार 55 पदों के वेतन एवं भत्ते आदि को व्यवस्था विश्व बैंक परियोजना में की गयी है अतः इन पदों को भीमताल परियोजना में स्थानान्तरित कर समायोजित किये जाने के पश्चात विश्व बैंक परियोजना के व्यय भार को इतनी सीमा तक कम करे का प्रस्ताव उपलब्ध करायें।
  5. भीमताल परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 में आय-व्ययक की व्यवस्था करायें जाने हेतु पूर्ण प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत करें जिससे पूर्व स्वीकृत 10 पदों तथा अतिरिक्त 112 पदों एवं शेष (112-155)= 57 पदों के वेतन एवं भत्ते आदि की व्यवस्था हेतु व्यय भार की सूचना अलग से भी पूर्ण विवरण सहमति भेजी जाये।
  4. उक्त पदों के धारकों को शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियों तथा शासनादेशों के अन्तर्गत महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते देय होंगे।

5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 1991-92 के अनुपूरक अनुदान संख्या -47 के अधीन आय-व्यय के लेखाशीर्षक 2551 -पहाड़ी क्षेत्र-आयोजनागत 60-अन्य पहाड़ी क्षेत्र-145 वानिकी और वन्य जीवन-01 केन्द्र द्वारा पुरीनिधानित/केन्द्रीय आयोजनागत योजनायें-0110 -भीमताल जलागम प्रबन्ध परियोजना का कार्यान्वयन” के नामे डाला जायेगा।
6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0 ई0 -8 / 2665 / दस-91 दिनांक 17.12.1991 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(मदन मोहन सिंह)  
विशेष कार्याधिकारी

#### संख्या— 199 / 28-3-5(24) / 90तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकर (लेखा परीक्षा)-1 कास तीन टी0ए0डी0 कोआर्डिनेशन, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी / माननीय मंत्री, उत्तराचल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-8 / वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1 / 2
4. आयुक्त, कुमायू मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल पौड़ी
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल क्षेत्र।
6. सं परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध परियोजना, देहरादून।
7. संयुक्त सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तरांचल विकास विभाग, श्रीनगर गढ़वाल / अल्मोड़ा।

आज्ञा से

(मदन मोहन सिंह)  
विशेष कार्याधिकारी

#### संख्या— 199 / 28-3-5(24) / 90तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अनुरोध से प्रेषित कि भीमताल जलागम प्रबन्ध परियोजना हेतु स्वीकृत अतिरिक्त आवश्यक पदों की रिक्तियों को सम्बन्धित विभागीय संवंगों के उपयुक्त पदधारकों द्वारा प्रतिनियुक्ति के माध्यम से तत्काल भरे जोने की कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

1. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन विभाग, फलोद्यान विभाग, लघु सिंचाई विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग, भूति संरक्षण विभाग, पशुपालन विभाग।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश लखनऊ/मुख्य वन संरक्षक (उत्तरांचल) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक (पशुपालन) उत्तरांचल क्षेत्र, पशुपालन विभाग, गोपेश्वर, चमोली।
4. अपर निदेशक (उत्तरांचल) कृषि एवं भूमि संरक्षण विभाग, पौड़ी।
5. मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई, जवाहर भवन लखनऊ।
6. अपर निदेशक (उत्तरांचल) उद्यान एवं फलोउपयोग विभाग, उत्तर प्रदेश रानीखेत, अल्मोड़ा।
7. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 एवं 2 (तीन-तीन प्रतियों में)।

आज्ञा से

(के0पी0 सक्सेना)  
अनु सचिव



शासनादेश संख्या 2131/20-3-5(24)/90 दिनांक 10 दिसम्बर, 1991 का संलग्नक-1  
 विश्व बैंक वित्त पोषित जलागम प्रबन्ध परियोजना में स्वीकृत पदों के सापेक्ष भीमताल परियोजना हेतु विभाजित/समायोजित किए जाने वाले पदों की  
 स्थिति

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	विश्व बैंक योजना में कुल स्वीकृत पदों की संख्या	सूजित पद / शासनादेश संख्या व दिनांक	भीमताल परियोजना के लिए संशोधित दिसम्बर 90 के अनुसार वांछित आवश्यक पद	विश्व बैंक योजना के स्तम्भ 4 में स्वीकृत पदों के सापेक्ष भीमताल परियोजना हेतु विभाजित समायोजित किये जाने वाले पद	भीमताल परियोजना के लिए शा० संख्या 199/28-3-5 (24)/90 दिनांक 23.3.91 में स्वीकृत पद	स्तम्भ 7 व 8 का योग	भीमताल परियोजना हेतु शेष वांछित पद	विश्व बैंक अन्तर्गत चलने वाले शेष पद
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>वानिकी संवर्ग</b>										
1.	परियोजना निदेशक (मुख्यालय)	3000-4500	2	184 / 28-3-5-(56) / 84 दिनांक 31-5-85  3695 / 28-3-5-(20) / 88 दिनांक 16-10-89	1  <hr/> 2	1  <hr/> 2	-	-	-	1  2
2.	सहायक वन संरक्षक	2200-4000	8	8232 / 28-3-7-(75) / 81 दिनांक 5-10-83  184 / 28-3-5-(56) / 84 दिनांक 31-1-85  289 / 28—35-(1) / 86 दिनांक 28-4-86  4068 / 28-5-(56) / 84 दिनांक 22-7-85	1  <hr/> 3  <hr/> 1  <hr/> 3	2	1	-	1	1  1  7
3.	सांख्यकीय सहायक	1400-2600	8	8232 / 28-3-7-(75) / 81 दिनांक 5-10-83	1	1	1	-	1  -	7

				8318 / 28-3-7(167) / 83 दिनांक 15-12-83 184 / 28-3-5 (56) / 84 दिनांक 31-1-85 289 / 28-3-5-(1) / 86 दिनांक 28-4-86 3695 / 28-3-5-(20) / 88 टी0सी0 -    दिनांक 16-10-89	1 4 1 1 <hr/> 8					
4.	वन रेंजर	1400-2600	30	184 / 28-3-5-(56) / 84 दिनांक 31-1-85 289 / 28-3-5-(1) / 84 दिनांक 28-4-86 2825 / 28-3-7-(1)86 दिनांक 28-3-86 51 / 28-3-7-(86) / 84 दिनांक 28-3-86 2909 / 28-3-7-(167) / 83 दिनांक 22-11-84 4068 / 28-3-5-(56) / 84 दिनांक 22-7-85	2 5 1 4 4 <hr/> 14 <hr/> 30	3	3	-	3	- 27
5.	उप वन रेंजर	1200-2240	16	2909 / 28-3-7-(167) / 83 दिनांक 22-11-84 4068 / 28-3-5-(56) / 84 टी0सी0 -    दिनांक 22-7-85	4 <hr/> 12 <hr/> 16	6	-	-	-	6 16
6.	फॉरेस्टर	950-1500	42	289 / 28-3-5-(1) / 86 दिनांक 28-4-86 2825 / 28-3-5-(1)86 दिनांक 28-3-86	5 1	12	4	-	4	8 38

				51 / 28-3-7-(193) / 83 दिनांक 5-12-84 2909 / 28-3-7-(167) / 83 दिनांक 22-11-84 4068 / 28-3-5-(56) / 84 दिनांक 22-7-85 2183 / 28-3-5-(12) दिनांक 6-5-85 3695 / 28-3-5-(20) / 88 टी०सी० -    दिनांक 16-10-89	5  5  17  2  7  <u>42</u>						
7.	रोपणी नायक	950-1400	55	4068 / 28-3-5-(56) / 84 टी०सी० दिनांक 22-7-85 289 / 28-3-5-(1) / 86 दिनांक 28-4-86 51 / 28-3-7-(193) / 83 दिनांक 5-12-84 2909 / 28-3-7-(167) / 83 दिनांक 22-11-84 3695 / 28-3-5-(20) / 88 टी०सी० -    दिनांक 16-10-89	26  8  2  8  8  3  <u>55</u>	6	4	-	4	2	51
8.	वन रक्षक	825-1200	168	8318 / 28-3-7-(167)83 दिनांक 15-12-86 184 / 28-3-5-(56) / 84 दिनांक 31-1-85 2825 / 28-3-5-(1)86 दिनांक 28-3-86 289 / 28-3-5-(1) / 86 दिनांक 28-4-86	3  12  7  32	18	-	-	-	18	168

				2183 / 28-3-5-(17) / 83 दिनांक 6-5-85 51 / 28-3-7-(193) / 83 दिनांक 5-12-84 2909 / 28-3-7-(167) / 83 दिनांक 22-11-84 4068 / 28-3-5-(56) / 84 टी0सी0 दिनांक 22-7-85	<u>2</u> <u>29</u> <u>29</u> <u>54</u> <u>168</u>					
9.	सर्वेयर	1200–2040	11	289 / 28-3-5(1) / 84 दिनांक 28-4-86 51 / 28-3-7-(193) / 83 दिनांक 5-12-84 4068 / 28-3-5-(56) / 84 टी0सी0 दिनांक 22-7-85	<u>2</u> <u>2</u> <u>7</u> <u>11</u>	3	—	—	—	3 11
10.	मानचित्रकार	1200–2040	10	184 / 28-3-5-(56) / 84 दिनांक 31-1-85 289 / 28-3-5(1) / 86 दिनांक 28-4-86 51 / 28-3-7-(193) / 83 दिनांक 5-12-84 2909 / 28-3-7-(167) / 83 दिनांक 22-11-84 4068 / 28-3-5-(56) / 84 टी0सी0 दिनांक 22-7-85 3695 / 28-3-5-(20) / 88 टी0सी0 –    दिनांक 16-10-89	<u>1</u> <u>1</u> <u>1</u> <u>1</u> <u>4</u> <u>2</u> <u>10</u>	1	—	—	—	1 10
11.	प्राविधिक सहायक	1400–2600	7	184 / 28-3-5-(56) / 84 दिनांक 31-1-85 3695 / 28-3-5-(20) / 88	<u>1</u> <u>6</u>	1	1	—	1	— 6

				टी०सी० – ॥ दिनांक 16–10–89	<u>7</u>							
12.	नायब तहसीलदार	1400–2300	7	289 / 28–3–5(1) / 86 दिनांक 28–4–86 51 / 28–3–7–(193) / 83 दिनांक 5–12–84 2909 / 28–3–7–(167) / 83 दिनांक 22–11–84 4068 / 28–3–5–(56) / 84 टी०सी० दिनांक 22–7–85	1 1 1 1 <u>4</u> <u>7</u>	1	1	1	–	1	–	6
13.	रेंज लिपिक	950–1500	29	289 / 28–3–5(1) / 86 दिनांक 28–4–86 2909 / 28–3–7–(167) / 83 दिनांक 22–11–84 4068 / 28–3–5–(56) / 84 टी०सी० दिनांक 22–7–85 3695 / 28–3–5–(20) / 88 टी०सी० – ॥ दिनांक 10–10–89	5 5 14 <u>5</u> <u>29</u>	3	3	3	–	3	–	26
14.	कार्यालय अधीक्षक (ग्रेड-2)	1400–2600	9	शा०सं० 3695 / 20–3–5(20) / 88 टी०सी० – ॥ दिनांक 16–10–89	9	1	–	1	1	–	9	
15.	लेखाकार / महालेखाकार	1200–2040	7	शा०सं० 3695 / 20–3–5(20) / 88 टी०सी० – ॥ दिनांक 16–10–89	7	1	–	1	1	–	7	
16.	वरिष्ठ लिपिक / लेखा लिपिक	1200–2040	24	289 / 28–3–5(1) / 86 दिनांक 28–4–86 8232 / 28–3–5(75) / 81 दिनांक 5–10–83	3 2	5	–	3	3	2	24	

				8318 / 28-3-5(167) / 93 दिनांक 15-12-83 184 / 28-3-5-(56) / 84 दिनांक 31-1-85 51 / 28-3-7-(193) / 83 दिनांक 5-12-84 2909 / 28-3-7-(167) / 83 दिनांक 22-11-84 4068 / 28-3-5-(56) / 84 टी0सी0 दिनांक 22-7-85 184 / 28-3-5(56) / 84 दिनांक 31-5-85 3695 / 20-3-5(20) / 88 टी0सी0- ॥ दिनांक 16-10-89	2  8  1  1  4  2  1  <u>24</u>						
17.	आशुलिपिक	1200-2040	13	184 / 28-3-5(56) / 84 दिनांक 31-5-85 289 / 28-3-5(1) / 86 दिनांक 28-4-86 51 / 28-3-7-(193) / 83 दिनांक 5-12-84 2909 / 28-3-7-(167) / 83 दिनांक 22-11-84 4068 / 28-3-5-(56) / 84 टी0सी0 दिनांक 22-7-85 3695 / 20-3-5(20) / 88 टी0सी0- ॥ दिनांक 16-10-89	1  1  1  1  4  5  <u>13</u>	2	-	2	2	-	13
18.	कनिष्ठ लिपिक / टंकक	950-1500	37	1184 / 28-3-5-(56) / 84 दिनांक 31-5-85 51 / 28-3-7-(193) / 83	5  7	5	-	3	3	2	37

				दिनांक 5–12–84 2909 / 28–3–7–(167) / 83 दिनांक 22–11–84 2232 / 28–3–5–(75) / 81 दि नांक 5–10–83 184 / 28–3–5(56) / 84 दिनांक 31–5–85 4068 / 28–3–5–(56) / 84 टी०सी० दिनांक 22–7–85	<b>2</b>  <b>3</b>  <b>12</b>  <b>8</b> <hr/> <b>37</b>							
19.	स्टोर कीपर	950–1500	<b>10</b>	289 / 28–3–5(1) / 86 दिनांक 28–4–86 51 / 28–3–7–(193) / 83 दिनांक 5–12–84 2909 / 28–3–7–(167) / 83 दिनांक 22–11–84 4068 / 28–3–5–(56) / 84 टी०सी० दिनांक 22–7–85 3695 / 28–3–5(20) / 88 टी०सी०–    दिनांक 16–10–89	<b>1</b>  <b>1</b>  <b>1</b>  <b>4</b>  <b>3</b> <hr/> <b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	—	<b>1</b>	—	<b>9</b>
<b>उद्यान</b>												
20.	उद्यान अधिकारी श्रेणी–2	2200–4000		विश्व बैंक योजना में यह पद सृजित / स्वीकृत नहीं है		<b>1</b>	—	—	—	<b>1</b>	—	
21.	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक वर्ग –1	1400–2600	<b>6</b>	289 / 28–3–5(1) / 86 दिनांक 24–4–86 8318 / 28–3–7(167) / 83 दिनांक 15–12–83 184 / 20–3–5(56) / 84 दिनांक 31–1–85 2825 / 20–3–5(56) / 84	<b>1</b>  <b>1</b>  <b>1</b>  <b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	—	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	

				दिनांक 31-1-85 184 / 20-3-5(56) / 84 दिनांक 31-5-85	<u>1</u> <u>6</u>							
22.	सहायक विकास अधिकारी	1200-2040	4	289 / 28-3-5(167) / 83 दिनांक 22-11-84 4068 / 28-3-5-(56) / 84 टी०सी० दिनांक 22-7-85	<u>1</u> <u>3</u> <u>4</u>	2	1	-	1	1	3	
23.	माली	750-940	36	289 / 28-3-5(1) / 86 दिनांक 28-4-84 51 / 28-3-7-(193) / 83 दिनांक 5-12-84 2909 / 28-3-7-(167) / 83 दिनांक 22-11-84 4068 / 28-3-5-(56) / 84 टी०सी० दिनांक 22-7-85 3695 / 20-3-5(20) / 88 टी०सी०- ॥ दिनांक 16-10-89	<u>6</u> <u>6</u> <u>4</u> <u>8</u> <u>12</u> <u>36</u>	8	2	-	2	6	34	
<b>पशुपालन</b>												
24.	पशुधन विकास अधिकारी श्रेणी-2	2200-4000	12	8232 / 28-3-7-(75) / 81 दि नांक 5-10-83 8318 / 28-3-7-(167) / 83 दि नांक 15-12-83 184 / 20-3-5(56) / 84 दिनांक 31-5-85 289 / 28-3-5(1) / 86 दिनांक 28-4-86 2825 / 20-3-5(1) / 86 दिनांक 28-3-86 886 / 20-3-7(102) / 83 दिनांक 4-8-87	<u>1</u> <u>1</u> <u>4</u> <u>1</u> <u>1</u> <u>3</u>	3	2	-	2	1	10	

				3695 / 20-3-5(20) / 88 टी०सी०-    दिनांक 16-10-89	<u>1</u> <u>12</u>							
25.	प्राविधिक सहायक ग्रुप-1	1400-2600		विश्व बैंक योजना में यह पद सृजित / स्वीकृत नहीं है	-	3	-	-	-	3	-	
26.	पशु प्रसार सहायक / पशुधन विकास निरीक्षक (स्टाक मैन)	975-1660	20	3695 / 20-3-5(20) / 88 टी०सी०-    दिनांक 16-10-89	20	3	2	-	2	1	18	
लघु सिंचाई												
27.	सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई)	2200-4000	3	8232 / 28-3-7-(75) / 81 दि नांक 5-10-83 8318 / 28-3-7-(167) / 83 दि नांक 15-12-83 184 / 20-3-5(56) / 84 दिनांक 31-5-85	<u>1</u> <u>1</u> <u>1</u> <u>3</u>	1	1	1	-	1	-	2
28.	अवर अभियन्ता	1400-2300	12	184 / 20-3-5(56) / 84 दिनांक 31-5-85 289 / 28-3-5(1) / 86 दिनांक 28-4-86 4028 / 28-3-7-(56) / 83 टी०सी० दिनांक 22-7-85 51 / 28-3-7-(193) / 83 दिनांक 5-12-84 2909 / 28-3-7-(167) / 83 दिनांक 22-11-84 3695 / 28-3-5(20) / 88 टी०सी०-    दिनांक	1 1 3 1 1 5	3	2	-	2	1	10	

				16–10–89	<u>12</u>						
29.	ट्रेसर		4	4068 / 28–3–5–(56) / 84 टी0सी0 दिनांक 22–7–85	<u>14</u>	1	1	–	1	–	3
<b>कृषि ट्रेनिंग एण्ड विजिट सहित</b>											
30.	कृषि अधिकारी श्रेणी-2	825–1200	1	3695 / 28–3–5(1) / 86 दिनांक 28–4–86	1	1	1	–	1	–	–
31.	विषय वस्तु विशेषज्ञ वर्ग-1/ अपर जिला कृषि अधिकारी	1400–2600	17	289 / 28–3–5(1) / 86 दिनांक 28–4–86 जी0आई0–12 / 28–3–5 (62) / दिनांक 27–1–86 184 / 20–3–7(56) / 84 दिनांक 31–1–85 8232 / 28–3–7–(75) / 81 दि नांक 5–10–83 8318 / 28–3–7–(167) / 83 दि नांक 15–12–83 184 / 20–3–5(56) / 84 दिनांक 31–5–85 2825 / 20–3–5(56) / 84 दिनांक 28–3–86	2  7  1  1  1  4  1  17	5	3	–	3	2	14
32.	सहायक विकास अधिकारी (कृषि वर्ग-2)	1200–2040	35	289 / 28–3–5(1) / 86 दिनांक 28–4–86 51 / 28–3–7–(193) / 83 दिनांक 5–12–84 2909 / 28–3–7–(167) / 83 दिनांक 22–11–84 4068 / 28–3–5–(56) / 84 टी0सी0 दिनांक 22–7–85 जी0आई0–12 / 28–3–5 (62) / दिनांक 27–1–86	1  1  1  3  27	12	6	–	6	6	29

				3695 / 20-3-5(20) / 88 टी0सी0- ॥ दिनांक 16-10-89	<u>2</u> <u>35</u>						
33.	कृषि .....	750-940		विश्व बैंक योजना में यह पद सृजित / स्वीकृत नहीं है	-	1	-	-	-	1	-
34.	सहायक कृषि निरीक्षक वर्ग-3	975-1600	160	2909 / 28-3-7-(167) / 83 दिनांक 22-11-84 4068 / 28-3-5-(56) / 84 टी0सी0 दिनांक 22-7-85 289 / 28-3-5(1) / 86 दिनांक 28-4-86 51 / 28-3-7-(193) / 83 दिनांक 5-12-84 जी0आई0-12 / 28-3-5 (62) / दिनांक 27-1-86 3695 / 20-3-5(20) / 88 टी0सी0- ॥ दिनांक 16-10-89	8  46  4  4  124  4  <u>160</u>	24	12	-	12	12	148
35.	चौकीदार / अर्दली/ चपरासी	750-940	42	8232 / 28-3-7-(75) / 81 दि नांक 5-10-83 8318 / 28-3-7-(167) / 83 दिनांक 15-12-83 184 / 20-3-5(56) / 84 दिनांक 31-1-85 289 / 28-3-5(1) / 86 दिनांक 28-4-86 51 / 28-3-7-(193) / 83 दिनांक 5-12-84 2183 / 28-3-5-(17) / 83 दिनांक 6-5-85	2  2  8  5  3  1	12	1	-	1	8	41

				2909 / 28-3-7-(167) / 83 दिनांक 22-11-84 184 / 20-3-5(56) / 84 दिनांक 31-5-85 4068 / 28-3-5-(56) / 84 टी0सी0 दिनांक 22-7-85 3695 / 20-3-5(20) / 88 टी0सी0- ॥ दिनांक 16-10-89	<b>3</b>  <b>1</b>  <b>12</b>  <b>5</b>  <b>42</b>							
<b>कृषि संवर्ग</b>												
36.	(बी) चपरासी/ चौकीदार/ अर्दली	750-940	<b>8</b>	3695 / 20-3-5(20) / 88 टी0सी0- ॥ दिनांक 16-10-89	<b>8</b>	-	-	1	1	-	<b>7</b>	
<b>वानकी -</b>												
37.	श्रावण	950-1500	<b>32</b>	184 / 20-3-5(56) / 84 दिनांक 31-5-85 8232 / 28-3-7-(75) / 81दि नांक 5-10-83 8318 / 28-3-7-(167) / 83 दिनांक 15-12-83 184 / 20-3-5(56) / 84 दिनांक 31-5-85 289 / 28-3-5(1) / 86 दिनांक 28-4-86 51 / 28-3-7-(193) / 83 दिनांक 5-12-84 4068 / 28-3-5-(56) / 84 टी0सी0 दिनांक 22-7-85 407 / 28-3-7-(56) / 84 टी0सी0 दिनांक 29-4-86	<b>1</b>  <b>1</b>  <b>1</b>  <b>4</b>  <b>3</b>  <b>2</b>  <b>8</b>  <b>12</b>  <b>32</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	<b>5</b>	<b>32</b>

38.	क्लीनर (वानिकी)	750—940	9	407 / 28—3—7—(175) / 83 टी०सी० दिनांक 29—4—86 232 / 28—3—7—(175) / 83 टी०सी० दिनांक 4—6—86	5  4 — 9	2	—	—	—	— 2
39.	स्वीपर (वानिकी)	750—940	2	3695 / 20—3—5(20) / 86 टी०सी०—।। दिनांक 16—10—89	2	1	—	—	—	— 1
	योग		868							

संख्या 2131 / 20—3—5(24) / 90 दिनांक 18—12—1991 का संलग्नक—।।

भीमताल जलागम प्रबन्ध परियोजना हेतु अतिरिक्त सृजित किये जाने वाले पदों का विवरण

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान (अपने संवर्ग के अनुसार)	पदों की संख्या
1	2	3	4
वानिकी संवर्ग			
1.	सहायक वन संरक्षक	2200—75—2800—द०रो०—100—4000	1
2.	सांख्यकीय सहायक	1400—40—1600—द०रो०—2300—द०रो०—60—2600	1
3.	वन रैंजर	1400—40—1600—50—2300—द०रो०—60—2600	3
4.	उप वन रैंजर	1200—30—1560—द०रो० 40—2040	4
5.	फॉरेस्टर	950—20—1150—द०रो०—25—1500	8

6.	रोपणी नायक	950—20—1150—द०रो—25—1500	4
7.	वन रक्षक	825—15—900—द०रो—20—1200	16
8.	सर्वेयर	1200—30—1560—द०रो—040—2040	2
9.	मानचित्रकार	1200—30—1560—द०रो—040—2040	1
10.	प्राविधिक सहायक	1400—40—1600—द०रो—2300—द०रो—60—2600	1
11.	नायब तहसीलदार	1400—40—1800—द०रो—50—2300	1
12.	रेज लिपिक	950—20—1150—द०रो—25—1500	3
13.	स्टोर कीपर	950—20—1150—द०रो—25—1500	1
	योग		<b>46</b>

#### उद्यान विभाग

1.	जिला उद्यान अधिकारी श्रेणी— ॥	2200—60—2300—द०रो—32—3200	1
2.	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक वर्ग —1	1400—40—1600—50—2300—द०रो—60—2600	1
3.	सहायक विकास अधिकारी	1200—30—1560—द०रो—040—2040	1
4.	माली	750—12—870—द०रो—14—940	6
	योग		<b>9</b>

#### पशुपालन विभाग

5.	पशुधन विकास अधिकारी श्रेणी—2	2200—75—2800—द०रो—100—4000	2
6.	प्राविधिक सहायक ग्रुप—1	1400—40—1800—द०रो—30—2300	2
7.	पशुधन विकास निरीक्षक (स्टाक मैन)	925—25—1150—द०रो—30—1660	2
	योग		<b>6</b>

#### लघु सिंचाई

1.	सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई)	2200—75—2800—द०रो—100—4000	1
2.	अवर अभियन्ता	1400—40—1800—द०रो—30—2300	2
3.	ट्रेसर	825—15—900—द०रो—20—1200	1
	योग		<b>4</b>

#### कृषि संवर्ग

1.	कृषि अधिकारी श्रेणी—2	2200—75—2800—द०रो—100—4000	1
----	-----------------------	----------------------------	---

2.	विषय वस्तु विशेषज्ञ वर्ग-1/ अपर जिला कृषि अधिकारी	1400—40—1600—50—2300—द०रो— 60—2600	4
3.	सहायक विकास अधिकारी (कृषि वर्ग-2)	1350—30—1440—40—1800—द०रो—30—2200	8
4.	सहायक कृषि निरीक्षक वर्ग-3	975—25—1150—द०रो—30—1600	24
5.	चौकीदार / अर्दली / चपरासी	750—12—870—द०रो—14—940	8
6.	(बी) चपरासी / चौकीदार / अर्दली	750—12—870—द०रो—14—940	1
7.	ड्राइवर	950—20—1150— द०रो—25—1500	
	योग		47

#### संक्षिप्त विवरणः—

वन विभागः— 46, उद्यान विभाग :— 9, पशुपालन विभाग :—6, लघु सिंचाई विभाग :—4, कृषि विभागः— 47 (कुल पदों का योग 112) एक सौ बारह

प्रेषक

श्री दीपक त्रिवेदी  
संयुक्त सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

उद्योग निदेशक, उ० प्र०  
सामग्री क्रय अनुभाग  
कानपुर।

2. अन्य समस्त विभागाध्यक्ष तथा  
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

उद्योग अनुभाग (7) दिनांक लखनऊ 8 जनवरी, 1992

विषय : सामग्री क्रय नियमों के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्षों की प्राप्त स्वतंत्र क्रय के अधिकार की वित्तीय सीमा में बुद्धि।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं० 354 एल.एफ./18-डी-32एस. पी./60 दिनांक 16-11-82 शासनादेश सं० 752 (एस.पी.)/18-4-103 (एस.पी.)/73 दिनांक 9.11.1901 तथा शासनादेश संख्या 392 एस.पर./18. 4.46 (एस.पी.)/86 दिनांक 26.05.1987 के अनुक्रम में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है। कि इस .... विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में हुई बुद्धि को ध्यान रखते हुए राज्यपाल महोदय सामग्री क्रय नियमों के नियम 8 तथा 9 (3) में निम्नाकिंत संशोधन किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. सामग्री क्रय नियमों को नियम 8:

आपातकालीन स्थिति वाले मामलों में जबकि उद्योग निदेशालय के सामग्री क्रय अनुभाग के माध्यम से सामग्री क्रय करने में जनसेवा की असुविधा पहुंचने की स्थिति हो, कार्यालयाध्यक्ष एक बार में 20,000/- (रुपये बीस हजार केवल) मूल्य की सीमा तक सामग्री (विदेशी तथा स्वदेशी निर्मित दोनों प्रकार की वस्तुओं को (क्रय कर सकते हैं। इसी प्रकार विभागाध्यक्ष उपर्युक्त स्थिति एक समय में रु 1,00,000/- रुपये एक लाख केवल मूल्य की सीमा तक की वस्तुओं का सीधे क्रय कर सकते हैं। रुपये 20,000/- (बीस हजार रुपये मात्र) से अधिक और रु 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) की सीमा तक मूल्य की वस्तुओं के क्रय हेतु कार्यालयाध्यक्ष को अपने विभागाध्यक्ष को अनुमति तथा रु 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) से अधिक मूल्यों की वस्तुओं के सीधे क्रय हेतु विभागाध्यक्ष को शासन के प्रशासनिक विभाग की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। इस प्रकार के सीधे क्रय की स्वीकृति आदेश संबंधित कार्यालयाध्यक्ष /विभागाध्यक्ष /शासन के प्रशासकीय विभाग के सचिव के हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा और ऐसे आदेशों में यह स्पष्ट अंकित किया जाना आवश्यक होगा कि सम्बन्धित वस्तु का मूल्य सामग्री क्रय नियमों के अन्तर्गत अनुबंधित दर के अनुसार है और उनके अन्तर्गत उसी अवधि में संबंधित विभाग के लिये उद्योग निदेशालय द्वारा निर्णीत किये गये किसी मात्रा

अनुबंध के अन्तर्गत नहीं आता है तथा उन कारणों को भी उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा जिनके फलस्वरूप आपातकालीन अधिकारों का प्रयोग किया गया है। इन स्वीकृति आदेशों की प्रतियां उद्योग विभाग, वित विभाग और उद्योग निदेशक उत्तर प्रदेश (सामग्री क्रय अनुभाग) कानपुर की सदैव भेजी जानी चाहिए।

## 2. सामग्री क्रय नियमों का नियम 9 (3)

सामान्य उपयोग की जिन वस्तुओं का दर अनुबंध उद्योग निदेशालय (सामग्री क्रय अनुभाग) द्वारा न किया गया हो उन वस्तुओं के सम्बन्ध में कार्यालयाध्यक्ष एक ..... में रु0 5000/- (रु0 पांच हजार केवल) तक तथा विभागाध्यक्ष एक समय में रु0 25,000 (रु0 पच्चीस हजार केवल) ..... का सामान सीधे (उद्योग निदेशालय सामग्री क्रय अनुभाग के माध्यम के बिना हो) क्रय कर सकते हैं।।

उपर्युक्त नियम 8 तथा 9 (3) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का ..... निम्नान्ति शर्तों के अन्तर्गत ही किया जायेगा और स्वीकृति आदेश में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / शासन के प्रशासकीय विभाग के सचिव द्वारा निम्न प्रमाण –पत्र अंकित किया जाना आवश्यक होगा:—

प्रमाणित किया जाता है कि:

1. क्रय आय-व्ययक में उपलब्ध प्राविधान के अन्तर्गत किया जा रहा है।
2. रु0 500/- से अधि के सामानके क्रय हेतु कोटेशन तथा रु0 5000/- से अधिक मूल्य के सामान के क्रय हेतु नियमानुसार टेण्डर मांगने की शासनादेश सं ए-1-164 / दस-15(1)/80 दिनांक 21 जनवरी, 1987 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया गया है।
3. क्रय के लिये आवश्यक मात्रा के टुकड़े-टुकड़े करके उसे उपर्युक्त वित्तीय सीमा के अन्तर्गत नहीं किया गया है।
4. संबंधित वस्तु/वस्तुओं के क्रय की वित्तीय स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश सं0 ..... में प्रदान कर दी गई है। ये आदेश वित विभाग की सहमति से, जो उनके अशासकीय ...: एफ.ए-1-1/X-92 दिनांक 6 जनवरी, 1992 में प्राप्त हुई है, से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(दीपक त्रिवेदी)  
संयुक्त सचिव

सं0 2573 एस.पी./18-7-76 (एस.पी. (/86 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शासन के समस्त प्रमुख सचिव, सचिव एवं विशेष सचिव।
2. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3. महालेखाकार, (लेखा—। एवं || तथा (आडिट I व II) उ0प्र0 इलाहाबाद।

आज्ञा से

(दीपक त्रिवेदी)  
संयुक्त सचिव

प्रेषक

कृष्ण कुमार सिंह  
अनुसचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

मुख्य परियोजना निदेशक  
जलागम प्रबन्ध निदेशालय  
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून।  
उत्तरांचल विकास अनुभाग -3 लखनऊ दिनांक 23 जनवरी, 1993

विषय : विश्व बैंक एवं ई0ई0सी0 पोषित जलागम प्रबन्ध योजनान्तर्गत सृजित अस्थायी पदों का वर्ष 1992-93 में निरन्तरता की स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या -3390 / 5-28 दिनांक 10-4-92, संख्या -3384 / 5-28(2) दिनांक 9-4-92 तथा संख्या-3387 / 5-28 (1)दिनांक 10.04.92 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय विश्व बैंक एवं ई0ई0सी0 पोषित जलागम प्रबन्ध परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संलग्नक 1,2,3 के स्तम्भ-2 में अंकित पदों का कार्यकाल उनके समुख्य विनिर्दिष्ट संख्या एवं वेतनमान में दिनांक 28.02.93 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान करते हैं बशर्ते कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के उससे पहले ही समाप्त न कर दिया जाये। वर्ष 1991-92 में निरन्तरता संलग्नकों में अंकित शासनादेश द्वारा दिनांक 29.02.92 तक प्रदान की गयी थी।

2. उपर्युक्त पद पूर्णतया अस्थायी है। इनके पद धारकों की समय –समय पर निर्धारित सामान्य नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-95 के अधीन लेखा शीर्षक 2551 –पहाड़ी क्षेत्र –आयोजनागत -60–अन्य पहाड़ी क्षेत्र -145 –वानिकी और वन्य जीवन-01 केन्द्र द्वारा पुरीनिर्धारित/ केन्द्रीय आयोजनागतयोजनाओं के अन्तर्गत यथास्थित उन लेखा शीर्षक 0105–समन्वित माइक्रोवाटरशेड की परियोजना का कार्यान्वयन एवं उन लेखा शीर्षक 1001 –पर्वतीय क्षेत्र के टिहरी गढ़वाल जनपद में साउथ आफ भागीरथी जलागम क्षेत्र योजना तथा जलागम प्रबन्ध निदेशालय की स्थापना तथा उप लेखाशीर्ष 0110 भीमताल जलागम प्रबन्ध परियोजना का कार्यान्वयन के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयां के नाम डाला जायेगा।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार -3

भवदीय

(कृष्ण कुमार सिंह)  
अनुसचिव

संख्या 3462(1) /28-3-5(16)/86 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रेम बाजार निशातगंज, लखनऊ।
2. महालेखाकार (लेखा—परीक्षा)—1सी.ए.एस.एस. /तीन ठी0ए.डी. कोआर्डिनेशन उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद।
3. परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध परियोजना, अल्मोड़ा/पौड़ी/देहरादून।
4. कोषाधिकारी, पौड़ी/अल्मोड़ा/देहरादून/नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी (उत्तरांचल क्षेत्र)
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—8।
7. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—1/2।
8. वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1।

आज्ञा से

(कृष्ण कुमार सिंह)  
अनुसन्धिव

शासनादेश संख्या –3462 / 28–3–5(16) / 86 दिनांक 23–1–1993 का संलग्नक –I  
विश्व बैंक वित्त पोषित जलागम प्रबन्ध परियोजना में वर्ष 1992–93 में स्टाफ की निरन्तरता।

सं	पदनाम	वेतनमान	सं	सृजित शासनादेश संख्या व दिनांक	सं	वर्ष 1991–92 में निरन्तरता का शासनादेश व दिनांक
वानिकी संवर्ग						
1.	मुख्य परियोजना निदेशक	5900–6700	1	3695 / 28–3–5(20) / 88 टी.सी. दिनांक 16.10.89	1	883 / 28–3–5(16) / 86 दि 23.03.92
2.	परियोजना निदेशक	4500–5700	2	184 / 28–3–5(56) / 84 दिनांक 31.05.85	1	तथैव
				1579 / 28–3–5(20) / 88 दिनांक 11.05.88	1	तथैव
योग					2	
3.	उप परियोजना निदेशक (प्री. एवं नियोजन)	3000–4500 या भावसे	1	3695 / 28–3–5(20) / 88 टी.सी. II दिनांक 16.10.89	1	तथैव
4.	उप निदेशक (शोध)	3000–4500	7	3695 / 28–3–5(20) / 88 टी.सी. II दिनांक 16.10.89	1	तथैव
5.	उप परियोजना निदेशक (वानिकी)	3000–4500	1	8232 / 28–3–5(75) / 81 दिनांक 05.10.83	1	तथैव
				8318 / 28–3–7(167) / 83 दिनांक 15.12.83	1	
				184 / 28–3–5(56) / 84 दिनांक 31.05.85	1	
				289 / 28–3–5(1) / 86 दिनांक 26.05.86	4	
योग					7	
6.	उप परियोजना निदेशक (मुख्यालय)	3000–4500	1	3695 / 28–3–5(20) / 88 टी.सी. II दिनांक 16.10.89	1	तथैव
7.	सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं सांख्यिकी)	2200–4000	1	3695 / 28–3–5(20) / 88 टी.सी. II दिनांक 16.10.89	1	तथैव
8.	सहायक निदेशक (प्रोग्राम)	2200–4000	1	3695 / 28–3–5(20) / 88 टी.सी. II दिनांक 16.10.89	1	तथैव

सं	पदनाम	वेतनमान	सं	सृजित शासनादेश संख्या व दिनांक	सं	वर्ष 1991–92 में निरन्तरता का शासनादेश व दिनांक
9.	सहायक वन संरक्षक	2200–4000	7	184 / 28–3–5(56) / 84 दिनांक 31.01.85 289 / 28–3–5(1) / 86 दिनांक 28.04.86 4068 / 28–3–5(56) / 84 दिनांक 22.07.85	3 1 3	883 / 28–3–5(16) / 86 दि 23.03.92 तथैव तथैव
				योग	7	तथैव
10.	सहायक निदेशक (अनु)	2200–4000	1	2183 / 28–3–5(112) / 83 दिनांक 06.05.85	1	तथैव
11.	व०सांख्यकीय सहायक	1600–2660	3	3695 / 28–3–5(20) / 88 टी.सी. II दिनांक 16.10.89	3	तथैव
12.	फोटो इन्टरप्रिटेशन	1600–2660	1	तथैव	1	तथैव
13.	वन रेजर	1400–2600	27	184 / 28–3–5(56) / 84 दिनांक 31.01.85 289 / 28–3–5(1) / 84 दिनांक 28.04.86 2825 / 28–3–5(1) / 85 दिनांक 28.03.86 51 / 28–3–7(183) / 83 दिनांक 05.12.84 2909 / 28–3–7(167) / 83 दिनांक 22.11.84 4068 / 28–3–5(56) / 84 दिनांक 22.07.85	2 5 1 4 4 11	तथैव तथैव तथैव तथैव तथैव तथैव
				योग	27	
14.	प्राविधिक सहायक	1400–2600	6	3695 / 28–3–5(20) / 88 टी.सी. II दिनांक 16.10.89	6	तथैव
15.	सांख्यिकी सहायक	1400–2600	7	8318 / 28–3–7(167) / 83, दिनांक 15.12.83 184 / 28–3–5(56) / 84, दिनांक 31.5.85 289 / 28–3–5(1) / 86, दिनांक 28.4.86 3695 / 28–3–5(20) / 88 टी.सी. II दिनांक 16.10.89	1 4 1 1	तथैव तथैव तथैव तथैव
				योग	7	
16.	नायब तहसीलदार	1400–2300		289 / 28–3–5(1) / 86, दिनांक 28.3.86 51 / 28–3–7(183) / 83, दिनांक 05.12.84 2909 / 28–3–7(167) / 83 दिनांक 22.11.84 4068 / 28–3–5(156) / 84 दिनांक 22.07.85	1 1 1 3	तथैव तथैव तथैव तथैव

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	सं०	सृजित शासनादेश संख्या व दिनांक	सं०	वर्ष 1991-92 में नितन्तरता का शासनादेश व दिनांक
				योग—	<b>6</b>	
17.	सर्वेयर	1200-2040	11	289 / 28-3-5(1) / 86 दिनांक 28.04.86	2	883 / 28-3-5(16) / 86 दि 23.03.92
				51 / 28-3-7(193) / 83, दिनांक 05.12.84	2	तथैव
				4068 / 28-3-5(56) / 84 टी.सी. दिनांक 22.07.85	7	तथैव
				योग—	<b>11</b>	
18.	फोरस्टर	950-1500	38	289 / 28-3-5(1) / 86 दिनांक 28.04.86	5	तथैव
				2825 / 28-3-5(1) / 86 दिनांक 28.03.86	1	तथैव
				51 / 28-3-7(193) / 83 दिनांक 05.12.84	5	तथैव
				2909 / 28-3-7(167) / 83 दिनांक 22.11.84	5	तथैव
				4068 / 28-3-5(56) / 84 टी. सी. दिनांक 22.07.85	13	तथैव
				2183 / 28-3-5(112) / 83 दिनांक 06.5.85	2	तथैव
				3695 / 28-3-5(20) / 88 टी. सी. -II दि 16.10.89	7	तथैव
				योग—	<b>38</b>	
19.	प्लानटेशन जमादार	950-1500	51	4068 / 28-3-5(56) / 84 टी. सी. दिनांक 22.07.85	22	तथैव
				289 / 28-3-5(1) / 86 दिनांक 28.04.86	8	तथैव
				2825 / 28-3-5(1) / 86 दिनांक 28.03.86	2	तथैव
				51 / 28-3-7(193) / 83 दिनांक 05.12.84	8	तथैव
				2909 / 28-3-7(167) / 83 दिनांक 22.11.84	8	तथैव
				3695 / 28-3-5(20) / 88 टी. सी. -II दि 16.10.89	3	तथैव
				योग—	<b>51</b>	
20	वन रक्षक	825-1200	168	8318 / 28-3-7(167) / 83 दिनांक 15.12.83	3	तथैव
				184 / 28-3-7(56) / 84 दिनांक 31.1.85	12	तथैव
				2825 / 28-3-5(1) / 86 दिनांक 28.03.86	7	तथैव

सं	पदनाम	वेतनमान	सं	सृजित शासनादेश संख्या व दिनांक	सं	वर्ष 1991–92 में निरन्तरता का शासनादेश व दिनांक
				289 / 28-3-5(1) / 86 दिनांक 28.04.86	32	883 / 28-3-5(16) / 86 दि 23.03.92
				2183 / 28-3-5(112) / 83 दिनांक 06.5.85	2	तथैव
				51 / 28-3-7(193) / 83 दिनांक 05.12.84	29	तथैव
				2909 / 28-3-7(167) / 83 दिनांक 22.11.84	29	तथैव
				4068 / 28-3-5(56) / 84 टी. सी. दिनांक 22.07.85	54	तथैव
				योग	168	
21.	डिप्टी रेजर	1200–2040	16	2909 / 28-3-7(167) / 83 दिनांक 22.11.84	4	तथैव
				4068 / 28-3-5(56) / 84 टी. सी. दिनांक 22.07.85	12	तथैव
				योग	16	
22.	मानचित्रकार	1200–2040	10	184 / 28-3-5(56) / 84, दिनांक 31.5.85	1	तथैव
				289 / 28-3-5(1) / 86, दिनांक 28.4.86	1	तथैव
				51 / 28-3-7(193) / 83, दिनांक 05.12.84	1	तथैव
				2909 / 28-3-7(167) / 83 दिनांक 22.11.84	1	तथैव
				4068 / 28-3-5(56) / 84 टी. सी. दिनांक 22.07.85	4	तथैव
				3695 / 28-3-5(20) / 88 टी. सी. —॥ दि 16.10.89	2	तथैव
				योग	10	
23.	कार्यालय अधीक्षक -1	1640–2900	1	3695 / 28-3-5(20) / 88 टी. सी. —॥ दि 16.10.89	1	तथैव
24.	कार्यालय अधीक्षक -2	1400–2600	9	3695 / 28-3-5(20) / 88 टी. सी. —॥ दि 16.10.89	9	तथैव
25.	प्रभागीय लेखाकार	1400–2600	3	3695 / 28-3-5(20) / 88 टी. सी. —॥ दि 16.10.89	3	तथैव
26.	आशुलिपिक (कनिष्ठ)	1200–2240	12	184 / 28-3-5(56) / 84, दिनांक 31.5.85	1	तथैव
				289 / 28-3-5(1) / 86, दिनांक 28.4.86	1	तथैव
				51 / 28-3-7(193) / 83, दिनांक 05.12.84	1	तथैव
				2909 / 28-3-7(167) / 83 दिनांक 22.11.84	1	तथैव
				4068 / 28-3-5(56) / 84 टी. सी. दिनांक 22.07.85	4	तथैव

सं	पदनाम	वेतनमान	सं	सृजित शासनादेश संख्या व दिनांक	सं	वर्ष 1991–92 में निरन्तरता का शासनादेश व दिनांक
				3695 / 28-3-5(20) / 88 टी. सी. -॥ दि 16.10.89	4	883 / 28-3-5(16) / 86 दि 23.03.92
				योग	12	
27.	सहायक लेखाकार	1200—2240	7	3695 / 28-3-5(20) / 88 टी. सी.—॥ दि 16.10.89	7	तथैव
28.	वरिष्ठ लिपिक	1200—2240	24	289 / 28-3-5(1) / 86 दिनांक 28.04.86	3	तथैव
				8232 / 28-3-5(75) / 81 दिनांक 05.10.83	2	तथैव
				8318 / 28-3-7(167) / 83 दिनांक 15.12.83	2	तथैव
				184 / 28-3-5(56) / 84 दिनांक 31.01.85	8	तथैव
				51 / 28-3-7(193) / 83, दिनांक 05.12.84	1	तथैव
				2909 / 28-3-7(167) / 83 दिनांक 22.11.84	1	तथैव
				4068 / 28-3-5(56) / 84 टी. सी. दिनांक 22.07.85	4	तथैव
				184 / 28-3-5(56) / 84 दिनांक 31.05.85	2	तथैव
				3695 / 28-3-5(20) / 88 टी. सी.—॥ दि 16.10.89	1	तथैव
				योग	24	
29.	की पंच आपरेटर	950—1500	1	380 / 28-3-5(20) / 88 टी. सी. —॥ दिनांक 30.10.92	1	380 / 28-3-5(20) / 88 दि 30.10.92
30.	कनिष्ठ लिपिक / टंकक	950—1500	37	184 / 28-3-5(56) / 84 दिनांक 31.05.85	5	883 / 28-3-5(16) / 86 दि 23.03.92
				51 / 28-3-7(193) / 83, दिनांक 05.12.84	7	तथैव
				2909 / 28-3-7(167) / 83 दिनांक 22.11.84	2	तथैव
				8232 / 28-3-5(75) / 81 दिनांक 05.10.83	3	तथैव
				184 / 28-3-5(56) / 84 दिनांक 31.01.85	12	तथैव
				4068 / 28-3-5(56) / 84 टी. सी. दिनांक 22.07.85	8	तथैव
				योग	37	
31.	कनिष्ठ लिपिक	950—1500	26	289 / 28-3-5(1) / 86 दिनांक 28.04.84	5	तथैव
				2909 / 28-3-7(167) / 83 दिनांक 22.11.84	5	तथैव
				4068 / 28-3-5(56) / 84 टी. सी. दिनांक 22.07.85	11	तथैव

सं	पदनाम	वेतनमान	सं	सृजित शासनादेश संख्या व दिनांक	सं	वर्ष 1991–92 में निरन्तरता का शासनादेश व दिनांक
				3695 / 28-3-5(20) / 88 टी. सी. -॥ दि 16.10.89	5	883 / 28-3-5(16) / 86 दि 23.03.92
				योग	26	
32.	स्टोर कीपर	950—1500	9	289 / 28-3-5(1) / 86 दिनांक 28.04.84	1	तथैव
				51 / 28-3-7(193) / 83, दिनांक 05.12.84	1	तथैव
				2909 / 28-3-7(167) / 83 दिनांक 22.11.84	1	तथैव
				4068 / 28-3-5(56) / 84 टी. सी. दिनांक 22.07.85	3	तथैव
				3695 / 28-3-5(20) / 88 टी. सी.-॥ दि 16.10.89	3	तथैव
				योग	9	
33.	ड्राइवर	950—1500	32	184 / 28-3-5(56) / 84 दिनांक 31.05.85	1	तथैव
				8232 / 28-3-5(75) / 81 दिनांक 05.10.83	1	तथैव
				8318 / 28-3-7(75) / 83 दिनांक 15.12.83	1	तथैव
				184 / 28-3-5(56) / 84 दिनांक 31.01.85	4	तथैव
				289 / 28-3-5(1) / 86 दिनांक 28.04.86	3	तथैव
				51 / 28-3-7(193) / 83, दिनांक 05.12.84	2	तथैव
				4068 / 28-3-5(56) / 84 टी. सी. दिनांक 22.07.85	8	तथैव
				407 / 28-3-7(75) / 83 दिनांक 22.04.86	12	तथैव
				योग	32	
34.	चपरासी / चौकीदार	750—940	41	8232 / 28-3-5(75) / 81 दिनांक 05.10.83	2	तथैव
				184 / 28-3-5(56) / 84 दिनांक 31.01.85	8	तथैव
				289 / 28-3-5(1) / 86 दिनांक 28.04.86	5	तथैव
				51 / 28-3-7(193) / 83, दिनांक 05.12.84	3	तथैव
				2183 / 28-3-5(112) / 83 दिनांक 06.05.85	1	तथैव
				2909 / 28-3-7(167) / 83 दिनांक 22.11.84	3	तथैव

सं	पदनाम	वेतनमान	सं	सृजित शासनादेश संख्या व दिनांक	सं	वर्ष 1991–92 में निरन्तरता का शासनादेश व दिनांक
				184 / 28-3-5(56) / 84 दिनांक 31.05.85	1	883 / 28-3-5(16) / 86 दि 23.03.92
				4068 / 28-3-5(56) / 84 टी. सी. दिनांक 22.07.85	11	तथैव
				3695 / 28-3-5(20) / 88 टी. सी. -॥ दि 16.10.89	5	तथैव
				योग	41	
35.	क्लीनर			407 / 28-3-7(75) / 83 दिनांक 29.04.86	5	तथैव
				2321 / 28-3-7(175) / 83 दिनांक 04.06.86	4	तथैव
	योग				9	
36.	स्वीवर			3695 / 28-3-5(20) / 88 टी. सी. -॥ दि 16.10.89	2	तथैव
	योग वानिकी		580		580	तथैव

### उद्यान संवर्ग

1.	उप परियोजना निदेशक	3000–4500	2	184 / 28-3-5(56) / 84 दिनांक 31.05.85	1	तथैव
				3695 / 28-3-5(20) / 88 टी. सी. -॥ दि 16.10.89	1	तथैव
				योग	2	
2.	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक / विषयविशेषज्ञ वर्ग –1	1400–2600	5	289 / 28-3-5(1) / 86 दिनांक 08.04.86	1	तथैव
				8318 / 28-3-7(75) / 83 दिनांक 15.12.83	1	तथैव
				184 / 28-3-5(56) / 84 दिनांक 31.01.85	1	तथैव
				2825 / 28-3-5(1) / 86 दिनांक 28.03.86	1	तथैव
				184 / 28-3-5(56) / 84 दिनांक 31.05.85	1	तथैव
				योग	5	
3.	स0वि0 अधिकारी	1200–2040	3	2909 / 28-3-7(167) / 83 दिनांक 22.11.84	1	तथैव
				4068 / 28-3-5(56) / 84 टी. सी. दिनांक 22.07.85	2	तथैव
				योग	3	
4.	सुपरवाईजर	975–1660	2	289 / 28-3-5(1) / 86 दिनांक 26.05.86	1	तथैव

सं	पदनाम	वेतनमान	सं	सृजित शासनादेश संख्या व दिनांक	सं	वर्ष 1991–92 में निरन्तरता का शासनादेश व दिनांक
				51 / 28–3–7(193) / 83, दिनांक 05.12.84	1	883 / 28–3–5(16) / 86 दि 23.03.92
				योग	2	
5.	लेखाकार	1400–2300	2	3695 / 28–3–5(20) / 88 टी. सी. –॥ दि 16.10.89	2	तथैव
6.	आशुलिपिक	1200–2040	2	3695 / 28–3–5(20) / 88 टी. सी. –॥ दि 16.10.89	2	तथैव
7.	कनिष्ठ लिपिक	950–1500	2	3695 / 28–3–5(20) / 88 टी. सी. –॥ दि 16.10.89	2	तथैव
8.	माली	750–940	34	289 / 28–3–5(1) / 86 दिनांक 28.04.84 51 / 28–3–7(193) / 83, दिनांक 05.12.84 2909 / 28–3–7(167) / 83 दिनांक 22.11.84 4068 / 28–3–5(56) / 84 टी. सी. दिनांक 22.07.85 3695 / 28–3–5(20) / 88 टी. सी. –॥ दि 16.10.89	6	तथैव
				योग	34	
9.	झाइवर	950–1500	2	3695 / 28–3–5(20) / 88 टी. सी. –॥ दि 16.10.89	2	तथैव
<b>कृषि संवर्ग</b>						
1.	उप परियोजना निदेशक (कृषि)	3000–4500	2	184 / 28–3–5(56) / 84 दिनांक 31.05.85 3695 / 28–3–5(20) / 88 टी. सी. –॥ दि 16.10.89	1	तथैव
				योग	2	
2.	एक्सटेंशन आफिसर (कृषि)	2200–4000	2	3695 / 28–3–5(20) / 88 टी. सी. –॥ दि 16.10.89	2	तथैव
3.	अतिरिक्त जिला कृषि आफिसर / विषय विशेषज्ञ (कृषि)	1400–2600	14	289 / 28–3–5(1) / 86 दिनांक 28.04.86 जी.आई.12 / 28–3–5(62) / 35 दिनांक 27.1.86	2	तथैव
					4	तथैव

सं	पदनाम	वेतनमान	सं	सृजित शासनादेश संख्या व दिनांक	सं	वर्ष 1991–92 में निरन्तरता का शासनादेश व दिनांक
				184 / 28-3-5(56) / 84 दिनांक 31.05.85	1	883 / 28-3-5(16) / 86 दि 23.03.92
				8232 / 28-3-7(75) / 81 दिनांक 05.10.83	1	तथैव
				8316 / 28-3-7(167) / 83 दिनांक 15.12.83	1	तथैव
				184 / 28-3-5(56) / 84 दिनांक 31.01.85	4	तथैव
				2825 / 28-3-5(1) / 86 दिनांक 28.03.86	1	तथैव
				योग	14	
4.	सहायक विकास अधिकारी	1200–2040	29	289 / 28-3-5(1) / 86 दिनांक 28.04.86	1	तथैव
				2909 / 28-3-7(167) / 83 दिनांक 22.11.84	1	तथैव
				4068 / 28-3-5(56) / 84 टी. सी. दिनांक 22.07.85	3	तथैव
				जी.आई.12 / 28-3-5(62) / 85 दिनांक 27.1.86	21	तथैव
				3695 / 28-3-5(20) / 88 टी. सी. -॥ दि 16.10.89	2	तथैव
				योग	29	
5.	कृषि सहायक / सहायक कृषि निरीक्षक वर्ग 3	975–1660	148	4068 / 28-3-5(56) / 84 टी. सी. दिनांक 22.07.85	16	तथैव
				289 / 28-3-5(1) / 86 दिनांक 05.12.84	4	तथैव
				जी.आई.12 / 28-3-5(62) / 85 दिनांक 27.1.86	124	तथैव
				51 / 28-3-7(193) / 83, दिनांक 05.12.84	4	तथैव
				योग	148	
6.	आशुलिपिक	1200–2040	3	3695 / 28-3-5(20) / 88 टी. सी. -॥ दि 16.10.89	2	तथैव
7.	लेखाकार	1200–2040	2	3695 / 28-3-5(20) / 88 टी. सी. -॥ दि 16.10.89	2	तथैव
8.	सहायक लेखाकार	1200–2040	2	3695 / 28-3-5(20) / 88 टी. सी. -॥ दि 16.10.89	2	तथैव
9.	कनिष्ठ लिपिक	950–1500	8	3695 / 28-3-5(20) / 88 टी. सी. -॥ दि 16.10.89	8	तथैव

सं	पदनाम	वेतनमान	सं	सृजित शासनादेश संख्या व दिनांक	सं	वर्ष 1991–92 में निरन्तरता का शासनादेश व दिनांक
10.	झाईवर	950–1500	4	3695 / 28–3–5(20) / 88 टी. सी. –॥ दिं 16.10.89	4	883 / 28–3–5(16) / 86 दि 23.03.92
11.	चपरासी/ चौकीदार/ अर्दली	750–940	7	3695 / 28–3–5(20) / 88 टी. सी. –॥ दिं 16.10.89	7	तथैव
	कुल योग कृषि	220			220	

### लघु सिंचाई

1.	उप परियोजना निदेशक	3000–4500	2	184 / 28–3–5(56) / 84 दिनांक 31.01.85 3695 / 28–3–5(20) / 88 टी. सी. –॥ दिनांक 16.10.89	1	तथैव
					1	तथैव
	योग				2	
2.	सहायक अभियन्ता	2200–4000	2	8232 / 28–3–7(75) / 81 दिनांक 05.10.83 8318 / 28–3–7(167) / 83 दिनांक 15.12.83	1	तथैव
					1	तथैव
					2	
3.	अवर अभियन्ता	1400–2300	10	185 / 28–3–5(56) / 84 दिनांक 31.1.85 289 / 28–3–5(1) / 86 दिनांक 28.04.86 4068 / 28–3–5(56) / 84 टी. सी. दिनांक 22.07.85 51 / 28–3–7(193) / 83, दिनांक 05.12.84 2909 / 28–3–7(167) / 83 दिनांक 22.11.84 3695 / 28–3–5(20) / 88 टी. सी. –॥ दिनांक 16.10.89	1	तथैव
					1	तथैव
					1	तथैव
					1	तथैव
					1	तथैव
					1	तथैव
					5	883 / 28–3–5(16) / 86 दिनांक 23.03.92
					10	
4.	मानचित्रकार	1200–4500	2	3695 / 28–3–5(20) / 88 टी. सी. –॥ दि 16.10.89	2	तथैव
5.	ट्रेसर	825–1200	3	4068 / 28–3–5(56) / 84 टी. सी. दिनांक 22.07.85	3	तथैव
6.	प्रभागीय लेखाकार	1400–2600	2	3695 / 28–3–5(20) / 88 टी. सी. –॥ दि 16.10.89	2	तथैव

सं	पदनाम	वेतनमान	सं	सृजित शासनादेश संख्या व दिनांक	सं	वर्ष 1991–92 में निरन्तरता का शासनादेश व दिनांक
7.	प्रधान लिपिक	1200–2040	1	3695 / 28–3–5(20) / 88 टी. सी. –॥ दि 16.10.89	1	883 / 28–3–5(16) / 86 दि 23.03.92
8.	आशुलिपिक	1200–2040	2	3695 / 28–3–5(20) / 88 टी. सी. –॥ दि 16.10.89	2	तथैव
9.	लेखालिपिक	1200–2040	2	3695 / 28–3–5(20) / 88 टी. सी. –॥ दि 16.10.89	2	तथैव
10.	वरिष्ठ लिपिक	1200–2040	2	3695 / 28–3–5(20) / 88 टी. सी. –॥ दि 16.10.89	2	तथैव
11.	कनिष्ठ लिपिक टंकक	950–1500	5	3695 / 28–3–5(20) / 88 टी. सी. –॥ दि 16.10.89	5	तथैव
12.	ड्राइवर	950–1500	3	3695 / 28–3–5(20) / 88 टी. सी. –॥ दि 16.10.89	3	तथैव
13.	अर्दली / चपरासी / चौकी दार	750–940	15	3695 / 28–3–5(20) / 88 टी. सी. –॥ दि 16.10.89	15	तथैव
कुल योग		लघु सिंचाई	51		51	

#### पशुपालन विभाग

1.	उप परियोजना निदेशक	3000–4500	2	184 / 28–3–5(56) / 84 दिनांक 31.05.85 3695 / 28–3–5(20) / 88 टी. सी. –॥ दि 16.10.89	1	तथैव
				योग	2	
2.	पशुविकास अधिकारी	2200–4000	10	8318 / 28–3–7(167) / 83 दिनांक 15.12.83 184 / 28–3–5(56) / 84 दिनांक 31.01.85 289 / 28–3–5(1) / 86 दिनांक 28.04.86 2825 / 28–3–5(1) / 85 दिनांक 28.03.86 886 / 28–3–7(102) / 83 दिनांक 04.08.87	1	तथैव
				योग	4	तथैव
3.	लेखाकार	1400–2600	2	886 / 28–3–7(102) / 83 दिनांक 04.08.87	1	तथैव
4.	आशुलिपिक	1200–2040	2	3695 / 28–3–5(20) / 88 टी. सी. –॥ दिनांक 16.10. 89	2	तथैव

सं	पदनाम	वेतनमान	सं	सृजित शासनादेश संख्या व दिनांक	सं	वर्ष 1991–92 में निरन्तरता का शासनादेश व दिनांक
5.	वरिष्ठ लिपिक	1200–2040	2	3695 / 28–3–5(20) / 88 टी. सी. –॥ दि 16.10.89	2	883 / 28–3–5(16) / 86 दि 23.03.92
6.	पशुधन विकास सहायक /पशुधन विकास निरीक्षक (स्टाफमैन)	975–1660	18	3695 / 28–3–5(20) / 88 टी. सी. –॥ दि 16.10.89	18	तथैव
7.	कनिष्ठ लिपिक	950–1500	2	3695 / 28–3–5(20) / 88 टी. सी. –॥ दि 16.10.89	2	तथैव
8.	स्टोर कीपर	950–1500	2	886 / 28–3–7(102) / 83 दिनांक 04.08.87	2	तथैव
9.	बुल अटेण्डन्ट	750–940	10	289 / 28–3–5(1) / 86 दिनांक 28.04.86 51 / 28–3–5(193) / 83, दिनांक 05.12.84 2909 / 28–3–7(167) / 83 दिनांक 22.11.84 4068 / 28–3–5(56) / 84 टी. सी. दिनांक 22.07.85	2 2 1 5	तथैव तथैव तथैव तथैव
				योग	10	तथैव
10.	चपरासी	750–940	13	3695 / 28–3–5(20) / 88 टी. सी. –॥ दि 16.10.89	13	तथैव
11.	चौकीदार	750–940	1	886 / 28–3–7(102) / 83 दिनांक 04.08.87	1	तथैव
12.	स्वीपर कम चौकीदार	750–940	2	886 / 28–3–7(102) / 83 दिनांक 04.08.87	2	तथैव
	योग पशुपालन	66			66	तथैव
<b>भूमि संरक्षण</b>						
1.	उप परियोजना निदेशक (भूमि संरक्षण)	3000–4500		3695 / 28–3–5(20) / 88 टी. सी. –॥ दि 16.10.89	2	तथैव
<b>लेखा संवर्ग</b>						
1.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	3000–4500	1	3695 / 28–3–5(20) / 88 टी. सी. –॥ दि 16.10.89	1	तथैव
2.	लेखाधिकारी	2200–4000	2	3695 / 28–3–5(20) / 88 टी. सी. –॥ दि 16.10.89 184 / 28–3–5(56) / 84 दिनांक 31.05.85	1 2	तथैव तथैव
				योग		तथैव
	कुल योग		976		976	

शासनादेश संख्या –3462 / 28–4–5(16) / 86 दिनांक 23–1–1993 का संलग्नक – II  
 ई.ई.सी. पोषित दक्षिणी भागीरथी फेज – II      जलागम प्रबन्ध परियोजना में वर्ष 1992–93 में स्टाफ की निरन्तरता।

सं	पदनाम	वेतनमान	सं	सृजित शासनादेश संख्या व दिनांक	सं	वर्ष 1991–92 में निरन्तरता का शासनादेश व दिनांक
<b>वानिकी संवर्ग</b>						
1	परियोजना निदेशक	4500–5700	1	7179 / 28–3–7(75) / 83 दिनांक 12.09.83	1	883 / 28–3–5(16) / 86 दि 23.03.92
2	उप परियोजना निदेशक (मुख्यालय)	3000–4500	2	जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	1	तथैव
3	उप परियोजना निदेशक (वन)	3000–4500	3	7179 / 28–3–7(75) / 83 दिनांक 12.09.83	1	तथैव
				जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	2	तथैव
	<b>योग</b>				<b>3</b>	
4	सहायक वन संरक्षक	2200–4000	3	जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	2	तथैव
				105–28–3–7(192) / 83 दिनांक 05.12.84	1	तथैव
	<b>योग</b>				<b>3</b>	
5	सर्वेक्षण एवं प्लानिंग संरचना अधिकारी	2200–4000	1	जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	1	तथैव
6	ज्येष्ठ सांख्यकीय सहायक	1600–2600	1	जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	1	तथैव
7	सांख्यकीय सहायक	1400–2600	3	जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	1	तथैव
8	वन राजिक	1400–2600	6	7179 / 28–3–7(75) / 83 दिनांक 12.09.83	1	तथैव
				जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	1	तथैव
				105–28–3–7(192) / 83 दिनांक 05.12.84	4	तथैव
	<b>योग</b>				<b>6</b>	

सं	पदनाम	वेतनमान	सं	सृजित शासनादेश संख्या व दिनांक	सं	वर्ष 1991–92 में निरन्तरता का शासनादेश व दिनांक
9	प्राविधिक सहायक वर्ग –1 (भ.सं.).....	1400–2600				883 / 28–3–5(16) / 86 दि 23.03.92
10						
11	प्राविधिक सहायक वर्ग –2 (वानिकी)	1200–2040	1	जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	1	तथैव
12	उप वन राजिक	1200–2040	5	जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	1	तथैव
				105–28–3–7(192) / 83 दिनांक 05.12.84	4	तथैव
	योग				5	
13	मानचित्रकार	1200–2040	4	105–28–3–7(192) / 83 दिनांक 05.12.84	1	तथैव
				जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	2	तथैव
				7179 / 28–3–7(75) / 83 दिनांक 12.09.83	1	तथैव
	योग				4	
14	सर्वेयर	1200–2040	4	जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	2	तथैव
				105–28–3–7(192) / 83 दिनांक 05.12.84	2	तथैव
	योग				4	
15	फोरेस्टर	950–1400	5	तथैव	5	तथैव
16	प्लान्टेशन जमादार	950–1400	8	तथैव	8	तथैव
17	फारेस्ट गार्ड	825–1200	32	105–28–3–7(192) / 83 दिनांक 05.12.84	29	तथैव
				जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	3	तथैव
	योग				32	
18	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड –2	1400–2600	2	तथैव	2	तथैव
19	प्रभागीय लेखाकार	1400–2600	1	तथैव	1	तथैव
20	आशुलिपिक (कनिष्ठ)	1200–2040	5	जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	3	तथैव
				7179 / 28–3–7(75) / 83 दिनांक 12.09.83	1	तथैव

सं	पदनाम	वेतनमान	सं	सृजित शासनादेश संख्या व दिनांक	सं	वर्ष 1991–92 में निरन्तरता का शासनादेश व दिनांक
				105–28–3–7(192) / 83 दिनांक 05.12.84	1	883 / 28–3–5(16) / 86 दि 23.03.92
				योग	5	
21	वरिष्ठ सहायक (सहायक लेखाकार)	1200–2040	2	7179 / 28–3–7(75) / 83 दिनांक 12.09.83	1	तथैव
				105–28–3–7(192) / 83 दिनांक 05.12.84	1	तथैव
22	वरिष्ठ लिपिक	1200–2040	11	जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	10	तथैव
				105–28–3–7(192) / 83 दिनांक 05.12.84	1	तथैव
				योग	11	
23	कैशियर	1200–2040	1	जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	1	तथैव
24	कनिष्ठ लिपिक / टंकक	950–1500	18	जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	11	तथैव
				7179 / 28–3–7(75) / 83 दिनांक 12.09.83	5	तथैव
				105–28–3–7(192) / 83 दिनांक 05.12.84	2	तथैव
				योग	18	
25	कनिष्ठ लिपिक (भंडार)	950–1500	4	जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	3	तथैव
				105–28–3–7(192) / 83 दिनांक 05.12.84	1	तथैव
				योग	4	तथैव
26	कनिष्ठ लिपिक (वृक्षारोपण)	950–1500	12	तथैव	5	तथैव
				जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	7	तथैव
				योग	12	
27	झाईवर	950–1500	2	105–28–3–7(192) / 83 दिनांक 05.12.84	2	तथैव
28	अर्दली	750–940	8	जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	8	तथैव
29	चपरासी / चौकीदार	750–940	14	तथैव	10	तथैव
				7179 / 28–3–7(75) / 83 दिनांक 12.09.83	1	तथैव

सं	पदनाम	वेतनमान	सं	सृजित शासनादेश संख्या व दिनांक	सं	वर्ष 1991–92 में निरन्तरता का शासनादेश व दिनांक
				105–28–3–7(192) / 83 दिनांक 05.12.84	3	883 / 28–3–5(16) / 86 दि 23.03.92
			योग		14	
30	कलीनर	750–940	2	9591–28–3–7(75) / 83 दिनांक 25.02.84	2	तथैव
<b>उद्यान संवर्ग</b>						
1	उप परियोजना निदेशक (उद्यान)	3000–4500	1	7179 / 28–3–7(75) / 83 दिनांक 12.09.83	2	तथैव
2	प्राविधिक सहायक वर्ग–1	1400–2600	2	जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	1	तथैव
				7179 / 28–3–7(75) / 83 दिनांक 12.09.83	1	तथैव
			योग		2	
3	प्राविधिक सहायक वर्ग–2	1200–2040	1	जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	1	तथैव
4	सहायक विकास अधिकारी वर्ग–2	1200–2040	2	जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	1	तथैव
				105–28–3–7(192) / 83 दिनांक 05.12.84	1	तथैव तथैव
			योग		2	
5	माली	750–940	9	तथैव	8	तथैव
				जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	1	तथैव
			योग		9	
6	आशुलिपिक (कनिष्ठ)	1200–2040	1	तथैव	1	तथैव
<b>पशुपालन संवर्ग</b>						
1	उप परियोजना निदेशक निदेशक (पशुपालन)	3000–4500	1	7179 / 28–3–7(75) / 83 दिनांक 12.04.83	1	तथैव
2	पशुधन विकास अधिकारी	2200–4000	3	जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	2	तथैव
				105–28–3–7(192) / 83 दिनांक 05.12.84	1	तथैव
			योग		3	

सं	पदनाम	वेतनमान	सं	सृजित शासनादेश संख्या व दिनांक	सं	वर्ष 1991–92 में निरन्तरता का शासनादेश व दिनांक
3	प्राविधिक सहायक वर्ग-1 पशुपालन	1400–2600	1	7179 / 28–3–7(75) / 83 दिनांक 12.09.83	1	883 / 28–3–5(16) / 86 दि 23.03.92
4	प्राविधिक सहायक वर्ग –2 पशुपालन	1200–2040	1	जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	1	तथैव
5	पशुधन प्रसार निरीक्षक /स्टाकमैन	975–1660	2	105–28–3–7(192) / 83 दिनांक 05.12.84	2	तथैव
6	बुल अटेन्डेन्ट	750–940	4	तथैव	4	तथैव
7	आशुलिपिक (कनिष्ठ)	1200–2040	1	जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	1	तथैव
<b>लघु सिंचाई</b>						
1	परियोजना निदेशक (लघु सिंचाई)	3000–4500	1	7179 / 28–3–7(75) / 83 दिनांक 12.09.83	1	तथैव
2	सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई)	2200–4000	1	जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	1	तथैव
3	अवर अभियन्ता	1400–2600	6	7179 / 28–3–7(75) / 83 दिनांक 12.09.83	1	तथैव
				105–28–3–7(192) / 83 दिनांक 05.12.84	1	तथैव
				जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	4	तथैव
योग					6	
4	ट्रेसर	825–1200	1	105–28–3–7(192) / 83 दिनांक 05.12.84	1	तथैव
5	वरिष्ठ लिपिक	1200–2040	1	जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	1	तथैव
<b>कृषि संवर्ग</b>						
1	उप परियोजना निदेशक (कृषि)	3000–4500	1	7179 / 28–3–7(75) / 83 दिनांक 12.09.83	1	तथैव
2	अवर जिला कृषि अधिकारी वर्ग-1	1400–2600	2	जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	1	तथैव
				7179 / 28–3–7(75) / 83 दिनांक 12.09.83	1	तथैव

सं	पदनाम	वेतनमान	सं	सृजित शासनादेश संख्या व दिनांक	सं	वर्ष 1991–92 में निरन्तरता का शासनादेश व दिनांक
		योग				
3	सहायक विकास अधिकारी (कृषि)	1200–2040	1	जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	1	883 / 28–3–5(16) / 86 दि 23.03.92
4	प्राविधिक सहायक वर्ग–2 (कृषि)	1200–2040	3	जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	3	तथैव
5	वरिष्ठ लिपिक	1200–2040	1	जी.7 / 28–3–7(75) / 82 दिनांक 31.03.82	1	तथैव
6	सहायक कृषि निरीक्षक वर्ग–3	975–1660	59	2771 / 28–3–5(46) / 86 दिनांक 30.08.91	59	तथैव
लेखा संवर्ग						
7	लेखाधिकारी	2200–4000	1	7179 / 28–3–7(75) / 83 दिनांक 12.09.83	1	तथैव
	कुल योग				269	

ई.इ.सी. पोषण भीमताल जलागम प्रबन्ध परियोजना में वर्ष 1992–93 में स्टाफ की निरन्तरता।

क्र०सं०	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या	सृजित शासनादेश व दिनांक	वर्ष 1991–92 में निरन्तरता का शासनादेश व दिनांक।
वानिकी संवर्ग					
1	उप परियोजना निदेशक (मुख्यालय)	3000–4500	1	147 / 28–3–5(24) / 90 दिनांक 23.03.92	147 / 28–3–5(24) / 90 दिनांक 23.03.92
2	सहायक वन संरक्षक	2200–4000	1	2131 / 28–3–5(24) / 90 दिनांक 18.12.91	2131 / 28–3–5(24) / 90 दिनांक 18.12.91
3	सांचियकी सहायक	1400–2600	1		
4	वन रेंजर	1400–2600	3		
5	उप वन रेंजर	1200–2040	4		
6	फारेस्टर	950–1500	8		
7	रोपवनीनायक	950–1500	4		
8	वन रक्षक	825–1200	16		
9	सर्वयर	1200–2040	2		
10	मानचित्रकार	1200–2040	1		
11	प्राविधिक सहायक (भूसंरक्षण / अभियंत्रण)	1400–2600	1		

क्रम सं०	पद नाम	वेतनमान	पदों की संख्या	सृजित शासनादेश व दिनांक	वर्ष 1991–92 में निरन्तरता का शासनादेश व दिनांक।
12	नायब तहसीलदार	1400–2300	1		
13	रेञ्ज लिपिक	950–1500	3		
14	स्टोर कीपर	950–1500	1		
15	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-2	1400–2600	1	199 / 28-3-5(24) / 90 दिनांक 22.03.91	199 / 28-3-5(24) / 90 दिनांक 22.03.91
16	लेखाकार	1200–2040	1	तथैव	तथैव
17	वरिष्ठ लिपिक	1200–2040	3	तथैव	तथैव
18	स्टेनो / आशुलिपिक	1200–2040	2	199 / 28-3-5(24) / 90 दिनांक 22.03.91	199 / 28-3-5(24) / 90 दिनांक 22.03.91
19	कनिष्ठ लिपिक / टाईपिस्ट	950–1500	3	199 / 28-3-5(24) / 90 दिनांक 22.03.91	199 / 28-3-5(24) / 90 दिनांक 22.03.91
	योग	57			

### उद्यान विभाग

1	जिला उद्यान अधिकारी श्रेणी-II	2200–4000	1	199 / 28-3-5(24) / 90 दिनांक 22.03.91	2131 / 28-3-5(24) / 90 दिनांक 18.12.91
2	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	1400–2600	1	तथैव	तथैव
3	सहायक विकास अधिकारी	1200–2040	1	तथैव	तथैव

क्रम सं०	पद नाम	वेतनमान	पदों की संख्या	सृजित शासनादेश व दिनांक	वर्ष 1991—92 में निरन्तरता का शासनादेश व दिनांक।
4	माली	750—940	6	तथैव	तथैव
	योग		9		

### पशुपालन विभाग

1	पशु विकास अधिकारी	2200—4000	2	2131 / 28-3-5(24) / 90 दिनांक 18.12.91	तथैव
2	ज्येष्ठ प्राविधिक सहायक	1400—2600	2	तथैव	तथैव
3	पशु/पशुधन विकास सहायक (स्टाकमैन)	975—1660	2	तथैव	तथैव
	योग		6		

### लघु सिंचाई

1	सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई	2200—4000	1	तथैव	तथैव
2	अवर अभियन्ता	1400—2300	2	तथैव	तथैव
3	ट्रेसर	825—1200	1	तथैव	तथैव
	योग		4		

### कृषि संवर्ग

1	कृषि अधिकारी श्रेणी -II	2200—4000	1	तथैव	तथैव
---	-------------------------	-----------	---	------	------

क्रम सं०	पद नाम	वेतनमान	पदों की संख्या	सृजित शासनादेश व दिनांक	वर्ष 1991—92 में निरन्तरता का शासनादेश व दिनांक।
2	विषयवस्तु विशेषज्ञ वर्ग—1 / अपर जिला कृषि अधिकारी	1400—2600	4	2131 / 28—3—5(24) / 90 दिनांक 18.12.91	2131 / 28—3—5(24) / 90 दिनांक 18.12.91
3	सहायक विकास अधिकारी कृषि वर्ग—2	1350—2200	8	तथैव	तथैव
4	सहायक कृषि निरीक्षक	975—1660	28	तथैव	तथैव
5	चौकीदार / अर्दली / चपरासी	750—940	8	तथैव	तथैव
6	स्वीपर	750—940	1	तथैव	तथैव
7	झाइवर	950—1500	1	तथैव	तथैव
	योग		47		

कुल पद — 123

(कृष्ण कुमार सिंह)

प्रेषक

आर.एस.टोलिया  
सचिव  
उ0प्र0 शासन

सेवा में

मुख्य परियोजना निदेशक  
जलागम प्रबन्ध निदेशालय  
उ0प्र0 देहरादून।

उत्तरांचल विकास अनुभाग –3 लखनऊ दिनांक 26 फरवरी, 1993

विषय : ई0ई0सी0 द्वारा वित्त पोषित दक्षिणी भागीरथी (फेज II) जलागम परियोजना हेतु पदों का सृजन।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या -4455-28(1) दिनांक 13.03.92 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वर्ष 1989 से जनपद टिहरी गढ़वाल में क्रियान्वित दक्षिणी भागीरथी (फेज II) जलागम परियोजना हेतु उपलब्ध कराये गये 269 पदों में से संलग्नक -1 में अंकित 16 पदों जो उसके सम्मुख अंकित शासनादेश द्वारा सृजित किये गये थे, संशोधित परियोजना रिपोर्ट माह दिसम्बर, 1990 के अनुरूप न होने के कारण तत्कालिक प्रभाव से समाप्त किये जाते हैं तथा उपरोक्त संदर्भित परियोजना रिपोर्ट के अनुसार आवश्यक 394 पदों में से अब अवशेष 141 पूर्णतया अस्थाई पद दक्षिणी भागीरथी (फेज II) परियोजना के सफल संचालन क्रियान्वयन हेतु श्री राज्यपाल महोदय संलग्नक -2 में अंकित पदनाम वेतनमान तथा संख्या विभागीय विवरण के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 28.02.1993 तक बशर्ते कि उससे पहले ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें सृजन किये जाने की स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं।

1. उक्त पद विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित समन्वित माइक्रोवाटरशेड परियोजना के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति पर लगे कर्मचारियों से भरे जायेगे।
3. इन पदों पर कोई नये कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की जायेगी।
4. विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित समन्वयत माइक्रोवाटरशेड परियोजनान्तर्गत इन 141 पदों को शासनादेश संख्या 2556 / 28-3-5(46) / 86 दिनांक 26.02.1993 द्वारा समाप्त किया जाता है।

उक्त पदों के धारकों को शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों तथा शासनादेशों के अन्तर्गत महगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते देय होंगे।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 1992-93 के अनुदान संख्या 95 के अधीन लेखाशीषक 2551-पहाड़ों क्षेत्र -आयोजनागत-60-अन्य पहाड़ी क्षेत्र -145 वानिकी -1001 -पर्वतीय क्षेत्र के टिहरी गढ़वाल जनपद में साउथ आफ भागीरथी जलागम क्षेत्र योजना तथा जलागम प्रबन्ध निदेशालय को स्थापना के नाम डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अप्रासकीय पत्र संख्या -ई-8/620/दस-92 दिनांक 26.02.1993 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोपरित

भवदीय

(आर0एस0टोलिया)  
सचिव

संख्या 3425.../28-3-6 (46) तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) -1 कास-ती टी0ए0डी0कोआर्डिमेशन, उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन, वन विभाग फलोद्यान, विभाग लघु सिंचाई विभाग, वित्त विभाग, कृषि विभाग भूमि संरक्षण विभाग, पशुपालन विभाग।
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/मुख्य वन संरक्षक, (उत्तरांचल) उ0प्र0, नैनीताल।
4. अर निदेशक (पशुपालन) उत्तरांचल क्षेत्र, पशुपालन विभाग, गोपेश्वर, चमोली।
5. अपर निदेशक (उत्तरांचल) कृषि एवं भूमि संरक्षण विभाग, पौड़ी।
6. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, जवाहर भवन लखनऊ।
7. अपर निदेशक (उत्तरांचल) उद्यान एवं फलोद्यान विभाग, उ0प्र0 रानीखेत, अल्मोड़ा।
8. आयुक्त कुमार्यू मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तरांचल क्षेत्र उत्तरप्रदेश।
11. निजी सचिव, सलाहकार श्री अशोकचन्द्र मारा राज्यपाल उ0प्र0 1।
12. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8/वित्त (वेतनमान) अनुभाग-1/2। (तीन प्रतियों में)
13. .....सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तरांचल विकास विभाग, श्रीनगरगढ़वाल/अल्मोड़ा।

भवदीय

(आर0एस0टोलिया)  
सचिव

शासनादेश संख्या—3425 / 28—3—5(46) / 86 दिनांक 26.2.1993 का संलग्न— 1

ई0ई0सी0 द्वारा वित्त पोषित दक्षिणी भागीरथी (फेज— II) जलागम योजना में उपलब्ध पदों में से समाप्त किये जाने वाले पदों का विवरण।

क्र० सं०	पदनाम (संवर्ग के अनुसार)	वेतनमान	योजनार्त्तगत सृजित पद / शासनादेश संख्या व दिनांक	समाप्त किये जाने वाले पदों की संख्या।
1	2	3	4	5
1	वानिकी संवर्ग			
1	सर्वेक्षण एवं प्लानिंग संरचना अधिकारी	2200—4000	जी— 728—3—7(75) / 82, दिनांक 31.3.1982 — 1	1
2	प्राविधिक सहायक (भू0सं०)	1400—2600	जी—7 / 28—3—7(75) / 82 दिनांक 31.3.1982 — 1	1
3	सर्वेयर	1200—2040	105 / 28—3—7(192) / 83 दिनांक 5.12.84 — 2	1
4	प्राविधिक सहायक वर्ग—2	1200—2040	जी—7 / 28—3—7(75) / 83 दिनांक 31.3.1982— 2	1
5	वरिष्ठ लिपिक	1200—2040	105 / 28—3—7(192) / 83, दिनांक 5.12.84 — 1	1
6	कैशियर	1200—2040	जी—7 / 28—3—7(75) / 82 दिनांक 31.3.82 — 1	1
7	कनिष्ठ लिपिक / टंकक	950—1500	105 / 28—3—7(192) / 83 दिनांक 5.12.84 — 2 7179 / 28—3—7(75) / 83 दिनांक 12.9.83 — 5	4
8	कनिष्ठ लिपिक (वृक्षारोपण)	950—1500	105 / 28—3—7(192) / 83 दिनांक 5.12.1984 — 5	3
9	अर्दली	750—940	जी0—7 / 28—3—7(75) / 82, दिनांक 31.3.1982 — 10	3
	समाप्त किये जाने वाले पदों का योग—			16 (सोलह)

(आर0एस0टोलिया)  
सचिव।

संलग्नक— 2

ई0ई0सी0 वित्त पोषित दक्षिणी भागीरथी (फेज— II) परियोजना हेतु स्वीकृत किये जा रहे पदों का विवरण  
:-

क्रमांक	पदनाम (संवर्ग के अनुसार)	वेतनमान (विभागीय संवर्ग के अनुसार)	स्वीकृत किये जा रहे पदों की संख्या
1	2	3	4
	<u>वानिकी</u>		
1	वन रेंजर	1400—40—1600—द0रो—50—2300—द0रो—60—2600	3
2	उप वन रेंजर	1200—30—1560—द0रो—40—2040	4
3	फारेस्टर	950—20—1150—द0रो—25—1500	7
4	रोपावनी नायक	950—20—1150—द0रो—25—1500	10
5	फारेस्ट गार्ड(वनरक्षक)	825—15—900—द0रो—20—1200	13
6	नायब तहसीलदार	1400—40—1800—द0रो—50—2300	2
7	कार्यालय अधीक्षक—ग्रेड—2	1400—40—1600—50—2300—द0रो—60—2600	2
8	लेखा लिपिक	1200—30—1560—द0रो—40—2040	1
9	अर्दली/चपरासी/चौकीदार	750—12—870—द0रो—14—940	12
10	ड्राइवर	950—20—1150—द0रो—25—1500	6
11	स्थीपर	750—20—870—द0रो—14—940	1
12	कलीनर	----- तदैव -----	1
	<u>योग—</u>		<b>62</b>
	<u>उद्यान संवर्ग—</u>		
1	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	1400—40—1600—50—2300—द0रो—50—2600	1
2	उद्यान परिवेक्षक	975—25—1150—द0रो—30—1600	3
3	लेखा लिपिक	1200—30—1560—द0रो—40—2040	1
4	कनिष्ठ लिपिक/टंकक	950—20—1150—द0रो—25—1500	2
5	ड्राइवर	950—20—1150—द0रो—25—1500	1
6	चपरासी/चौकीदार	750—12—870—द0रो—14—940	1
7	माली	750—12—870—द0रो—14—940	9
	<u>योग—</u>		<b>18</b>
	<u>पशुपालन संवर्ग</u>		
1	पशुधन प्रसार निरीक्षक	1200—30—1560—द0रो—40—2040	3
2	बुल अटेन्टेन्ट	750—12—870—द0रो—14—940	2
3	लेखालिपिक	1200—30—1560—द0रो—40—2040	1
4	कनिष्ठ लिपिक/टंकण	950—20—1150—द0रो—25—1500	2

5	झाइवर	950–20–1150–द०रो–25–1500	1
6	अर्दली / चौकीदार	750–12–870–द०रो–14–940	4
	<b>योग</b>		<b>13</b>
	<b>लघु सिंचाई संवर्ग</b>		
1	लेखा लिपिक	1200–30–1560–द०रो–40–2040	1
2	आशुलिपिक	1200–30–1560–द०रो–40–2040	1
3	कनिष्ठ लिपिक / टंकण	950–20–1150–द०रो–25–1500	2
4	मानचित्रकार	1200–30–1560–द०रो–40–2040	1
5	झाइवर	950–20–1150–द०रो–25–1500	2
6	ट्रेसर	825–15–900–द०रो–20–1200	1
7	अर्दली / चपरासी / चौकीदार	750–12–870–द०रो–14–940	3
	<b>योग—</b>		<b>11</b>
	<b>कृषि टी० एण्ड बी० सहित</b>		
1	अपर जिला कृषि अधिकारी / विषयवस्तु विशेषज्ञ वर्ग-1	1400–40–1600–50–2300–द०रो–60–2600	5
2	प्राविधिक सहायक (भू०सं०)	1400–40–1600–50–2300–द०रो–60–2600	3
3	सहायक विकास अधिकारी, (कृषि) वर्ग-2	1200–30–1560–द०रो–40–2040	13
4	सहायक कृषि निरीक्षक वर्ग-3	950–25–1150–द०रो–30–1600	9
5	आशुलिपिक	1200–30–1560–द०रो–40–2040	1
6	लेखा लिपिक	1200–30–1560–द०रो–40–2040	1
7	कनिष्ठ लिपिक / टंकण	950–20–1150–द०रो–25–1500	2
8	झाइवर	950–20–1150–द०रो–25–1500	1
9	अर्दली / चौकीदार	750–12–870–द०रो–14–940	2
	<b>योग—</b>		<b>37</b>
	<b>स्वीकृत किये जाने वाले पदों का कुल योग—</b>		<b>141</b>

(एक सौ इकातालिस)

(आर०एस० टॉलिया)

प्रेषक,

निबन्धक,  
सहकारी समितियाँ, उ०प्र०,  
लखनऊ |

सेवा में,  
समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

**विषय—** सरकारी कार्यालयों एवं सहायता प्राप्त निकायों द्वारा लेखन सामग्री एवं अन्य वस्तुओं की स्थानीय खरीदारी।

पत्रांक: सी-15 / उप०/ग-२ / ले.० सा० दिनांक ३६ मई १९९३

आपका ध्यान मुख्यालय के परिपत्र संख्या सी०-१९/उप० दिनांक ३०.०५.८९ (प्रति संलग्न) की ओर आकृष्ट किया जाता है जो राजकीय कार्यालय एवं सहायता प्राप्त निकायों द्वारा लेखन सामग्री एवं अन्य वस्तुओं की स्थानीय खरीद, जनपद में स्थित केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडारी के माध्यम से कराने के समबन्ध में है।

उपरोक्त निर्देशों की ओर आपके स्तर पर अनुश्रवण कराये जाने की आवश्यकता हो गई है अन्यथा सहकारी संस्थाओं के उपभोक्ता व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

आप सहमत ही होंगे कि सहकारी संस्थानों से लेखन सामग्री एवं अन्य वस्तुओं का क्रय किये जाने पर उचित मूल्य पर सामग्री उपलब्ध होने के साथ ही, कोटेशन आदि लेने की अनिवार्यता नहीं रहती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने जनपद में कार्यरत् केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडारों/यू०पी० उपभोक्ता सहकारी संघ लि�० की शाखाओं/डिपों के माध्यम से स्थानीय राजकीय कार्यालयों में स्टेशनरीएवं अन्य वस्तुओं की खरीद हेतु निर्देश, समस्त सम्बन्धित अधीनस्थ विभागीय अधिकारियों को प्रसारित करने का कष्ट करें ताकि उपभोक्ता वस्तुओं/लेखन सामग्री की आपूर्ति उचित दर पर करने का अवसर, सम्बन्धित सहकारी संस्थाओं को सुलभ हो सकें।

(पी० के० मिश्र)  
निबन्धक  
सहकारी समितियॉ, उ०प्र०,  
लखनऊ।

## **कार्यालय— सहकारी समिति निबन्धक, उत्तर प्रदेश।**

**पत्रांक:** सी०-१५ / उप० /

**दिनांक:** उक्त।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि समस्त सरकारी संस्थाओं द्वारा निम्न सामग्री एवं अन्य वस्तुओं की खरीद उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ / केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार के माध्यम से की जाये :—

1. समस्त सचिव, केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि०, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सचिव / महाप्रबन्धक, जिला सहकारी बैंक लि०, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय सहायक निबन्धक (उपभोक्ता), सहकारी समितियॉ, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त उप निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त योजनाधिकारी, मुख्यालय / अपर निबन्धक (उप०), सह समितियॉ, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि०, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लि०,(पीसीएफ), लखनऊ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लि०, लखनऊ।
10. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी यूनियन लि०, लखनऊ।
11. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ लि०, लखनऊ।
12. प्रबन्ध निदेशक, प्रादेशिक सहकारी दुग्ध संघ लि० (पीसीडीएफ), लखनऊ।
13. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०, सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक लि०, लखनऊ।
14. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०, श्रम संविदा सहकारी संघ लि०, लखनऊ पैक्सपेड।

(पी० के० मिश्र)  
निबन्धक  
सहकारी समितियॉ, उ०प्र०,  
लखनऊ।

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।

संख्या 8920 / आ०ले०—९३

दिनांक

जुलाई 9.7.1993

देहरादून।

निबन्धक सहकारी समितियाँ, उ०प्र०, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या सी—१५/उप/ग—२/ले०सा दिनांक ३.६.९३ द्वारा निर्देश दिये हैं कि शासकीय कार्यालयों में प्रयोग होने वाली स्टेशनरी एवं अन्य वस्तुओं की खदीद केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डारों/यू०पी० उपभोक्ता सहकारी संघ लि० की शाखाओं/डिपो के माध्यम से की जाय।

अतः आप कृपया अपने कार्यालय में स्टेशनरी एवं अन्य प्रयोग होने वाली वस्तुओं की खरीद राजपुर रोड़ स्थित सहकारी बाजार से ही करने का कष्ट करें। सहकारी बाजार से सामान का क्रय करने पर कोटेशन की आवश्यकता भी नहीं होगी साथ ही सामान भी उचित मूल्य पर प्राप्त होगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि कोई वस्तु/सामान सहकारी बाजार में उपलब्ध न हो तो तब आप कोटेशन के आधार पर बाजार से क्रय कर सकतें हैं परन्तु बाजार से सामान क्रय करने से पूर्व सहकारी बाजार से लिखित में यह अवश्य प्राप्त कर लिया जाय कि अमुक सामग्री उनके यहाँ उपलब्ध नहीं है। कृपया भविष्य में आप उपरोक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करायें।

(शिशिर प्रियदर्शी)  
जिलाधिकारी, देहरादून।

प्रतिलिपि— सचिव, दून कोआपरेटिव स्टोर्स, राजपुर रोड़, देहरादून को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(शिशिर प्रियदर्शी)  
जिलाधिकारी, देहरादून।

प्रेषक,

आर0एस0 टोलिया,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक,  
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,  
उत्तरा प्रदेश, देहरादून।

उत्तरांचल विकास अनुभाग—3

लखनऊ:

दिनांक: 11 जनवरी, 1994

विषय— ई0ई0सी0 वित्त पोषित, दक्षिणी भागीरथी फेज— ||, जलागम प्रबन्ध परियोजना में सृजित पदों की समाप्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या— 3516 / 5-28(3), दिनांक 9.6.93 तथा संख्या— 991 / 5-20(1), दिनांक 29.9.93 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि दक्षिणी भागीरथी फेज— || परियोजना के पुर्नसंरचना के फलस्वरूप सरप्लस होने वाले 90 पद, जिनका विभागीय संवर्ग के अनुसार पदनाम, वेतनमान एवं संख्या आदि का विवरण संलग्नक में अंकित है, दिनांक 31.10.1993 को समाप्त किये जाते हैं।

2— तदनुसार संलग्नक में उल्लिखित उपरोक्त पदों को वर्ष 1993-94 की निरन्तरता विषयक शासनादेश संख्या— 1228 / 28-3-5(46), दिनांक 2.7.93 एतद्वारा यथासंशोधित समझा जाये।

संलग्नक— यथोपरि।

भवदीय

(आर0एस0 टोलिया)

संख्या: 2940(1) / 28-3-5(46) / 86 तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रेम बाजार, निशांतगंज, लखनऊ।
2. महालेखाकार (लेखा—परीक्षा)— 1 सी0ए0स0एस0 / तीन टी0ए0डी0 कोआर्डिनेशन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, वन विभाग, कृषि विभाग, लघु सिंचाई, फलोद्यान, पशुपालन तथा वित्त विभाग।
4. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध परियोजना, अल्मोड़ा/पौड़ी/देहरादून।

6. कोषाधिकारी, टिहरी / पौड़ी / अल्मोड़ा / देहरादून / नैनीताल ।
7. निदेशक, कृषि विभाग, फलोद्यान, पशु पालन विभाग, उत्तरांचल क्षेत्र ।
8. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
10. मुख्य वन संरक्षक, (उत्तरांचल), उत्तर प्रदेशद्वारा नैनीताल ।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल क्षेत्र ।
12. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, देहरादून ।
13. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 / वित्त (वैतन आयोग) अनुभाग-1 / 2(तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित) ।
14. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
15. संयुक्त सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तरांचल विकास विभाग, श्रीनगर गढ़वाल / अल्मोड़ा ।
16. उत्तरांचल विकास अनुभाग-10 / टेक्निकल सेल / कम्प्यूटर सैल / आडिट सेल / मूल्यांकन सेल ।
17. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, देहरादून / टिहरी गढ़वाल ।

आज्ञा से

(आर0एस0 टोलिया)  
सचिव ।

शासनादेश संख्या— 2940 (1) / 28-3-5(46) / 86, दिनांक 11 जनवरी 1994 का संलग्नक

ई0ई0सी0 वित्त पोषित दक्षिणी भागीरथी फेज—।। जलागम प्रबन्ध परियोजना में समाप्त किये जाने वाले पदों का विवरण

क्र० सं0	पदनाम	वेतनमान (अपने संवर्ग के अनुसार)	शासनादेश संख्या द्वारा सृजित पदों की संख्या	समाप्ति किये जाने वाले पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1	उप परियोजना निदेशक (वन)	3000—4500	7179 / 28-3-(75) / 93, दिनांक 12.9.83 — 1	1
2	उद्यान संवर्ग—			
1	उप परियोजना निदेशक (उद्यान)	3000—4500	—तदैव— 1	1
2	लेखा लिपिक	1200—2040	3425 / 28-3-7(75) / 92, दिनांक 31-3-82 1	1
3	कनिष्ठ लिपिक/टंकक	950—1500	—तदैव— 2	2
4	आशुलिपिक (कनिष्ठ)	1200—2040	जी0 7 / 28-3-7(75) / 92, दिनांक 31.3.82 1	1
5	चपरासी/चौकीदार	750—940	3425 / 28-3-5(46) / 86, दिनांक 26.2.93 1	1
6	माली	750—940	जी0 7 / 28-3-7(75) / 02, दिनांक 31.3.82 — 8 105 / 20-3-7(192) / 03 दिनांक 5-12-04 — 1 1	8
7	ड्राईवर	950—1500	3425 / 20-3-5(46) / 86 दिनांक 26-2-93 — 1	1
3	पशुपालन संवर्ग			
1	लेखा लिपिक	1200—2040	3425 / 28-3-5(46) / 86, दिनांक 26-2-93 1	1
2	आशुलिपिक (कनिष्ठ)	1200—2040	जी0 7 / 28-3-7(75) / 82, दिनांक 31.3.82 1	1
3	कनिष्ठ लिपिक/टंकक	950—1500	3425 / 28-3-5(46) / 86, दिनांक 26-2-93 2	2
4	अर्दली/चौकीदार	750—940	3425 / 28-3-5(46) / 86, दिनांक 26.2.93 4	3
4	लघु सिंचाई संवर्ग			
1	उप परियोजना निदेशक(ल0सिं0)	3000—4500	7179 / 28-3-(75) / 93, दिनांक 12.9.83 — 1	1
2	अवर अभियन्ता	1400—2600	जी0 7 / 28-3-7(75) / 82, दिनांक 31.3.82 4	3

3	लेखा लिपिक	1200–2040	3425 / 28–3–5(46) / 86, दिनांक 26–2–93	1 1
4	वरिष्ठ लिपिक	1200–2040	जी० ७ / 28–3–7(75) / 82, दिनांक 31.3.82	1
5	आशुलिपिक	1200–2040	3425 / 28–3–5(46) / 86, दिनांक 26–2–93	1
6	मानवित्रकार	1200–2040	3425 / 28–3–5(46) / 86, दिनांक 26–2–93	1
7	कनिष्ठ लिपिक/टंकक	950–1500	3425 / 28–3–5(46) / 86, दिनांक 26–2–93	2
8	झाईवर	950–1500	3425 / 28–3–5(46) / 86 दिनांक 26–2–93 – 2	1
9	चपरासी/अर्दली/चौकीदार	750–940	3425 / 28–3–5(46) / 86, दिनांक 26.2.93	2 3
5	कृषि टी०बी० सहित			
1	अपर जिला कृषि अधिकारी (वर्ग-1)	1400–2600	जी० ७ / 28–3–7(75) / 82, दिनांक 31.3.82 7179 / 28–3–(75) / 93, दिनांक 12.9.83 – 1	1 1
2	सहायक विकास अधिकारी (कृषि) वर्ग-2	1200–2040	जी० ७ / 28–3–7(75) / 82, दिनांक 31.3.82 – 1 3425 / 28–3–5(46) / 86, दिनांक 26.2.93 – 9	1 9
3	सहायक विकास अधिकारी (कृषि) वर्ग-2	1200–2040	जी० ७ / 28–3–7(75) / 82, दिनांक 31.3.82 – 3	3
4	वरिष्ठ लिपिक	1200–2040	जी० ७ / 28–3–7(75) / 82, दिनांक 31.3.82 – 1	1
5	आशुलिपिक	1200–2040	3425 / 28–3–5(46) / 86, दिनांक 26–2–93 – 1	1
6	लेखा लिपिक	1200–2040	3425 / 28–3–5(46) / 86, दिनांक 26–2–93 –1	1
7	सहायक कृषि निरीक्षक वर्ग-3	975–1660	2771 / 28–3–5(46) / 86, दिनांक 30–8–91 – 59	32
7	कनिष्ठ लिपिक/टंकक	950–1500	3425 / 28–3–5(46) / 86, दिनांक 26–2–93 – 2	2
8	अपर जिला कृषि अधिकारी, विषय वस्तु विशेषज्ञ वर्ग-1	1400–2600	3425 / 28–3–5(46) / 86, दिनांक 26–2–93 – 5	2
			योंग-	90 (नब्बे)

(आर०एस० टोलिया)  
सचिव।

प्रेषक,

अजय कुमार जोशी,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक,  
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,  
उत्तर प्रदेश, देहरादून।

उत्तराखण्ड विकास अनुभाग—3

लखनऊः दिनांक : 12 दिसम्बर, 1995

**विषय—** दक्षिणी भागीरथी (फेज- 11) जलागम प्रबन्ध परियोजना के अन्तिम चरण के अन्तर्गत पदों की समाप्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या— 383 / 5-28(1), दिनांक 16 अगस्त, 1995 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दक्षिणी भागीरथी (फेज- 11), जलागम प्रबन्ध परियोजना के अन्तिम चरण में होने के फलस्वरूप संलग्नक के कालम—4 में विभिन्न शासनादेशों में स्वीकृत 219 पदों में से 57 पदों का समाप्त किये जाने को श्री राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। अतः उक्त योजना के अन्तर्गत (संलग्न विवरण के अनुसार) 57 पद उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथियों को समाप्त किये जाते हैं।

2— कृपया उपरोक्त के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अजय कुमार जोशी)  
सचिव।

संख्या— 2418(1) / 28-3-5(83) / 92 तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रेम बाजार, निशांतगंज, लखनऊ।
2. महालेखाकार (लेखा—परीक्षा)— 1 सी०ए०एस०एस० / तीन टी०ए०डी० कोआर्डिनेशन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3. परियोजना निदेशक, दक्षिणी भागीरथी (फेज- ।।) जलागम परियोजना, अल्मोड़ा, देहरादून ।
4. कोषाधिकारी, देहरादून ।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल क्षेत्र ।
6. वित्त (आय-नियंत्रण) अनुभाग-4/8
7. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9. प्रमुख सचिव, वन विभाग, कृषि विभाग, लघु सिंचाई विभाग, फलोद्यान, पशुपालन तथा वित्त विभाग ।
10. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
11. निदेशक, कृषि विभाग, फलोद्यान, पशु पालन विभाग, उत्तरांचल क्षेत्र ।
12. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
13. मुख्य वन संरक्षक, (उत्तरांचल), उत्तर प्रदेश, तल्लीताल, नैनीताल ।
14. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, देहरादून ।

आज्ञा से

(अजय कुमार जोशी)  
सचिव ।

शासनादेश संख्या-2418 (1) / 28-3-5 (83) / 92, दिनांक 12, दिसम्बर, 1995 का संलग्नक

ई0ई0सी0 वित्त पोषित दक्षिणी भागीरथी (फेज-1) परियोजना में वर्ष 1995-96 में समाप्त किये जाने वाले पदों का विवरण

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	सृजन का शासनादेश संख्या व दिनांक	दिनांक 30.06.95 को समाप्त किये जाने वाले पद
1	2	3	4	5
	<b>वानिकी संवर्ग—</b>			
1	सहायक वन संरक्षक	2200-4000	जी-7 / 28-3-7(75) / 82 दिनांक 31.3.82	2
2	सांख्यकीय सहायक	1600-2660	105 / 28-3-7(192) / 83, दि० 5.12.84	3
3	वन राजिक	1640-2900	-----तदैव-----	1
4	नायब तहसीलदार	1400-2300	3425 / 28-3-5(46) / 86दिनांक 26-2-93	1
5	उप वन राजिक	1200-2040	3425 / 28-3-5(46) / 86दिनांक 26-2-93	3
6	मानचित्रकार	1200-2040	जी-7 / 28-3-7(75) / 82 दिनांक 31.3.82	1
7	फारेस्टर (वनविद्)	950-1500	3425 / 28-3-5(46) / 86दिनांक 26-2-93	7
8	प्लान्टेशन जमादार	950-1400	3425 / 28-3-5(46) / 86दिनांक 26-2-93	2
9	ड्राइवर	950-1500	105 / 28-3-7(92) / 83, दि० 5.12.84	1
10	चपरासी/चौकीदार	750-940	जी-7 / 28-3-7(92) / 83 दिनांक 31.3.82	4
	<b>उद्यान संवर्ग</b>			
1	प्राविधिक सहायक वर्ग-1	1400-2600	जी-7 / 28-3-7(75) / 83 दिनांक 31.3.82 7179 / 28-3-7(75) / 83 दिनांक 12.9.83	1
2	ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक	1400-2600	3425 / 28-3-5(46) / 86दिनांक 26-2-93	1
3	उद्यान पर्यवेक्षक	975-1660	3425 / 28-3-5(46) / 86दिनांक 26-2-93	1
4	माली	750-940	3425 / 28-3-5(46) / 86दिनांक 26-2-93	5
	<b>पशुपालन संवर्ग</b>			
1	पशुधन विकास अधिकारी	2200-4000	105 / 28-3-7(92) / 83, दि० 5.12.84	1
2	प्राविधिक सहायक वर्ग-2	1200-2040	जी-7 / 28-3-7(92) / 83 दिनांक 31.3.82	1
3	बुल अटेन्डेन्ट	750-940	105 / 28-3-7(192) / 83, दि० 5.12.84 3425 / 28-3-5(46) / 86दिनांक 26-2-93	1
4	ड्राइवर	950-1500	105 / 28-3-7(192) / 83, दि० 5.12.84 3425 / 28-3-5(46) / 86दिनांक 26-2-93	1
	<b>लघु सिंचाई संवर्ग</b>			
1	सहायक अभियन्ता(लघु सिंचाई)	2200-4000	जी-7 / 28-3-7(75) / 82 दिनांक 3.3.82	1
2	अवर अभियन्ता	1400-2300	-----तदैव-----	2

	कृषि टी0एण्ड बी0 सहित			
1	अपर जिला कृषि अधिकारी / विभागीय वर्ग-1	1400-2600	3425 / 28-3-5(46) / 86दिनांक 26-2-93	1
2	सहायक विकास अधिकारी (कृषि वर्ग-2)	1200-2040	3425 / 28-3-5(46) / 86दिनांक 26-2-93	2
3	सहायक विकास निरीक्षक वर्ग-3	975-1660	2771 / 28-3-5(46) / 86दिनांक 30-8-91	9
			कुल योग-	<b>57</b>

(अजय कुमार जोशी)  
सचिव।

प्रेषक,

श्री शेखर अग्रवाल,  
सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण),  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव,  
राजस्व परिषद्, उ०प्र०, लखनऊ।
3. आयुक्त,  
व्यापार कर, उ०प्र०, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त,  
उत्तर प्रदेश।
5. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश।

विषय— वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन।

महोदय,

वित्त  
(लेखा)  
अनुभाग-२

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-१, में विद्यमान वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन को समीक्षा हेतु गठित कोष्ठक की संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय अनुलग्नक में उल्लिखित वित्तीय वित्तीय अधिकार उनके समक्ष अंकित अधिकारियों की प्रतिनिहित करते हैं।

2. उक्त प्रतिनिधायन तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे और जो विशेष मर्दें, अनुलग्नक में सम्मिलित हैं। उनके बारे में कालम-५ में अंकित पूर्व प्राधिकार तदनुसार संशोधित / निरस्त समझे जाएंगे।
  3. वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-१, द्वितीय संस्करण (३१ दिसम्बर, १९८५ तक संशोधित) के सम्बन्धित विवरण'—पत्र अनुलग्नक के अनुसार संशोधित समझे जाएंगे।
- संलग्नक— यथोपरि।

भवदीय

(शेखर अग्रवाल),  
सचिव।

शासनादेश संख्या ए-2-970 / दस-96-24 (7)-95, दिनांक 28 जून, 1996 का अनुलग्नक

क्रमांक	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमाएँ	पूर्व प्राधिकार
1	2	3	4	5

विवरण-पत्र- I— पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, नक्शे तथा अन्य प्रकाशन

1

(क) विभागाध्यक्ष, जिलाधिकारी, पूर्ण अधिकार।  
जिला न्यायाधीश, शासन के  
रसायनिक परीक्षक, आगरा,  
उप पुलिस महानिरीक्षक, जिलों  
के पुलिस अधीक्षक,  
प्रशासनाधिकारी, राज्य  
संग्रहालय, लखनऊ और  
प्रशासनाधिकारी, राज्य  
संग्रहालय, लखनऊ और  
प्रशासनाधिकारी, पुरातत्व  
संग्रहालय, मथुरा।  
(ख) अन्य कार्यालयाध्यक्ष।

एक वर्ष में 1,200 रुपये तक (समाचार-पत्रों एवं  
पत्रिकाओं— गैर तकनीकी पत्रिकाओं को छोड़कर)

शासकीय आदेश संग्रह  
(मैनुअल आफ गर्वनमेन्ट  
आर्डरस) अभ्यास-73 तथा  
शासनादेश  
संख्या ए—2629/  
दस-84, दिनांक 1 जनवरी,  
1985

शासनादेश  
संख्या ए-2-2629 / दस-84,  
दिनांक जनवरी, 1985

**विवरण पत्र- II— मुद्रण सम्बन्धी व्यय**

2

1. सचिवालय के  
प्रशासनिक विभाग।

प्रत्येक मामले में 12,000 रु० तक।

शासनादेश  
संख्या ए-2-37657 / दस-8  
4-14(1)-73, दिनांक 12  
जून 1984

2. विभागाध्यक्ष।

प्रत्येक मामले में 10,000 रु० तक।

3. कार्यालयाध्यक्ष।

प्रत्येक मामले में 5,000 रुपये तक।

टिप्पणी— 1. उक्त अधिकार का प्रयोग विक्रय प्रपत्रों  
के अपरिहार्य परिस्थितियों एवं न्यूनतम  
आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाएगा।  
2. चैक बुक, रिप्रेमेन्ट आर्डर चुक तथा शासनादेशों

	(क)निदेशक, मुद्रण तथा लेखन— सामग्री से पूर्व परामर्श किये बिना स्थानीय स्तर पर तहसील, कलेक्ट्रेट और कमिशनरी के प्रयोग हेतु आवश्यक फार्म निजी मुद्रणालयों से .....	1. मण्डलायुक्त। 2. जिलाधिकारी।	का मुद्रण कार्य केवल राजकीय मुद्रणालयों से ही निदेशक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, उ0प्र0 के माध्यम से कराया जाएगा। 3. उक्त अधिकारों का प्रयोग प्रिटिंग एण्ड स्टेशनरी मैनुअल के पैरा 12 में उल्लिखित अन्य शर्तों के अधीन किया जाएगा। प्रत्येक मामले में 10,000 रुपये तक।	शासनादेश संख्या ए-2— 1055 / दस—94—95(6)—94, दिनांक 23 दिसम्बर, 1994
.....				
1	शासन द्वारा पट्टे पर ली गयी भूमि के किराये का भुगतान स्वीकृत कराना।	विभागाध्यक्ष— 1	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड —5 भाग—1 के परिशिष्ट—10 में दी हुई शर्तों के अधीन रहते हुए। प्रत्येक मामले में प्रतिवर्ष 3,000 रुपये की सीमा तक। 1— देहरादून, गजियाबाद, अलीगढ़ सहित सभी मण्डल मुख्यालय के जनपदों में— रु0 2.50 प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया तक, इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक मामले में किराया स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा 6,000 रु0 प्रतिमास होगी। 2— एक लाख जनसंख्या से ऊपर के अन्य नगरों तथा पर्वतीय जिलों में—	शासनादेश संख्या ए—2— 930 / दस 84—14(30)—73, दिनांक 28 फरवरी, 1984
2	अनावासिक प्रयोजनों (गोदामों को छोड़कर) के लिए किराये पर लिये गये भवनों का किराया स्वीकृत करना।	1. विभागाध्यक्ष एवं 2. मण्डलायुक्त।	रु0 2.00 प्रति वर्गफुट कारपेट एरिया तक, इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक मामले में किराया स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा 3,000 रुपये प्रतिमास होगी।	शासनादेश संख्या ए—2— 436 / दस—86—ए0क्यू0(18) —85, दिनांक 23 अप्रैल, 1986 शासनादेश संख्या ए—2— 996 / दस—86—14(30)—73, दिनांक 30 सितम्बर, 86
				शासनादेश संख्या ए— 2—313 / दस—90—14 (30)—73 दिनांक 16 मार्च, 1990

**3— एक लाख जनसंख्या से कम के नगरों में—**

रु. 1.50 प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया तक, इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक मामले में किराया स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा 2,000 रु0 प्रतिमास होगी।

**4— टाउन एरिया/नोटीफाइड एरिया में—**

रु0 1.00 प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया तक, इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक मामले में किराया स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा 1,500 रुपये प्रतिमास होगी।

**5— ग्रामीण क्षेत्रों में**

रु0 0.50 प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया तक। प्रतिबन्ध प्रत्येक दशा में यह है कि कार्यालय के लिए जगह वित्त (सी) विभाग के शासनदेश सं0 सी0— 2299 / दस—एच—639—61, दिनांक 8 जून, 1965 में निर्धारित मानक नमूने के अनुसार ली जाय।

**टिप्पणी—1** उपरोक्त सीमा अधिकतम सीमा है और विभागाध्यक्ष एवं मण्डलायुक्त द्वारा अधिक से अधिक सस्ता स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए।

**टिप्पणी—2 “कारपेट**

एरिया” का तात्पर्य भवन के “फ्लोर एरिया” से है जिसमें किचन, बाथरूम, बरामदे, मोटर गैरेज, गैलरी तथा पैसेज के फ्लोर एरिया शामिल नहीं होंगे।

**टिप्पणी—3** जनपद व मण्डल स्तर के कार्यालय अपना किराया निर्धारण मण्डलायुक्त के स्तर पर करायेंगे।

**टिप्पणी—4** शेष कार्यालय जिसमें मुख्यतः विभागाध्यक्ष स्तर के कार्यालय होंगे, विभागाध्यक्ष से अपना किराया निर्धारित करायेंगे।

**टिप्पणी—5** विभागाध्यक्ष एवं मण्डलायुक्त को प्रति निहित वित्तीय अधिकारों की सीमा से अधिक के मामले शासन के प्रशासकीय विभाग को सन्दर्भित

शासनादेश संख्या— ए—2—  
24 / दस—91—14(30)—73,  
दिनांक 11जनवरी, 1991

शासनादेश  
संख्या ए—2—2672 / दस—94  
—24(6)—94, दिनांक 23  
दिसम्बर, 1994

### 3. प्रशासकीय विभाग

किये जायेंगे।

पूर्ण अधिकार, निम्नलिखित शर्तों के अधीन—

1— रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट के अधीन निर्धारित अथवा सीनीय नगरपालिका द्वारा निर्धारित किराये से जैसी भी स्थिति हो, किराया अधिक न हो। जहाँ इस प्रकार का भवन किराये पर उपलब्ध न हो, वहाँ किराया उस किराये से अधिक नहीं होना चाहिए जिसे जिलाधीश द्वारा उचित प्रमाणित किया गया हो और सम्बन्धित स्थानीय निकाय को सूचित किया गया हो।

2— जहाँ कि भवन कार्यालय के उपयोगार्थ लिया जा रहा हो, वित्त (सी) विभाग के शासनादेश संख्या सी— 2299 / दस—

एच—639—61, दिनांक

8 जून, 1965 में निर्धारित मानक नमूनों का यथेष्ट ध्यान रखा जाना चाहिए और अन्य मामलों में जगह औचित्यपूर्ण आवश्यकताओं से अधिक नहीं होना चाहिए।

टिप्पणी—1— सरकारी कार्यालयों के लिए प्राइवेट भवन किराये पर लेने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी—

1— ऐसे भवन जो रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट की परिधि के आहर हैं, को किराए पर लेने के लिए विभाग को सीनीय रूप से अधिक पढ़े जाने वाले तीन प्रमुख एवं लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रों में दो बार लगातार कार्यालय प्रयोजन हेतु भवन की आवश्यकता का पूर्ण एवं स्पष्ट विज्ञापन कराना चाहिए। विज्ञापन सूचना विभाग के माध्यम से कराना आवश्यक न होगा।

2— विभाग तीन अधिकारियों की एक कमेटी गठित करेगा जो विज्ञापन के फलस्वरूप प्राप्त आवेदनों (Offer) पर विचार करके एवं उपलब्ध भवनों का निरीक्षण करके उपयुक्त भवन का चयन करेगी और जिलाधीशी से किराये के औचित्य का प्रमाण—पत्र प्राप्त किया जाएगा जिसके उपरान्त ही सक्षम

### अधिकारी

द्वारा भवन का किराया कमेटी की संस्तुति पर  
स्वीकृत किया जा सकेगा।

3— किराये के औचित्य का प्रमाण—पत्र  
जिलाधिकारी स्वयं अपने हस्ताक्षर से जारी करेंगे।

तहसीलदार या रेन्ट कन्ट्रोल आफिसर द्वारा दिया  
गया प्रमाण—प. इस निमित्त मान्य नहीं होगा।

टाउन एरिया/नोटीफाइड एरिया/ग्रामीण क्षेत्रों में  
किराये की दर का अनुमोदन जिलाधिकारी का  
होगा, परन्तु किराये का औचित्य प्रमाण—पत्र जारी  
करने के लिये परगनाधिकारी अधिकृत होंगे।

**टिप्पणी 1—2—** सरकारी कार्यालयों के लिये किराये  
पर लिये गये जो भवन रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के  
अन्तर्गत आ गये हैं, उन भवनों के किराये में वृद्धि  
के सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगी—

सरकारी कार्यालयों के लिये किराये पर लिये गये  
जो भवन उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने,  
किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम,  
1972 के प्राविधानों के अन्तर्गत आ गये हैं, यदि  
उनका किराया बढ़ाने की मांग मकानदार द्वारा की  
आती है तो उसे इसके लिये उक्त अधिनियम को  
धारा 21(8) के प्राविधानों का पालन करना होगा,  
जिसके अनुसार किसी भी भवन की स्थिति में  
जिला मजिस्ट्रेट, मकानदार के आवेदन—पत्र पर  
उसके लिये देय मासिक किराया उतनी धनराशि  
तक बढ़ा सकता है जो किरायेदार के अधीन भवन  
के बाजार मूल्यके दस प्रतिशत के बारहवें भाग के  
बराबर होगा और इस प्रकार बढ़ाया गया किराया  
आवेदन पत्र के दिनांक के ठीक बाद पड़ने वाले  
किरायेदारी के मास के प्रारम्भ से देय होगा किन्तु  
अग्रेतर वृद्धि करने के लिये इस प्रकार का  
आवेदन—पत्र वृद्धि के अन्तिम आदेश के दिनांक से  
5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् ही दिया  
जा सकेगा। यदि उभयपक्षों के बीच किसी निर्धारित  
अवधि तक किराया न बढ़ाने की शर्ते तय हो चुकी

			हों, तो उस अवधि तक किराये की वृद्धि सम्भव नहीं होगी।	
3	1—भण्डार (स्टोर्स), वस्तुए(मैटीरियल्स), औजार और संयत्र इत्यादि के संग्रह करने के निमित्त किराये पर लिये गये गोदामों का किराया स्वीकृत करना।	1— विभागाध्यक्ष।  2— प्रशासकीय विभाग।	प्रत्येक मामले में 2,500 रुपये प्रतिवर्ष तक।  पूर्ण अधिकार।	शासनादेश संख्या ए—2—235 / दस 84, दिनांक 4 मार्च, 1985
1	नीलामकर्त्ताओं को, जहां विभागाध्यक्ष उनकी सेवाएँ लेना अनिवार्य समझा जाए, कमीशन का भुगतान स्वीकृत करना।	विभागाध्यक्ष		कार्यालय ज्ञाप संख्या 2718 / वी०बी०—182—54 दिनांक 5 अगस्त, 1955
12	(क) मेलों और तमाशों के सम्बन्ध में ली गयी नावों, साइकिलों और स्थानों को किराये पर लेने तथा अन्य प्रकीर्ण व्यय करने की स्वीकृति देना।	2— विभागाध्यक्ष।	किसी एक मेले के सम्बन्ध में 500 रुपये प्रतिमाह की सीमा तक इस शर्त के अधीन कि उक्त के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट स्वीकृतियाँ न हों।	—————तदैव————
12	(ग) प्रदर्शनियों के लिए विभागाध्यक्ष व्यय, अस्थाई कर्मचारियों का यात्रा भत्ता, आकस्मिक व्यय, इत्यादि सम्मिलित है।	विभागाध्यक्ष	एक वर्ष में 10,000 रु0 तक इस शर्त के अधीन कि उक्त के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट स्वीकृतियाँ न हों।	शासनादेश संख्या ए—2—2883 / दस—14 (39)—72, दिनांक 23 दिसम्बर, 1972
21	बिलम्ब शुल्क, (डैमरेज / कारपेट चार्जेज) पर व्यय स्वीकृत करना।	1— प्रशासकीय विभाग 2—विभागाध्यक्ष।  3—कार्यालयाध्यक्ष।	पूर्ण अधिकार। पूर्ण अधिकारी किन्तु 2,500 रुपये से अधिक के मामले में प्रशासकीय विभाग को सूचित करना होगा। पूर्ण अधिकार, परन्तु 1,000 रुपये से अधिक के प्रत्येक मामले में विभागाध्यक्ष को सूचित करना होगा।	शासनादेश संख्या ए—2—1637 / दस—14 (1)—75, दिनांक 26 जून, 1975

22	शिलान्यास तथा उद्घाटन आदि जैसे अवसरों के समबन्ध में आकस्मिक व्यय स्वीकृत करना।	प्रशासकीय विभाग	2,000 रुपये की सीमा तक, इस प्रतिबन्ध के साथ कि एक वित्तीय वर्ष में कुल व्यय 20,000 रुपये से अधिक न हो तथा मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो व व्यय सचिव, सामान्य प्रशासन अनुभाग के अर्धशासकीय पत्र संख्या आठ (6/ 51/ 67) सामान्य प्रशासन अनुभाग-2, दिनांक 28 जनवरी, 1972 में निर्धारित अनुदेशों के अनुसार हो।	शासनादेश संख्या ए-2— 1702-1 / दस-14(30)-73, दिनांक 25 अगस्त, 1973
1	अपने विभागों से समर्त अनुभागों और शाखाओं में एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अस्थायी पदों का सृजन स्वीकृत करना।		विवरण पत्र -XIII – अस्थायी अधिष्ठान इस प्रतिनिधायनको समाप्त किया जाता है।	शासनादेश संख्या ए-2-2648 / दस-14 (11)-71, दिनांक 20 अक्टूबर, 1972 और ए-2—1637 / दस-14 (1)-75, दिनांक 26 जून, 1975
3	राज्य की निधियों से निर्मित उनके नियन्त्रण के अधीन (आवासिक भवनों और डाक बंगलों को छोड़कर) भवनों (जिला राजस्व प्राधिकारियों के माध्यम से) का विक्रय अथवा विधांस स्वीकृत करना।	1— विभागाध्यक्ष  2—प्रशासकीय विभाग	विवरण पत्र -XVI – भूमि तथा भवन भवनों का विधांस एवं विक्रय स्वीकृत करने के मामले में 50,000 रुपये के खाता मूल्य तक। कलेक्टर के इस आशय के प्रमाण—पत्रों के अधीन कि उन्होंने अपेक्षित जांच के बाद और अपनी पूरी जानकारी में यह सुनिश्चित कर लिया है कि उक्त भवन की किसी अन्य विभाग को आवश्यकता नहीं है और किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये उसे सुविधापूर्वक उपयोग में नहीं लाया जा सकता है।  50,000 रुपये से अधिक एवं 1. 00 लाख रुपये के खाता मूल्य तक।	शासनादेश संख्या—ए-2-443 / दस-85, दिनांक 18 मार्च 1985